खण्ड–501, अंक–03
शुक्रवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1939
(21 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 501 में 6 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-5
प्रश्नोत्तर	7-66
श्री रामनाथ कोविद के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर मुख्य मंत्री द्वारा बधाई का प्रस्ताव (स्वीकृत)	66-68
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	68-70
जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय ट्रेजरी चौराहा से कटरा मेदनीगंज चौराहा तक सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद महाराजगंज के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित टूठीबारी में एक राजकीय चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70-71
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद अन्तर्गत पिटुरा और फतुवापुर के बीच छुईया नाला पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में पेट्रान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन पर चीनी मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद बिजनौर की अपर गंगेज शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड स्योहरा मिल के प्रदूषित पानी के रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	71-72
जिला चिकित्सालय उन्नाव में ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	72
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन की हिण्डन नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	72-73
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दाराऊ के हाथरस ब्लाक के कतिपय गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद आगरा की सिकन्दरा के गुरू तेग बहादुर कालोनी की जर्जर सड़क एवं नाली के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
पेयजल की गम्भीर समस्या को दुरूस्त करने के लिये विधायकों को इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	73-74

विषय	पृष्ठ-संख्या

राजकीय इण्टर कालेज गभिया सहराई, तहसील-कलीनगर, पीलीभीत में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 74

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर गाजीपुर के ग्राम सभा सहाय शरीफ में राजकीय इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 74

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड डोभी में कतिपय सड़कों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 74-75

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां में पिछले साल हुई ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 75

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में ढकनी से खुदागंज मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 75

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कतिपय गांवों में खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 75-76

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र सदर इटावा में सिंचाई के लिए लिफ्ट कैनाल चिनहट से उदी क्षेत्र में बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 76

जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में जूविलैन्ट फैक्ट्रीयों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 76

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय गांवों में ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 76-77

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के खोड़ारे से कूकेनगर ग्रान्ट मार्ग पर बाढ़ू घाट कुआनों नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 77

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में 100 बेड का सरकारी अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 77

जनपद बस्ती के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर में कुआनों नदी के बाढ़ू घाट पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... 77-78

जनपद बिजनौर में शीघ्र खनन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 78-79

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के चपरघटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 79

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के कतिपय मार्गों के पुनःनिर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	79-80
जनपद उन्नाव के बांगरमऊ एवं भगवन्तनगर क्षेत्रों में अतिथि गृह के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	80
वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, मकान गिरने से दबकर मृत पशुओं हेतु गृह अनुदान अहेतुक अनुग्रह मद में सहायता न मिलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	80-81
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवांया में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय मार्गों के पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	81
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कतिपय मार्गों के पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81-82
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे तहसील लालगंज स्थित दधिया व घौरी डेम को बाणसागर नहर से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
सदन में उपस्थित पंजिका पर कतिपय विपक्षी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर भत्ता लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	82-83
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0 2-634/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश-(157)-2016 दिनांक 27 मई, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)	83
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0 2-773/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0 अधि0-30-7-आदेश-(158)- 2016 दिनांक 02 जून, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)	83-84
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0 2-774/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(159)- 2016 दिनांक 02 जून, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	84
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0 2-1341/ग्यारह-9(107)-उ0प्र0 अधि0-30-07 आदेश-(165)- 2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	84

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0 2-1342/ग्यारह-9(107)/07-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(166)-2016 दिनांक 21 सितम्बर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	84-85
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0 2-1463/ग्यारह-9(128)/16-उ0प्र0अधि0-05-2008-आदेश-(169)-2016 दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	85
उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2016(उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	85
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	85
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	85
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	86
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-1597/सोलह-3-2016-15 (212)-2015 दिनांक 09 अगस्त, 2016 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	86
सदन में विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण आज दिनांक 21 जुलाई, 2017 से 28 जुलाई, 2017 तक की मदों को आज ही लिये जाने का प्रस्ताव ...	86-90
(चकेरी) हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण ''श्री गणेश शंकर विद्यार्थी सिविल टर्मिनल कानपुर'' किये जाने के सम्बन्ध में स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'') द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (स्वीकृत)	90-92
बरेली टर्मिनल का नामकरण बरेली के सांस्कृतिक नाम नाथ नगरी के नाम पर ''नाथ नगरी सिविल बरली'' किये जाने के सम्बन्ध में स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'') द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (स्वीकृत)	92-94
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	94-95
बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	95
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	95
आज की कार्य-सूची में नई मद 23(क) लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	95
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध समिति में विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर श्री अध्यक्ष को नाम निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	96-97
विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुलिस एवं सामान्य प्रशासन को छोड़कर शेष अनुदानों की मांगों सम्बन्धी मदें विचार एवं मतदान हेतु आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	97-109
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुलिस एवं सामान्य प्रशासन तथा गृह विभाग (पुलिस) की अनुदानों की मांगों सम्बन्धी मदें 24 जुलाई, 2017 को लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	109
विपक्ष को पुनः एक बार सदन में चर्चा हेतु आमंत्रित किये जाने की अपील ...	109-110
जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोलाघाट, धोकरहा घाट तथा खैरबाघाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीर्घ कराये जाने सम्बन्धी श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा प्रस्तुत जारी संकल्प पर चर्चा (व्ययगत)	110
भारतीय स्वातंत्रय समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी) ...	110

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज को स्थापित कराये जाने सम्बन्धी श्री नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत जारी संकल्प पर चर्चा (व्यपगत) ...	110
सहारनपुर मण्डल के छात्र-छात्रओं की व्यवस्थित शैक्षिक प्रशासकीय और परीक्षा सम्बन्धी कार्य-कलापों हेतु मण्डल मुख्यालय पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने सम्बन्धी श्री संजय गर्ग एवं श्री शैलेन्द्र यादव ललई द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (जारी)	111
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	111-114
जनपद सीतापुर में राशन कार्ड बनाने में हुई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	114-115
जिला पंचायत अलीगढ़ में शासनादेशों के विरुद्ध कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज्य मंत्री का वक्तव्य...	115-117
जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत सहकारी कोल्ड स्टोरेज को बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	117-118
विधान सभा क्षेत्र मिरजापुर में गंगा नदी के किनारे हो रहे कटान से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रत्नाकर मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	118-119
प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक के पदों को लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामअचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	119-121
विधान सभा के सदस्यगण तथा पत्रकारों के लिए मध्याह्न भोज की सूचना ...	121

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-290

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'' कुंवर — गोण्डा
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
7. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
8. अनिल कुमार मौर्य, श्री — सोनभद्र
9. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
10. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
11. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
12. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
13. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
14. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
15. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
16. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
17. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
18. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
19. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
20. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
21. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
22. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
23. अवधेश सिंह, श्री — वाराणसी
24. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
25. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
26. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
27. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
28. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
29. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
30. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
31. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
32. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
33. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
34. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
35. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
36. कमल रानी, श्रीमती — कानपुर नगर
37. कमल सिंह मलिक, श्री — हापुड़
38. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
39. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
40. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
41. कारिन्दा सिंह, श्री — मथुरा
42. काली प्रसाद, श्री — देवरिया
43. किशन लाल राजपूत, श्री — पीलीभीत
44. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
45. कुशाग्र सागर, श्री — बदायूं
46. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
47. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
48. केसर सिंह, श्री — बरेली

49. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
50. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
51. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
52. गंगा, श्री कुशीनगर
53. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
54. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
55. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
56. गौरी शंकर, श्री जालौन
57. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
58. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
59. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
60. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
61. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
62. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
63. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
64. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
65. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
66. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
67. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
68. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
69. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
70. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
71. जयमंगल, श्री महाराजगंज
72. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
73. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
74. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
75. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
76. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
77. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
78. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
79. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
80. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
81. दल बहादुर, श्री रायबरेली
82. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
83. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
84. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
85. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
86. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
87. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
88. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
89. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
90. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
91. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
92. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
93. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
94. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
95. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
96. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
97. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
98. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
99. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
100. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
101. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
102. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
103. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
104. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
105. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
106. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
107. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
108. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
109. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
110. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
111. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
112. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा

113. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
114. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
115. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
116. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
117. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
118. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
119. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
120. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
121. फागू चौहान, श्री मऊ
122. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
123. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
124. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
125. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
126. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
127. बावन सिंह, श्री गोण्डा
128. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
129. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
130. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
131. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
132. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
133. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
134. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
135. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
136. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
137. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
138. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
139. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
140. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
141. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
142. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
143. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
144. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
145. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
146. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
147. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
148. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
149. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
150. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
151. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
152. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
153. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
154. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
155. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
156. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
157. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
158. योगेश धामा, श्री बागपत
159. योगेश वर्मा, श्री खीरी
160. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
161. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
162. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
163. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
164. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
165. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
166. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
167. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
168. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
169. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
170. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
171. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
172. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
173. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
174. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
175. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीरनगर
176. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
177. राज करन कबीर, श्री बांदा

178. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री — हरदोई
179. राजमणि कोल, श्री — इलाहाबाद
180. राजवीर दिलेर, श्री — अलीगढ़
181. राजीव तरारा, श्री — अमरोहा
182. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री — बदायूं
183. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री — झांसी
184. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
185. राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
186. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री — बरेली
187. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री — मुरादाबाद
188. राजेश गौतम, श्री — सुल्तानपुर
189. राधा कृषण शर्मा, पं0 — बदायूं
190. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री — खीरी
191. राम कृष्ण भार्गव, श्री — सीतापुर
192. राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
193. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री — मैनपुरी
194. राम नरेश रावत, श्री — रायबरेली
195. रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
196. राम प्रताप सिंह, श्री — आगरा
197. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री — बलरामपुर
198. राम फेरन पाण्डेय, श्री — श्रावस्ती
199. रामरतन कुशवाहा, श्री — ललितपुर
200. रामानन्द बौद्ध, श्री — कुशीनगर
201. राहुल प्रकाश, श्री — मिर्जापुर
202. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 — लखनऊ
203. रोशन लाल वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
204. लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
205. लाखन सिंह, श्री — औरैया
206. लाल बहादुर, श्री — कौशाम्बी
207. लीना तिवारी, श्रीमती — जौनपुर
208. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — खीरी
209. लोकेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
210. विकास गुप्ता, श्री — फतेहपुर
211. विक्रम सिंह, श्री — फतेहपुर
212. विक्रम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
213. विक्रमाजीत मौर्य, श्री — इलाहाबाद
214. विजय कुमार कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
215. विजेन्द्र सिंह, श्री — बुलन्दशहर
216. विनय कुमार द्विवेदी, श्री — गोण्डा
217. विनय शाक्य, श्री — औरैया
218. विनोद सरोज, श्री — प्रतापगढ़
219. विनोद कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
220. विपिन कुमार 'डेविड', श्री — एटा
221. विपिन सिंह, श्री — गोरखपुर
222. विमलेश पासवान, डा0 — गोरखपुर
223. वीर विक्रम सिंह प्रिंस, श्री — शाहजहांपुर
224. वीरेन्द्र, श्री — एटा
225. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
226. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री — फैजाबाद
227. शरद कुमार अवस्थी, श्री — बाराबंकी
228. शशांक त्रिवेदी, श्री — सीतापुर
229. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
230. शीतल पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
231. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती — मिर्जापुर
232. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती — फैजाबाद
233. श्याम धनी, श्री — सिद्धार्थनगर
234. श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
235. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 — बरेली
236. श्रीकान्त शर्मा, श्री — मथुरा
237. श्री राम चौहान, श्री — सन्तकबीरनगर
238. श्रीराम सोनकर, श्री — मऊ
239. संगम लाल गुप्ता, श्री — प्रतापगढ़
240. संगीता, श्रीमती — गाजीपुर

241. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
242. संजय, श्री बुलन्दशहर
243. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
244. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
245. संजय यादव, श्री बलिया
246. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
247. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
248. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
249. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
250. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
251. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
252. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
253. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
254. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
255. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
256. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
257. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
258. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
259. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
260. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
261. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
262. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
263. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
264. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
265. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
266. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
267. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
268. सुरेन्द्र, श्री बलिया
269. सुरेश कुमार, श्री शामली
270. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
271. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
272. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
273. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
274. सुरेश राही, श्री सीतापुर
275. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
276. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
277. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
278. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
279. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
280. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
281. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
282. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
283. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
284. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
285. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
286. हरीराम, श्री सोनभद्र
287. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
288. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
289. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
290. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोटः- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्य नाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) तथा मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी फाइल शायद रह गयी है।

[11:01] प्रश्नोत्तर

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न ले लें, पांच मिनट के बाद इसको ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं।

अगला प्रश्न नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-01 मा0 नितिन अग्रवाल जी का है, वे नहीं हैं, तारांकित प्रश्न नं0-2 श्री संजय गर्ग जी भी नहीं है। तीसरा प्रश्न श्री पंकज सिंह का है, मा0 पंकज सिंह भी नहीं हैं। चौथा प्रश्न मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) का है, वे भी उपस्थित नहीं है। पांचवा प्रश्न श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'' जी का है, वे भी नहीं हैं। छठां प्रश्न श्री दलवीर सिंह जी का है, वह उपस्थित हैं।

नत्थी-(ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति के विवरण के सम्बन्ध में जानकारी

***01-श्री नितिन अग्रवाल (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मांग के सापेक्ष वर्तमान में विभिन्न सरकारी यूनिटों से विद्युत का कितना-कितना उत्पादन हो रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मांग के अनुरुप विद्युत आपूर्ति करने के लिए सरकार, विद्युत निजी क्षेत्रों से खरीद रही है ? यदि हां, तो वह किस दर से खरीदी गयी है ? क्या सरकार की मांग व आपूर्ति के अन्तर को कम करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

प्रदेश में औसतन मांग लगभग 16000 से 19500 मेगावाट के मध्य है।

वर्तमान में राज्य क्षेत्र में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत दिनांक 19-07-2017 को विभिन्न यूनिटों द्वारा किये गये विद्युत उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :--

विद्युत गृह का नाम

क्षमता (मे0वा0)

उत्पादन

(मे0वा0)

अनपरा 'अ' 3x210

630

520

अनपरा 'ब' 2x500

1000

475

अनपरा 'द' 2x500

1000

955

ओबरा 'अ' 2x94

188

0

ओबरा 'ब' 5 x200

1000

500

हरदुआगंज 1x110, 2x250

610

245

पनकी 2x105

210

0

पारीछा-2x110, 2x110, 2x250

1140

897

कुल

5778

3601

वर्तमान में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अधीन स्थित जल विद्युत गृहों की विभिन्न इकाइयों से 300 से 350 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन हो रहा है। दिनांक 16-07-2017 को अलग-अलग इकाइयों में विद्युत उत्पादन निम्नलिखित है :--

- रिहन्द (50x6) 200 मे0वा0
- ओबरा (33x3) 55 मे0वा0
- खारा (24x3) 72 मे0वा0
- निरगाजनी (2.5x2) एवं भोला (0.6x2) 1.5 मे0वा0
- बेल्का (1.5x2) 0 मे0वा0

कुल योग :--329.5 मे0वा0

जी हां।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा मांग अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह मई, 2017 तक 7598.00 मि0यू0 विद्युत रु0 3.90 प्रति यूनिट की आगणित समेकित दर से खरीदी गई है।

जी हां।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित तापीय विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत नये बिजली उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है।

(अ) राज्य क्षेत्र में :--

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-

1.1x660 मेगावाट हरदुआगंज विस्तार परियोजना-

2.2x660 मेगावाट ओबरा 'सी' परियोजना-

3.2x660 जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना-

(ब) संयुक्त क्षेत्र में :--

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनायें-

1.2x660 मेजा तापीय विद्युत परियोजना (स्टेज)

2.3x660 घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना

3 उ0प्र0 जल विद्युत निगम के अन्तर्गत खारा लघु जल विद्युत परियोजना (2x0.75 मे0वा0) पर कार्य चल रहा है।

(स) निजी क्षेत्र में :--

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से निम्न परियोजनायें विकसित की गई है :--

1-प्रयागराज तापीय परियोजना (बारा) (3x660 मे0वा0)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण की वृद्धि को रोकने के प्रभावी योजना की जानकारी

***02-श्री संजय गर्ग (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण की बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रभावी योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्यमंत्री (श्री अतुल गर्ग)-

जी हां।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की सुरक्षित एवं गुणवत्तापरक उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 2011 व विनियमावली, 2011 के प्राविधानों को प्रवर्तित किया जाता है, जिसमें निरीक्षणों, छापों के माध्यम से नमूना संग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियां की जाती हैं। इस हेतु जनपदों में जिलाधिकारी के अधीन अभिहित अधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। मण्डल के समस्त जनपदों के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु मण्डल स्तर पर सहायक आयुक्त (खाद्य) तैनात हैं। संग्रहीत नमूनों की जांच हेतु जनपद लखनऊ, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, झांसी एवं वाराणसी में जन विश्लेषक प्रयोगशालायें स्थापित हैं।

जांचोपरान्त नमूना मानकों के विपरीत पाये जाने पर सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये जाने की कार्यवाही उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत की जाती है।

न्यायालय में प्रचलित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत अर्थदण्ड के प्राविधान से लेकर कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

वादों के निस्तारण हेतु न्याय निर्णायक अधिकारी तथा न्यायिक न्यायालय क्रियाशील हैं। अपमिश्रण के गम्भीर मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश के प्रत्येक मण्डल में विशेष न्यायालयों (मण्डल मुख्यालय के जनपदों के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) का गठन किया गया है। इन व्यायालयों को आजीवन कारावास तक की शक्ति प्राप्त है। खाद्य/पेय पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु विभागा द्वारा होली, दीपावली, नवरात्र आदि त्योहारों पर विशेष अभियान चलाये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के भूमिहीन बेरोजगार किसानों को रोजगार देने की मांग

***03-श्री पंकज सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों पर आश्रित भूमिहीनों को आवंटित भूमि अधिग्रहीत होने से अब वे बेरोजगार हो गए हैं, को रोजगार के लिए क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवा योजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भू-स्वामियों की भूमि अधिग्रहण किये जाने पर उन्हें नियमानुसार भूमि का मूल्य एवं अन्य लाभ दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में ट्रान्सफार्मर फुंक जाने पर एक निश्चित समय में बदलवाने के सम्बन्ध में

***04-मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट) (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रान्सफार्मर फुंक जाने पर विभाग द्वारा उसे बदलने में अधिक समय लगा दिया जाता है एवं सम्बन्धित उपभोक्ताओं से किराया भी वसूला जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको लगाने की एक निश्चित अवधि निर्धारित कर प्राथमिकता के आधार पर बदलवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसे यथा सम्भव निर्धारित समय-सीमा शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्तर्गत प्रतिस्थापित कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराया जाता है तथा उपभोक्ता से उक्त कार्य के लिये किराया अथवा अन्य मद में कोई भी धनराशि इत्यादि नहीं वसूली जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की मांग

***श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई'' (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खरीद सत्र, 2017 हेतु कितने गेहूं क्रय केन्द्रों की व्यवस्था गेहूं क्रय करने के लिए की गयी है तथा उन पर अब तक कितनी मात्रा में गेहूं क्रय किया जा चुका है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में क्रय केन्द्रों की कमी के चलते किसानों के गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

खरीद सत्र 2017-18 में कुल 5105 गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना की गयी थी तथा खरीद सत्र में कुल 36.99 लाख मी0 टन गेहूं की खरीद कृषकों से की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली विभाग में वर्ष 2013 से 2016 के बीच आनलाइन डोर टू डोर बिलिंग सेवा में चेक भुगतान द्वारा घोटाले की जानकारी

***06-श्री दलवीर सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग में वर्ष 2013 से 2016 के बीच आनलाइन डोर टू डोर बिलिंग सेवा में चेक भुगतान द्वारा घोटाले की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त में अब तक कुल कितने रुपये का घोटाला प्रकाश में आया है ? क्या सरकार बतायेगी कि घोटाले में दोषी कम्पनी व कर्मचारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, बुलन्दशहर के अन्तर्गत कुल 790 उपभोक्ताओं के खातों में रु0 11203558/- की धनराशि एवं विद्युत वितरण खण्ड खुर्जा में 173 उपभोक्ताओं के खातों में रु0 45,79,141/- के फर्जी चेकों के माध्यम से पोस्टिंग की गई।

सम्बन्धित फर्म के कार्मिकों के खिलाफ दिनांक 04 फरवरी, 2014 एवं 5 फरवरी, 2014 को एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे परम्परा नहीं है सत्तापक्ष के विधायक को प्रश्न पूछने का। लेकिन अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल था इसलिये मैंने पूछा। पिछली सरकार में यह सवाल मेरे सामने आया और मैंने पिछली सरकार में भी इसे उठाया था। तो सरकार इसका गोलमाल जवाब देती रही और मेरे विरोध और शिकायत करने के बाद सरकार ने कुछ एफ0आई0आर0 दर्ज की। पिछली सरकार में कुछ कम्पनियों को, कुछ एजेन्सियों को भारी पैसा लेन-देन करके यह डोर टू डोर पैसा कलेक्शन करने का मौका दिया और उनको नियत किया। इन सभी कम्पनियों ने पूरे प्रदेश में मात्र एक ही रिपोर्ट आई है जनपद बुलन्दशहर और खुर्जा डिवीजन की, जिसमें केवल एक जनपद में डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला इन कम्पनियों ने किया है पिछली सरकार में। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी भी सदन में है, बहुत बड़े घोटालों की आप जांच करा रहे हैं। यह भी उसी तरह का घोटाला है। मैं चाहूंगा कि इस घोटाले की पूरी जांच यह सरकार करावे जिससे कि बेईमानों का पर्दाफाश हो और सब बेईमान सामने आयें। इसमें बड़े-बड़े नेता और सम्बन्धित विभाग के मंत्री और अधिकारी इसमें लिप्त हैं। मैं चाहूंगा कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें निर्णय ले लें और इसमें जांच कराने का कष्ट करें।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरा विवरण हमारे संज्ञान में आया है और विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बुलन्दशहर के अन्तर्गत कुल 790 उपभोक्ताओं के खातों में यह सब स्कैम्प हुआ है और उसमें एफ0आई0आर0 भी दर्ज की गई है और माननीय सदस्य ने कहा है हम इसमें अविलम्ब जांच भी करायेंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, उनको सजा भी दिलायेंगे।

श्री दलवीर सिंह-

मेरा कहना है कि सरकार से कि इन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होगी निश्चित रूप से इसमें अरबों रुपयों का घोटाला सरकार के सामने आयेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

कह तो दिया माननीय मंत्री जी ने।

प्रदेश में विद्युत की लाइन लास कम करने के लिये कोई प्रभावी योजना बनाने विषयक जानकारी

***07-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत लाइन लास को कम करने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रभावशाली कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

प्रदेश में लाइन हानि कम करने हेतु वर्तमान में बहुआयामी कदम उठाये जा रहे हैं। सतत् प्रक्रिया के तहत निरन्तर अभियान के रूप में पुराने एवं जर्जर तार बदलना, परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि करना, विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में ए0बी0सी0 कन्डक्टर एवं अन्डरग्राउण्ड केबिल लगाने का कार्य किया जा रहा है।

उपकेन्द्रवार एवं फीडरवार सेनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अनमीटर्ड संयोजनों पर मीटर स्थापित करना, समस्त उपभोक्ताओं की फीडरवार टैनिंग ऑनलाइन प्रणाली पर सुनिश्चित किया जाना, मौके पर नये संयोजन निर्गत करना, आई0डी0एफ0/ए0डी0एफ0 मीटरों को बदले जाने आदि की कार्यवाही की जा रही है।

ए0टी0 एण्ड सी0 हानियां कम करने के लिये नये संयोजनों पर मीटर/बदले गये मीटरों को यथा सम्भव परिसर के बाहर लगाया जाना, लम्बित बकायों की वसूली हेतु विद्युत विच्छेदन करना, शत-प्रतिशत रिकवरी एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत चोरी रोकने हेतु जनपदवार 75 पृथक एन्टी थेफ्ट थानों का सृजन एवं 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दलों के गठन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जवाब से पूरी तरह से सहमत हूं इसके बावजूद भी प्रश्न के जवाब में ही कुछ व्यवस्था चाहता हूं। विद्युत तार पूरी तरह से जर्जर हैं। बरसात के वक्त उनसे बड़े पैमाने पर दुर्घटनायें हो रही हैं। मान्यवर, क्या कोई समय सीमा तय होगी कि कितने समय के भीतर समस्त जर्जर विद्युत तारों को बदला जायेगा। दूसरा इसी से सम्बन्धित एक प्रश्न है। ओवरलोडिंग की समस्या पूरे प्रदेश में है। हम सभी लोग अपने पत्र के माध्यम से सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को क्षमता वृद्धि के लिये पत्र देते हैं और चिन्हित भी करते हैं कि कौन-कौन से ट्रांसफार्मर हैं उन पर लोड कितना है। प्रमाण भी देते है, कनेक्शन की प्रतियां देते है लेकिन विभाग की तरफ से हम लोगों को सही समय पर कोई जवाब नहीं आता है कि आपके द्वारा दिये गये पत्र में से 20 ट्रान्सफार्मर को उच्चीकृत करने से सम्बन्धित प्राप्त हुआ और कितना उच्चीकृत किया गया। मान्यवर, हम लोगों के पत्र दिये जाने के बाद यह व्यवस्था बने कि इतने दिनों के अन्दर महीने, डेढ़ महीने, दो महीने, तीन महीने में ट्रान्सफार्मर उच्चीकृत कर दिये जायं। इसकी सूचना हमें दे दी जाय। इस तरह की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जर्जर तारों की जो बात कही है। जर्जर पोल, जर्जर तार, यह वास्तविकता है और यह व्यवस्था वर्तमान सरकार को विरासत में मिली है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं जिस तरह से रोस्टर का अनुपालन किया गया उसी तरह से आने वाले समय में बहुत जल्दी जर्जर तार और जो जर्जर पोल हैं उनको भी बदलने की व्यवस्था हम एक अभियान के तहत शुरू करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने ट्रान्सफार्मर अपग्रेड की बात कही है, और जहां लो बोल्टेज की समस्या है मुझे बड़ी प्रसन्नता है यह कहते हुये कि 100 दिन के अन्दर हमने आठ हजार से ज्यादा ट्रान्सफार्मर को अपग्रेड किया है।

(मेजे थपथपाई गईं)

और आने वाले समय में हमारा यह अभियान शाश्वत चलता रहेगा। जब तक हम पूरे प्रदेश में यह जो लो बोल्टेज की समस्या है इसका समाधान नहीं कर लेते। अगला प्रश्न माननीय मनोज कुमार पाण्डेय जी का है यह उपस्थित नहीं हैं इसके बाद श्री राकेश सिंह जी का प्रश्न है यह नहीं है फिर श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी का प्रश्न है यह भी नहीं हैं।

प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण कराने विषयक जानकारी

***08-श्री मनोज कुमार पाण्डेय (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम सभाओं की विद्युतीकरण से वंचित बसावटों के विद्युतीकरण की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

विद्युतीकरण से वंचित बसावटों के विद्युतीकरण हेतु 24 X 7 (पावर फॉर आल) के अन्तर्गत घर-घर विद्युत पहुंचाने के लिये मेसर्स आर0ई0सी0 पी0डी0सी0एल0 को सर्वे के कार्य हेतु आशय पत्र निर्गत कर दिया गया है। मेसर्स आर0ई0सी0 पी0डी0सी0एल0 द्वारा सर्वे का कार्य माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। मेसर्स आर0ई0सी0 पी0डी0सी0एल0 द्वारा सर्वे के अनुसार बनाये गये डी0पी0आर0 के आर0ई0सी0 से अनुमोदन एवं धन आवंटन के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जो दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में श्रमिकों के हितों में रजिस्ट्रेशन कराने एवं उनके आधार पर सुविधाएं मुहैया कराने की जानकारी

***09-श्री राकेश सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराने एवं उसके आधार पर श्रमिकों को सुविधाएं दिए जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार श्रमिकों के हितों में रजिस्ट्रेशन कराने एवं उसके आधार पर सुविधाएं मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

निर्माण श्रमिकों का पंजीयन श्रम विभाग, उ0प्र0 द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18-60 वर्ष के बीच है तथा जो निर्माण से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में वर्ष में 90 दिन या इससे अधिक कार्य किये हैं, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन हेतु पात्र हैं। उ0प्र0 सरकार द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है :--

1-मातृत्व हितलाभ योजना, 2-शिशु हितलाभ योजना, 3-मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, 4-अन्त्येष्टि सहायता योजना, 5-मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, 6-संत रविदास शिक्षा सहायता

योजना, 7-बालिका मदद योजना, 8-कन्या विवाह सहायता योजना, 9-गम्भीर बीमारी सहायता योजना, 10-आवासीय विद्यालय योजना, 11-साइकिल सहायता योजना, 12-पेंशन सहायता योजना, 13-मध्यान्ह्न भोजन सहायता योजना, 14-कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, 15-अक्षमता पेंशन योजना, 16-सौर ऊर्जा सहायता योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

पात्र पंजीकृत श्रमिकों को उपरोक्त योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

पं0 दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गांवों/मजरों के विद्युतीकरण को पूर्ण करने की समय सीमा निश्चित किये जाने की जानकारी

***10-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा(अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल कितने गांवों/मजरों का ग्रामीण विद्युतीकरण होना है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त कार्य को प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो पूर्ण करने की समय सीमा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 1529 अविद्युतीकृत ग्रामों व 151226 मजरों का विद्युतीकरण प्राविधानित था। 6 अविद्युतीकृत ग्राम जिनका विद्युतीकरण नेडा द्वारा कराया जा रहा है, को छोड़ कर सभी ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं। इसी प्रकार 74364 मजरों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा शेष 76862 मजरों का विद्युतीकरण दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण होना लक्षित है।

जी हां।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कार्य माह अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गैस वितरकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने विषयक जानकारी

***11-श्री भूपेश चौबे-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गैस वितरकों द्वारा प्रति सिलेण्डर रुपया 40-50 से अधिक वसूली उपभोक्ताओं से करने एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को वितरक द्वारा कैश मेमो नहीं दिये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आयी हैं ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के निराकरण हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

गैस एजेन्सी की नियुक्ति एवं उनके नियमित निरीक्षण/जांच की कार्यवाही सम्बन्धित गैस कम्पनी द्वारा की जाती है। गैस एजेन्सी पर खाद्य एवं रसद विभाग का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होने पर कम्पनी स्तर पर जांचोपरान्त अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जाती है।

इस प्रकार की कोई भी शिकायत खाद्य एवं रसद विभाग को प्राप्त होने पर उसकी जनपद स्तर से जांच कराते हुए जांच के निष्कर्ष के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

कम्पनी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में नौरंगिया इण्डेन ग्रामीण वितरक कुशीनगर के विरुद्ध रु0 10733/- की पेनाल्टी वसूली गयी।

उपरोक्तानुसार।

श्री भूपेश चौबे-

पूरी तौर पर संतुष्ट है आगे व्यवस्था बने।

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न श्री अजय कुमार 'लल्लू' तथा श्री संजय प्रताप जायसवाल का है यह उपस्थित नहीं हैं। उसके बाद श्री उमाशंकर सिंह का प्रश्न है यह भी नहीं हैं। उसके बाद श्री लालजी वर्मा का प्रश्न है वह भी नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ऊर्जामंत्री जी पहले प्रश्न का उत्तर अब दे सकते हैं।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति एवं कुल मेगावाट विद्युत उत्पादन विषयक

***01-डा0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत की मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है तथा वर्तमान में कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में चौबीस घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

****श्री श्रीकान्त शर्मा-**

वर्तमान में प्रदेश में विद्युत की औसत मांग लगभग 16000-19500 मेगावाट के मध्य है, जिसके सापेक्ष प्रदेश में स्थित राज्य उत्पादन के विभिन्न विद्युत गृह तथा निजी उत्पादनकर्ता (आई0पी0पी0) की कुल उत्पादन क्षमता 11000 मेगावाट है। केस-1 बिडिंग के माध्यम से 2471 मेगावाट की विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है तथा केन्द्रीय परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश का अंश 5000 मेगावाट है।

इस प्रकार कुल 18471 मे0वा0 की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। शेष आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार की डीप पोर्टल इनर्जी एक्सचेन्ज तथा बैकिंग के माध्यम से

आगामी गर्मी व सिंचाई आदि के दृष्टिगत माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2017 में व्यवस्था की गयी है।

जी हां।

प्रदेश में चौबीस घण्टे अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 24x7 पावर फार आल योजना बनायी गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत आंकलित विद्युत की अधिकतम मांग के सापेक्ष उसकी आपूर्ति हेतु विद्युत की उपलब्धता निम्नानुसार अनुबन्धित की गयी है :--

वर्ष	अधिकतम मांग	उपलब्धता
2017-18	17934 मे0वा0	20790 मे0वा0
2018-19	18918 मे0वा0	22143 मे0वा0
2019-20	21095 मे0वा0	23458 मे0वा0
2020-21	22846 मे0वा0	25224 मे0वा0
2021-22	24777 मे0वा0	26585 मे0वा0

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं फिर भी एक जिज्ञासा शांत करना चाहता हूं प्रायः रोस्टर के अनुरूप जब विद्युत सप्लाई से सम्बंधित बात हम लोग विभागीय अधिकारियों से करते हैं तो कुछ न कुछ लोकल फाल्ट तरह तरह की फाल्ट का बहाना बनाते हैं मान्यवर, क्या यह व्यवस्था मिलेगी कि लोग अगर यह पूछें कि विगत महीने का विगत दिनों की लाग इन्ट्री बुक हम लोगों को उपलब्ध कराएं या उसकी प्रति उपलब्ध कराएं जिससे उनके द्वारा कही हुई बात और ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कितनी हुई हम लोग उसमें सामन्जस्य या सत्यता की जॉच कर सकने में सक्षम हो सकें यह व्यवस्था मिलेगी ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी यह वास्तविकता है कि जिस तरह से एक राजनीतिक इच्छाशक्ति का उदाहरण देते हुए योगी आदित्य नाथ जी की सरकार ने जो कहा वह किया है जितनी सप्लाई दी जाती है उतना नीचे पहुँचने में थोड़ा दिक्कत रहती है क्योंकि नीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। तार जर्जर हैं, केबिल बहुत पुराने हैं थोड़ा बहुत ऑधी तूफान आती है तो तार टूटते हैं और पोल गिर जाते हैं। ओवर लोड की भी दिक्कत है कई जगह ट्रांसफार्मर फुंक भी जाते हैं यह समस्या है इसके कारण लोकल फाल्ट भी होता है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस फाल्ट को भी 1912 पर जैसे ही सूचना मिलती है अविलम्ब उसको दुरस्त भी किया जाता है माननीय सदस्य ने जो कहा है हमारी सरकार ने योगी सरकार ने यह व्यवस्था बनाई है कि कोई भी सदस्य कभी भी जिला से अपनी विधान सभा से हमने जो रोस्टर तय किया है उसके अनुपालन में हम उनको कितनी विद्युत दे रहे हैं कौन कौन सी ग्रिड में क्या-क्या फाल्ट हुआ है इसका पूरा विवरण विभाग के पास है और हम माननीय सदस्य को पूरा विवरण उनके जिले का उनकी विधान सभा का जिस बूथ पर वह रहते हैं वहां का जिस फीडर पर वह रहते हैं उस फीडर का पूरा विवरण हम माननीय सदस्य को दे देंगे।

नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न सं0-1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न के उत्तर की अनुपलब्धता के कारण ता0प्र0सं0-11 के उपरान्त ता0प्र0सं0-1 लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इस सदन के सभी सदस्यों को देंगे। यह विवरण अगले महीने या जब भी आपकी व्यवस्था ठीक हो जाए ।

श्री श्रीकान्त शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी आपका जो निर्देश है उसका अनुपालन किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को जहॉ वह रहते हैं उस फीडर का उस विधान सभा का उस जिले का पूरा विवरण हम उनको भेज देंगे।

प्रदेश की नयी खनन नीति बनाने एवं बालू एवं मौरंग पर सब्सिडी दिये जाने की जानकारी

***12-श्री अजय कुमार 'लल्लू' (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नयी खनन नीति लागू की गयी है ? यदि हां, तो उक्त नीति लागू किये जाने से सरकार के राजकोष में कितनी राजस्व प्राप्ति अनुमानित है ? क्या सरकार वर्तमान में बालू, मोरंग के विगत 06 माह से दो से तीन गुना बढ़े मूल्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में प्रचलित दर में जनहित में सब्सिडी प्रदान करते हुए गरीब जनता को भवन निर्माण में पड़ने वाले बोझ को कम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में रुपये 3200 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित है।

जी नहीं।

सब्सिडी प्रदान करने का प्राविधान उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में नहीं है।

प्रदेश में जल/मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर को बदलने के सम्बन्ध में जानकारी

***13-श्री उमाशंकर सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जले हुए ट्रान्सफार्मरों को बदलने हेतु कितना समय लगता है तथा जले हुए ट्रांसफार्मर के ट्रांसपोर्टिंग की क्या व्यवस्था है और यह किस तिथि से लागू है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि बदलने के बाद गारण्टी के मुताबिक उक्त ट्रांसफार्मर यदि नहीं चलता है तो उसके लिए किसकी जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है ? क्या सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

नगरीय क्षेत्र के नागरिकों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 48 घण्टे में बदला जाता है। क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को विभागीय वाहन द्वारा बदला जाता है। यह व्यवस्था दिनांक 01-05-2017 से लागू है।

गारण्टी अवधि के परिवर्तक क्षतिग्रस्त होने पर नया परिवर्तक आपूर्तिकर्ता द्वारा एवं मरम्मतशुदा परिवर्तक कार्यदायी फर्म द्वारा बिना किसी अतिरिक्त व्यय के पुनः मरम्मत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सीमान्त/लघु किसानों को 5 हार्सपावर नलकूप हेतु 500 मी0 तक की विद्युत लाइन निःशुल्क प्रदान करने की मांग

***14-श्री लाल जी वर्मा (अनुपस्थित)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीमान्त एवं लघु किसानों को 5 हार्सपावर तक नलकूप हेतु बिजली कनेक्शन लेने पर 500 मीटर तक की विद्युत लाइन निःशुल्क देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

वर्तमान में ट्रान्सफार्मर तथा लाइन चार्जेज हेतु प्रति कनेक्शन रु0 68000.00 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में यमुना नदी, हिण्डन नदी एवं अन्य बरसाती नदियों का बालू खनन करने का पट्टा मानक के अनुसार आवंटित करने विषयक जानकारी

01-श्री नरेश सैनी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र से सटे यमुना नदी, हिण्डन नदी एवं अन्य बरसाती नदियों पर एक खनन माफिया द्वारा विगत 10 वर्ष से अवैध रूप से बालू खनन करने तथा मानक से कई गुना गहरा खनन कर लेने के दृष्टिगत क्या सरकार नये मानक के अनुसार खनन पट्टा आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भू-तत्व एवं खनिकर्म राज्य मंत्री (श्रीमती अर्चना पाण्डेय)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थायी राशन कार्ड निर्गत कराने विषयक जानकारी

02-मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लम्बित रहने से आमजन को राशन न मिल पाने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में स्थायी राशन कार्ड निर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नये राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड के रूप में निर्गत करने की कार्यवाही विचाराधीन होने के दृष्टिगत राशन कार्ड के ड्राफ्ट प्रारूप का उपयोग करते हुए पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार राशन वितरण कराया जा रहा है।

नये राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड के रूप में छपवाये जाने पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा में लगे जर्जर पोलों एवं तारों को बदल कर केबिल लगाने विषयक जानकारी

03-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की नगरपालिका रसड़ा में लगे जर्जर विद्युत तारों को बदलकर केबिल तार एवं क्षतिग्रस्त खम्भों को सरकार बदलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा की नगर पालिका रसड़ा में लगे जर्जर विद्युत तारों को केबिल तारों (ए0बी0सी0) से एवं जर्जर खम्भों को नये खम्भों से बदले जाने का कार्य बिजनेस प्लान वर्ष 2017-2018 में प्रस्तावित हैं, जिसकी लागत लगभग रुपये 20.00/- लाख है।

उक्त योजना में धन आवंटन के उपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के सभी विधान सभा क्षेत्रों जहां पर विद्युत नहीं है वहां पर प्राथमिकता के आधार विद्युतीकरण कराने विषयक जानकारी

04-**मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के ऐसे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है, में क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कराया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद श्रावस्ती में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 12वीं योजना प्रभावी हैं जिसके अन्तर्गत चयनित ग्राम/मजरों के विद्युतीकरण का कार्य करा दिया गया है। अवशेष मजरों को पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पावर फॉर ऑल) योजनान्तर्गत चयनित कराकर दिसम्बर, 2018 तक विद्युतीकरण का कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विद्युत उपकेन्द्र खीरों में एक और विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक जानकारी

05-श्री राकेश सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विद्युत उपकेन्द्र खीरों के अधिभारित होने के कारण तमाम परेशानियों का सामना क्षेत्रवासियों को करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड खीरों में एक और विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराकर विद्युत व्यवस्था सुव्यवस्थित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-खीरों के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 कलुआ खेड़ा उपकेन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त उपकेन्द्र का निर्माण अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के 2007 से अद्यतन संविदा परिचालकों को गुण-दोष के आधार पर पुनः बहाल करने की जानकारी

06-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 से अद्यतन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अनेक संविदा परिचालकों की संविदा कतिपय आरोप लगाकर उन्हें बिना सुनवाई का मौका दिये समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संविदा परिचालकों को गुण-दोष के आधार पर पुनः सेवा में बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

वर्ष 2004 से परिवहन निगम में सेवा प्रदाता के माध्यम से परिचालकों को आबद्ध किया जाता था। सेवा प्रदाता से निष्पादित अनुबन्ध-पत्र में उल्लिखित शर्त ''यदि उपलब्ध कराया गया व्यक्ति बिना टिकट यात्री ले जाने अथवा किसी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसे कार्य से हटा दिया जाएगा'', के अनुसार कार्यवाही की जाती थी। सेवा प्रदाता से किये गये उक्त अनुबन्ध की शर्तों में सुनवाई का मौका दिये जाने की व्यवस्था नहीं थी।

वर्ष 2009 में परिवहन निगम द्वारा आवेदकों से सीधे अनुबन्ध निष्पादित करते हुए संविदा परिचालक पद हेतु आबद्ध किया जाता है। अनुबन्ध-पत्र में प्राविधानित शर्त के अनुसार कार्य न किए जाने पर संविदा परिचालकों की संविदा समाप्त की जाती थी। प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर आवेदकों के संविदा बहाली पर विचार किया जाता था।

परिवहन निगम के परिपत्र दिनांक 09-02-2012 में निहित व्यवस्थानुसार दिनांक 09-02-2012 से संविदा चालकों/परिचालकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।

ऐसे संविदा परिचालक, जिनका अनुबन्ध-पत्र परिवहन निगम से सीधे निष्पादित हुआ है, के द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने पर आर्बीट्रेशन समिति द्वारा सुनवाई के पश्चात् उनकी संविदा बहाली पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली बचत हेतु बल्ब/हाइड्रोजन की बिक्री पर रोक लगाने की मांग

07-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली बचत करने हेतु क्या सरकार बल्ब/हाइड्रोजन की बिक्री पर रोक लगाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव आने पर विचार किया जायेगा।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-खीरों में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कराने की मांग

08-श्री राकेश सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-खीरों में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का शिलान्यास किये जाने के पश्चात भी उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ

नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत उप केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराके क्षेत्रवासियों को विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-खीरों के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 कलुआ खेड़ा उपकेन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त उपकेन्द्र का निर्माण अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण हो जायेगा। जिससे क्षेत्रवासियों को विद्युत आपूर्ति कराई जा सकेगी।

माह अक्टूबर, 2017 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी के ग्राम पतौना के सस्ते गल्ले की दुकान की शिकायतों की जांच कराने विषयक जानकारी

09-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी के ग्राम पतौना के सस्ते गल्ले की दुकान शिकायतों के आधार पर निलम्बित होने की जांच कर खण्ड विकास अधिकारी, कटेहरी द्वारा जांच रिपोर्ट उप जिलाधिकारी, अकबरपुर अम्बेडकरनगर को भेजी गयी है ? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी, कटेहरी की जांच आख्या एवं पूर्ति निरीक्षक द्वारा शपथ-पत्र देने वाले कार्ड धारकों के स्थलीय सत्यापन में उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं पायी गयी। इसके अतिरिक्त मौके पर जांच के दौरान सुश्री विनीता देवी, उचित दर विक्रेता द्वारा अभिलेखों का रख-रखाव सही नहीं पाया गया और रेट बोर्ड भी अद्यतन नहीं किया गया था, जिसके दृष्टिगत उप जिलाधिकारी, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में सुश्री विनीता देवी, उचित दर विक्रेता की सम्पूर्ण अनुबन्ध धनराशि रु0 5000/- को जब्त करते हुए भविष्य के लिए सचेत करते हुए अनुबन्ध पत्र को बहाल कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत क्षेत्र के जनपद मुख्यालय से पतरहीं तथा बजरंग नगर कोईलारी बाजार तक परिवहन निगम की बस संचालन के सम्बन्ध में जानकारी

10-श्री दिनेश चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय से पतरही बाजार तथा जनपद मुख्यालय से बजरंग नगर कोईलारी बाजार तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें संचालित न होने के कारण जन सामान्य को

उक्त क्षेत्र में आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जौनपुर डिपो द्वारा जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद मुख्यालय से केराकत पतरही मार्ग पर जन मानस की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए माह अप्रैल, 2017 से ग्रामीण बस सेवा संचालित की जा रही है। इस सेवा का संचालन दिनांक 14-05-2017 से बजरंग नगर कोईलारी बाजार तक प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहालगंज में बिजली चोरी रोकने के लिए बंच कन्डेक्टर एरियर तार बिछवाने विषयक जानकारी

11-श्रीमती जय देवी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ, मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहालगंज में एरियल बंच कन्डक्टर (ए0बी0सी0) तार लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र माह अप्रैल, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद लखनऊ मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहालगंज में जर्जर तारों को बदलकर ए0बी0सी0 लगाये जाने हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 21,12,824.00 का प्राक्कलन/पैकेज की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। माह 30 नवम्बर, 2017 तक कार्य पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में लाइन मैंन की लाइन फाल्ट ठीक करते समय होने वाली दुर्घटना का बीमा कराने की या सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति की योजना बनाने विषयक जानकारी

12-श्रीमती नीलम करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन फाल्ट ठीक करने के लिए लाइन मैनों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानकानुसार लाइन मैनों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या लाइन मैनों को लाइन का फाल्ट ठीक करते समय होने वाली दुर्घटना का बीमा कराने या क्षतिपूर्ति दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभागीय लाइन मैन एवं अनुरक्षण स्टाफ की कमी होने के कारण नियमानुसार निविदा द्वारा संविदा कर्मियों की नियुक्ति अनुरक्षण कार्य हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार की जाती है। जो कि विद्युत लाइनों एवं अन्य विद्युत तंत्र के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जिससे आपूर्ति सुचारू बनाये रखना सुनिश्चित किया जाता है।

लाइनमैनों का पद सौ प्रतिशत पदोन्नति का पद है और इस पद पर कुशल श्रमिक से पदोन्नति की जाती है। इस पद पर पदोन्नति की कार्यवाही एक सतत प्रक्रिया है।

सतत प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में कार्मिकों की दुर्घटना होने पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियर/इंजीनियर विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु उसी क्षेत्र में निवास करे तथा उपलब्ध रहने की जानकारी

13-श्रीमती नीलम करवरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर इंजीनियर/इंजीनियर विद्युत व्यवस्था को सुचारु रखने की दृष्टिकोण से उसी क्षेत्र में निवास करें तथा उपलब्ध रहने से सम्बन्धित कोई दिशा-निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

क्षेत्र के सभी जूनियर इंजीनियर/इंजीनियर को विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने की दृष्टि से तैनाती स्थल पर निवास करने हेतु पूर्व में ही दिशा-निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की मेजा तहसील के भटौती आदि ग्रामों में गिट्टी के खनन हेतु ब्लास्टिंग से सैकड़ों गरीब ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त होने से क्षतिपूर्ति की मांग

14-श्रीमती नीलम करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की मेजा तहसील के भटौती आदि ग्रामों में गिट्टी के खनन हेतु किये गये ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के क्षतिग्रस्त हो गये मकानों की क्षतिपूर्ति सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद इलाहाबाद की मेजा तहसील के भटौती आदि ग्रामों में गिट्टी के खनन हेतु किये गये ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

रायबरेली के ब्लाक सलोन के अन्तर्गत ग्राम पारी के किसान सेवा केन्द्र में दिनांक 02-05-2017 में मिट्टी के तेल में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में कार्रवाई की जानकारी

15-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के ब्लाक सलोन के ग्राम-पारी के किसान सेवा केन्द्र में दिनांक 02-05-2017 को सप्लाई इंस्पेक्टर व तहसीलदार सलोन द्वारा ग्राम-सिद्धौर जगतपुर के लिए आवंटित मिट्टी के तेल का भरा हुआ एक ड्रम व एक खाली ड्रम पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर सम्बन्धित कोटेदार के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सलोन ग्राम पारी में किसान सेवा केन्द्र (पेट्रोल पम्प) पर दिनांक 02-05-17 को रात्रि 8.00 बजे पकड़े गये दोनों ड्रमों में पानी मिश्रित मिट्टी का तेल ग्राम पंचायत सिद्धौर के उचित दर विक्रेता से सम्बन्धित नहीं पाया गया।

प्रकरण की जांच टीम गठित करके करायी गयी तथा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर श्रीमती इन्द्रावती, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत सिद्धौर को कारण बताओं नोटिस निर्गत कर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। उचित दर विक्रेता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त कार्ड धारकों के प्रति विनम्र व्यवहार करने हेतु कोटेदार को सचेत किया गया तथा भविष्य के लिए कठोर चेतावनी देते हुए रु0 2000/- का अर्थदण्ड जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के रोहनिया, जगतपुर, गौरा, डलमऊ के अप्रैल, 2017 से माह मई, 2017 तक कोटेदारों को निलम्बित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

16-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार रोहनिया, जगतपुर, गौरा, डलमऊ में अप्रैल, 2017 से माह मई, 2017 तक कितने कोटेदारों को निलम्बित किया गया है तथा पूर्व के निलम्बित कितने कोटेदारों को बहाल किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर नियम विरुद्ध कोटा बहाली हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार, रोहनिया, जगतपुर, गौरा, डलमऊ में माह अप्रैल, 2017 से माह मई, 2017 तक कुल 05 कोटेदारों को निलम्बित किया गया है तथा पूर्व में निलम्बित 05 कोटेदारों को बहाल किया गया है।

प्रकरण में निलम्बन एवं बहाली की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आगरा में विद्युत कम्पनी टोरेन्ट पावर द्वारा ढोलीखार, कंटोला, घटिया आजम खां, नई बस्ती में अण्डर ग्राउन्ड केबिल डालने की जानकारी

17-डा0 जी0 एस0 धर्मेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कार्यरत विद्युत कम्पनी टोरेन्ट पावर ने अन्डर ग्राउन्ड केबिल डालने का कार्य क्या ढोलीखार, मन्टोला, घटिया आजम खां, नई बस्ती में पूर्ण कर लिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

ढोलीखार, मन्टोला, घटिया आजम खां, नई बस्ती क्षेत्रों में टोरेन्ट पावर द्वारा भूमिगत केबिल के बिछाने का कार्य अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक की अवधि में पूरा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति फेल होने पर उपभोक्ता को मुआवजा दिलाने विषयक जानकारी

18-श्री दलवीर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति फेल होने पर उपभोक्ता को मुआवजा दिये जाने के क्या-क्या प्रावधान हैं तथा पिछले पांच वर्षों में कितने ग्राहकों को विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि विभाग द्वारा अद्यतन विद्यमान प्राविधानों की जानकारी ग्राहकों को देने हेतु समय-समय पर कोई अभियान चलाया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वितरण कोड 2005 के क्लॉज 7.9 के संलग्नक-7.1 के अनुसार मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त नियम के तहत मुआवजा हेतु किसी भी विद्युत उपभोक्ता द्वारा कोई भी आवेदन नहीं किया गया है। अतः इस नियम के अन्तर्गत कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

भोगनीपुर के विधान सभा क्षेत्र में पावर की कमी को देखते हुए पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की मांग

19-श्री विनोद कुमार कटियार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात के 208-भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों पूर्व 2640 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट हेतु भूमि अधिग्रहीत हो गयी है किन्तु उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पावर प्रोजेक्ट का निर्माण प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकासकर्ता द्वारा पी0पी0ए0 के पश्चात् पूर्ण की जाने वाली शर्तों के लिये कुल 57 माह का समय विस्तार दिनांक 31-03-2017 को समाप्त हो गया। आदेश दिनांक 24-06-2017 द्वारा भोगनीपुर तापीय परियोजना फेस-1 एवं भोगनीपुर तपीय परियोजना फेस-2 के ऊर्जा क्रय अनुबन्ध समाप्त कर दिये गये हैं। अतः इन परियोजनाओं पर कोई निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में नलकूपों के विद्युत कनेक्शन धारक की मृत्यु पर उसका कनेक्शन वारिस के नाम करने के सम्बन्ध में जानकारी

20-श्री दलवीर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नलकूपों के विद्युत कनेक्शन धारक की मृत्यु पर उसका कनेक्शन वारिस के नाम करने पर किसान द्वारा पूर्व में जमा जमानत धनराशि व वर्तमान में जमा होने वाली जमानत धनराशि का अन्तर जमा करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक उपभोक्ता को पुराना ग्राहक मानते हुये उसके वारिस से जमानत धनराशि का अन्तर न लिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जमानत की धनराशि समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है जिसके अनुसार अन्तर की धनराशि उपभोक्ता को जमा करना आवश्यक है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में जांच कराकर कार्रवाई की मांग

21-श्री मोहम्मद रिजवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 29-कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की चालीस दुकानों के अनियमित रूप से किये गये अवैध निलंबन की जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधान सभा क्षेत्र 29 कुन्दरकी के क्षेत्रान्तर्गत तहसील बिलारी का कुन्दरकी विकास खण्ड एवं तहसील सदर का मूण्डापाण्डे विकास खण्ड आता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़, पारदर्शी एवं जनोपयोगी बनाये जाने हेतु पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों में वितरित होने वाले खाद्यान्न पर प्रभावी पर्यवेक्षण के निर्देश शासन द्वारा दिये गये। उक्त निर्देशों के अनुपालन में विधान

सभा क्षेत्र-29 कुन्दरकी के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2017 से माह जून, 2017 तक प्राप्त शिकायतों की स्थलीय जांचों में पायी गयी अनियमितताओं के लिए कुल 42 उचित दर दुकानों के विरुद्ध निलम्बन की कार्यवाही की गयी है। उचित दर दुकानों के विरुद्ध निलम्बन की उक्त कार्यवाही जांच में पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं/ठोस आधारों पर सम्यक परीक्षणोपरान्त ही की गयी है।

कानपुर के किदवई नगर में अधिक क्षमता वृद्धि वाले ट्रान्सफार्मर लगाने की मांग

22-श्री महेश द्विवेदी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर, जनपद कानपुर नगर में ट्रान्सफार्मरों की क्षमता से अतिरिक्त लोड होने के कारण आये दिन ट्रान्सफार्मर फुंक रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के उक्त ट्रान्सफार्मरों का सर्वेक्षण कराकर उनकी क्षमता वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जी हां।

कानपुर महानगर के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र किदवई नगर आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत आच्छादित है जिसका सर्वेक्षण विद्युत वितरण खण्ड किदवई नगर केस्को द्वारा करा लिया गया है। आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत 300 नग, 400 के0वी0ए0 के नये परिवर्तक एवं 600 नग 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि की जानी प्रस्तावित है। उपरोक्त योजना माह अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में अटरिया से कुंवरगड्डी होते हुए महमूदाबाद से सिधौली तक रोडवेज बस संचालित करने की मांग

23-डा0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में अटरिया से कुंवरगड्डी होते हुए महमूदाबाद तथा महमूदाबाद से सिधौली तक रोडवेज बस का संचालन वर्ष 2009 से बन्द कर दिये जाने के कारण जनसामान्य को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सभी मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतन्त्र देव सिंह-

विधान सभा क्षेत्र सिधौली में अटरिया से कुंवरगड्डी होते हुए महमूदाबाद के लिए सीतापुर डिपो की कोई भी बस सेवा पूर्व में संचालित नहीं हुई है।

महमूदाबाद से सिधौली के लिए पर्याप्त बस सेवाएं उपलब्ध हैं। यात्रियों की उपलब्धता एवं मांग के दृष्टिगत आवश्यक बस सेवाएं समय-समय पर संचालित की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर कचहरी, रेलवे, कसया, देवरिया आदि में बस स्टैण्ड पर यात्री निवास, प्रतिक्षालय, पेयजल, शौचालय, भोजनालय से सुसज्जित बस स्टेशन का निर्माण कराने की मांग

24-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ चिनहट, गोरखपुर कचहरी, रेलवे वर्डघाघ कसया, देवरिया, सोनौली, निचलौल, शाहपुर, दोहरीघाट, बढ़हलगंज, बस्ती, पडरौना, नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज के बस स्टैण्डों को (आई0एस0बी0टी0) आलमबाग, रामपुर बस स्टेशनों की तर्ज पर निर्मित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

गोरखपुर कचहरी, रेलवे, बर्डघाट (नौगढ़), कसया, देवरिया, सोनौली, निचलौल, दोहरीघाट, बदहलगंज, बस्ती, पडरौना, नौगढ़ (सिद्धार्थनगर), बांसी एवं डुमरियागंज में कई वर्ष पूर्व से बस स्टेशन अवस्थित हैं। कतिपय बस स्टेशन यथा नौगढ़ (सिद्धार्थनगर) गोरखपुर में कचेहरी, रेलवे स्टेशन, बर्डघाट (नौगढ़) बस स्टेशन का उच्चीकरण एवं पुनःनिर्माण किया जा रहा है। लखनऊ चिनहट में बस स्टेशन निर्माण हेतु परिवहन निगम स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। शेष स्थानों पर बस स्टेशनों का निर्माण/पुनर्निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। आलमबाग एवं रामपुर बस स्टेशन आई0एस0बी0टी0 नहीं है। अपितु आलमबाग बस स्टेशन पी0पी0पी0 मॉडल पर निर्माणाधीन है। बस स्टेशन ट्रान्सपोर्ट नगर आगरा, आई0एस0बी0टी0 है। उपरोक्त सभी बस स्टेशनों/डिपो कार्यशाला को आई0एस0बी0टी0 की तर्ज पर निर्मित करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ की गायत्री बिहार कालोनी नरपतखेड़ा वार्ड हैदरगंज-2 थाना पारा में अधिक क्षमता वाला ट्रान्सफार्मर लगाकर ए0बी0सी0 बंच केबिल लगाने की मांग

25-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गायत्री विहार कालोनी, नरपतखेड़ा, वार्ड-हैदरगंज-2, थाना-पारा, लखनऊ में लगा ट्रांसफार्मर कम क्षमता का एवं कालोनी के मुख्य मार्ग पर विद्युत आपूर्ति खुले तारों द्वारा होने से कालोनी में लो वोल्टेज की समस्या रहती है तथा उपकरण भी खराब होने से निवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में लगे कम क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता का ट्रान्सफार्मर एवं कालोनी के मुख्य मार्ग पर खुले तारों के स्थान में ए0बी0सी0 बंच केबिल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

गायत्री विहार कालोनी, नरपतखेड़ा, वार्ड-हैदरगंज-2, थाना-पारा, लखनऊ में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र सरोसा-भरोसा से पोषित ग्राम-गायत्री विहार, पारा में स्थापित परिवर्तक की क्षमता वृद्धि बिजनेस प्लान/प्रणाली सुधार योजना के अन्तर्गत 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 एवं उक्त क्षेत्र में लगे जर्जर तार के स्थान पर एरियल बन्च कण्डक्टर लगाये जाने के कार्य हेतु आवश्यक धनराशि रु0 5,54,888.00 के प्राक्कलन/पैकेज की स्वीकृति बिजनेस प्लान वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन तथा माह अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा एवं बेला पुरवा में विद्युत सप्लाई चालू कराने विषयक जानकारी

26-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ब्लाक महुआ के ग्राम-मोतियारी का पुरवा एवं बेला पुरवा का विद्युतीकरण विगत 8 माह पूर्व हो गया है किन्तु विद्युत सप्लाई अभी तक चालू नहीं की गयी है ? यदि हां, तो विद्युत सप्लाई चालू न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार जनहित में उक्त ग्रामों में विद्युत सप्लाई चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद बांदा के ब्लाक-महुआ के ग्राम-मोतियारी का पुरवा एवं बेला पुरवा की विद्युत आपूर्ति दिनांक 10-07-2017 को चालू करा दी गयी है।

सप्लाई चालू हो गयी है।

सप्लाई चालू हो गयी है।

सप्लाई चालू हो गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में 190-विधान सभा क्षेत्र में अप्रैल, 2017 में कुल कितने ट्रान्सफार्मर बदले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

27-श्री देवमणि द्विवेदी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे के अन्दर बदलने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त नीति के अन्तर्गत जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ, 190-विधान सभा क्षेत्र में माह अप्रैल, 2017 में कुल कितने ट्रांसफारमर कहां-कहां बदले गये व कितने दिन में बदले गये ? क्या उक्त से सम्बन्धित विवरण सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

माह अप्रैल, 2017 में विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ के अन्तर्गत 40 ट्रान्सफार्मर क्षतिग्रस्त हुए थे, जिसमें 37 ट्रान्सफार्मर 48 घण्टे के अन्दर बदल दिये गये थे, मात्र 3 ट्रान्सफार्मर 25 के0वी0ए0 सिंगल फेज होने के कारण 48 घण्टे के बाद बदल गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी घर बनाने हेतु खेत से मिट्टी निकालने की मांग

28-श्री मोहम्मद रिजवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषकों को निजी घर बनाने हेतु अपने खेत से कितनी मिट्टी उठाने की सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है ? क्या सरकार की घर में मिट्टी का पटान कराने की आवश्यकता अनुसार सुविधा देने की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में भवन निर्माण हेतु बिना रायल्टी व पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र के 10 ट्राली अर्थात 40 घनमीटर तक मिट्टी के उपयोग की अनुमति प्रदान की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जल परिवहन द्वारा जल मार्गों द्वारा कराई गयी योजना की जानकारी

29-श्री अमन मणि त्रिपाठी तथा श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल मार्गों पर जल परिवहन संचालित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा गंगा नदी पर विश्व बैंक के सहयोग से जलमार्ग विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनके तहत जनपद-वाराणसी एवं गाजीपुर में मल्टीमॉडल/इन्टरमॉडल टर्मिनल के निर्माण के सम्बन्ध में आई0डब्लू0ए0आई0 (इनलैण्ड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इण्डिया) द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर एवं 14 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके बन्दियों को मुक्त करने की जानकारी

30-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 60 वर्ष से ऊपर 14 वर्ष की सजा पूर्ण किये कितने बंदी हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि पूर्व की भांति फार्म-ए पर उन्हें मुक्त करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 14 वर्ष की सजा पूर्ण कर चुके सिद्धदोष बन्दियों की संख्या-730 है।

फार्म-ए के आधार पर सिद्धदोष बन्दियों की लाइसेन्स पर रिहाई यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्ति के अधीन गुणावगुण के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर से निर्णय लिये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वर्ष 2016-17 में अनु0 जाति/जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगार लोगों को कम्प्यूटर आशुलिपिक भाषा तथा सामान्य ज्ञान में प्रशिक्षण देने विषयक जानकारी

31-श्री नफीस अहमद-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016-2017 में प्रदेश के जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों पर निर्बल वर्गों तथा अनु0 जाति/जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के बेरोजगारों को कम्प्यूटर आशुलिपिक भाषा, सचिवीय पद्धति एवं सामान्य ज्ञान में प्रशिक्षण कितने लोगों को दिया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रदेश में संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा 2016-17 में 1140 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के ग्राम-छिछोरी, अकबरपुर, बैदरा में विद्युत सप्लाई कराने की मांग

32-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत ब्लाक-विलरियागंज के ग्राम-छिछोरी, अकबरपुर बैदरा में राजीव गांधी योजना में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है परन्तु लाइट सप्लाई न होने से लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा

जी हां।

जी हां।

कार्यदायी संस्था द्वारा विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। विद्युतीकरण का कार्य 31-08-2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में बिजली की आपूर्ति नियमित रूप से किये जाने की मांग

33-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में बिजली की आपूर्ति मानकानुसार नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कानपुर नगर में मानकानुसार विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

केस्को द्वारा कानपुर महानगर के नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में मानक के अनुसार ग्रिड से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हो रही है एवं औसतन 23 घण्टे 20 मिनट की

आपूर्ति की जा रही है। माह अप्रैल, 2017 में औसतन 23 घण्टे 26 मिनट, माह मई, 2017 में औसतन 23 घण्टे 05 मिनट तथा जून, 2017 में 23 घण्टे 18 मिनट विद्युत आपूर्ति की गयी। जनपद के तहसील, नगरों में 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे का रोस्टर है।

मानक के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निचलौल से पुनः बस डिपो का संचालित करने विषयक जानकारी

34-श्री प्रेमसागर पटेल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज में निचलौल बस डिपो से बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में निचलौल बस डिपो से पुनः बसें संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

महराजगंज जनपद में निचलौल बस डिपो से 46 बसें, जिसमें 04 अनुबन्धित बसें सम्मिलित हैं, वर्तमान में संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में परिवहन निगम डिपों में बसों के मानक की जानकारी

35-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में राज्य परिवहन निगम डिपो की ऐसी बसें जो मानकानुसार अपने निर्धारित आयु तथा निर्धारित कि0मी0 की सीमा पूर्ण कर चुकी हैं को हटाकर उनके स्थान पर नई बसों का संचालन सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

वर्तमान में बस्ती डिपो की कोई भी बस नीलामी के निर्धारित मानक को पूर्ण नहीं कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के तहसील भानपुर रूधौली में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने की जानकारी

36-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील-भानपुर तथा रूधौली में यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशन का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बस्ती की तहसील भानपुर तथा रूधौली में परिवहन निगम के स्वामित्व की कोई भूमि वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। अतः दोनों स्थानों पर बस स्टेशन का निर्माण कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में बिसवां से रामपुर कला होते हुए सिधौली से सीतापुर तक बस संचालन से प्राप्त आय एवं पुनः बस सेवा शुरू कराने की जानकारी

37-डा0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की सिधौली विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में बिसवां से रामपुर कलां होते हुए सिधौली से सीतापुर तक बस चल रही थी जिसके बन्द कर दिये जाने से क्षेत्रीय जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर पुनः बस का संचालन शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद सीतापुर की सिधौली विधान सभा क्षेत्र में बिसवां से रामपुर कलां-सिधौली होते हुए सीतापुर तक बस संचालित की गयी थी किन्तु आय एवं लोड फैक्टर कम प्राप्त होने के कारण उक्त सेवा बन्द कर दी गयी थी।

यात्रियों की आवश्यकता तथा मांग व निगम में उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत समय-समय पर नये मार्गों पर बस संचालन प्रारम्भ करने पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की घटतौली व बेईमानी को रोकने हेतु बायो मैट्रिक डिवाइस सिस्टम मशीन लगाने की जानकारी

38-श्री मोहम्मद रिजवान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न की घटतौली व बेईमानी को रोकने हेतु बायोमैट्रिक डिवाइस सिस्टम मशीन सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

खाद्यान्न वितरण में उचित दर दुकान स्तर पर बायोमैट्रिक मशीन लगाये जाने की कार्ययोजना है, जो पात्र लाभार्थी की पहचान को प्रमाणित करेगी। शहरी क्षेत्रों में लगा दिये गये हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में माह मार्च, 2018 लगाये जाने की योजना है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव गोविनापुर और बौरी में 33/11 के पावर हाउस की स्थापना एवं स्वीकृति की जानकारी

39-श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के जंगीपुर टाउन तथा गांव गोविनापुर और बौरी में 33/11 के0वी0ए0 के स्वीकृत पावर हाऊस का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार कारणों का निराकरण कराकर स्वीकृत पावर हाऊस का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-गाजीपुर में जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के जंगीपुर टाउन में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत दिनांक 23-05-2017 से प्रारम्भ हो गया है, जिसमें बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा नियन्त्रण कक्ष का निर्माण कार्य चल रहा है।

जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम-गोविनापुर में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य डी0डी0यू0जी0जे0वाई0 के अन्तर्गत दिनांक 12-06-2017 से चल रहा है जिसमें बाउण्ड्रीवाल एवं नियन्त्रण कक्ष दोनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यह उपकेन्द्र अभी तक स्वीकृत ही नहीं हुआ है, जिसके कारण निर्माण कार्य सम्भव नहीं हो पाया है।

जिन स्थानों पर कार्य चल रहा है वहां पर दिसम्बर, 2018 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के ब्लाक-नवाबगंज के ग्राम नरायणपुर शुक्लपुरवा में अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की जानकारी

40-श्री संजय गर्ग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के ब्लाक-नवाबगंज के ग्राम नरायणपुर शुक्लपुरवा में लगा ट्रांसफार्मर कम क्षमता एवं जर्जर अवस्था में होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या रहती है जिससे ग्रामीणों के विद्युत उपकरण खराब हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में कम क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर के स्थान पर अधिक क्षमता का नया ट्रान्सफार्मर लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के ब्लाक-नवाबगंज के ग्राम-नरायणपुर शुक्लपुरवा में 10 के0वी0ए0 क्षमता का परिवर्तक स्थापित है। परिवर्तक अतिभारित होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या है।

जी हां।

उक्त ग्राम में 10 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि करके 25 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित करने की कार्यवाही प्रगति पर है। दिनांक 30-07-2017 तक 25 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित कर दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ट्यूबवेल लगाने के लिये विद्युत कनेक्शन में छूट/सब्सिडी की जानकारी

41-श्री मोहम्मद रिजवान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी ट्यूबवेल लगाने हेतु सामान्य योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शनों पर कोई छूट/सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 300 मीटर की दूरी तक स्थापित कनेक्शन एवं लाइन चार्जेज में प्रति कनेक्शन रु0 68,000.00 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय बाल परियोजना के तहत हुए बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी

42-श्री नरेश सैनी-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत वर्ष 2000 में जनपद-सहारनपुर में 200 कर्मचारियों तथा प्रदेश में लगभग 4000 कर्मियों को सेवायोजित किया गया था ? यदि हां, तो वर्ष 2014 में उक्त परियोजना बन्द किये जाने से बेरोजगार हुए 4000 कर्मियों को किसी दूसरी योजना/विभाग में सरकार सेवायोजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में विद्यालय संचालनकर्ता स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक विद्यालय पर दो शैक्षिक अनुदेशक, एक व्यवसायिक अनुदेशक, एक हेल्पर व एक क्लर्क स्वयं सेवकों के रूप में मानदेय पर रखे गये थे। जनपद सहारनपुर में वर्ष 2000 से संचालित 40 विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में 200 स्वयं सेवक व प्रदेश के बुलन्दशहर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, कानपुर नगर व फिरोजाबाद में संचालित 454 विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में 2270 स्वयं सेवकों को विद्यालय संचालन अवधि हेतु संचालनकर्ता स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा मानदेय पर सेवायोजित किया गया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के संचालन बन्द किये जाने के उपरान्त बेरोजगार हुए स्वयं सेवकों को किसी दूसरी योजना या विभाग में सेवायोजित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागार बन्दी रक्षकों को भोजन भत्ता देने की मांग

43-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार बन्दीरक्षकों को नागरिक पुलिस, पी0ए0सी0 व अन्य पुलिस की तरह भोजन भत्ता देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन राज्य मंत्री (श्री जय कुमार सिंह जैकी)-

प्रकरण वित्त, वेतन समिति (2016) को विचारार्थ संदर्भित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोटेदारों के भ्रष्टाचार के समाप्त करने के लिये कार्य योजना बनाने एवं सतर्कता समितियों की जानकारी

44-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोटेदारों द्वारा राशन वितरण में की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटेदारों द्वारा राशन वितरण में अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-2490/29-06-2015-121सा/98, दिनांक 06-10-2015 द्वारा त्रिस्तरीय चेकिंग एवं रोस्टर व्यवस्था लागू की गयी है तथा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा नियमावली में जिला शिकायत निवारण प्रणाली एवं राज्य, जिला, ब्लाक एवं उचित दर दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है, जिससे वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता स्थापित हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के APL तथा BPL कार्ड धारकों को कोटे की दुकानों से मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने की जानकारी

45-श्रीमती सुनीता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को भी कोटे की दुकानों से रियायती दरों पर मिट्टी का तेल सरकार दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

जी नहीं। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थ परिवारों को ही मिट्टी का तेल देने की व्यवस्था की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना, ब्लाक किरतपुर के ग्राम छितावर में 100 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित कराये जाने की जानकारी

46-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना ब्लाक किरतपुर खण्ड ई0डी0डी0 बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम छितावर में स्थापित 100 के0वी0ए0 परिवर्तक की अतिभारिता समाप्त कर नया 100 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित कराने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त परिवर्तक कब तक स्थापित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

ग्राम-छितावर में स्थापित 100 के0वी0ए0 परिवर्तक की अतिभारिता समाप्त करने हेतु 100 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित करने का कार्य वर्ष 2016-17 बिजनेस प्लान के अन्तर्गत दिनांक 15-05-2017 को पूर्ण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर के ग्राम छितावर में 11 के0वी0ए0 लाइन के जर्जर तारों को बदलवाने की जानकारी

47-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर के ग्राम छितावर में सड़क व एल0टी0 लाइन को क्रास कर रही 11 के0वी0ए0 लाइन के जर्जर तारों को बदलवाने तथा गार्डिंग का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उक्त कार्य दिनांक 10-07-2017 को पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड के ग्राम मानिकपुर के मजरा वसाइतपुर उसरहवा में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

48-श्री लालजी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भीटी के ग्राम मानिकपुर के मजरा वसाइतपुर उसरहवा में विद्युतीकरण का कार्य जो कि वर्ष 2015 में प्रारम्भ किया गया था अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरे में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद-अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भीटी में वर्ष 2015 में ग्राम मानिकपुर, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में चयनित था। जिसका विद्युतीकरण माह मई, 2016 में पूर्ण हो

गया है तथा मजरा वसाइतपुर उसरहवा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं एवं 12वीं योजना में चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य लम्बित है।

जी हां।

जिले में विद्युतीकरण का कार्य लम्बित है, आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा पावर ऑफ आल योजना में सर्वे का कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत उक्त मजरों को चयनित किया जा रहा है। माह दिसम्बर, 2018 तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना ब्लाक किरतपुर खण्ड में एल0टी0 लाइन के जर्जर बिजली के तारों व टूटे पोल बदलने की जानकारी

49-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर, खण्ड ई0डी0डी0 बिजनौर में ग्राम छितावर एवं औरंगपुर कला में स्थापित 100 के0वी0ए0 परिवर्तकों से निर्गत एल0टी0 लाईन के जर्जर बिजली के तारों व टूटे पोल बदलने एवं लम्बे स्थानों में पोल लगाने का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद-बिजनौर के किरतपुर ब्लाक में औरंगपुर कला नाम का कोई ग्राम नहीं है। इस ब्लाक में औरंगपुर फत्ता नाम का ग्राम है, जिसके जर्जर बिजली के तारों एवं टूटे हुए पोलों को बदलने का कार्य वर्ष 2016-17 के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत था, जिसको 24-05-2017 को पूर्ण करा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम-छितावर में जर्जर तारों एवं टूटे पोलों को बदलने का कार्य वर्ष 2016-17 के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है, जो कि 31-07-2017 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना, ब्लाक किरतपुर खण्ड के पत्रांक संख्या-3464/27-10-2016 के सम्बन्ध में जानकारी

50-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर खण्ड ई0डी0डी0 बिजनौर के अन्तर्गत ग्राम नंगला इस्लाम ग्रामीण पोषक की मेन लाइन जो सत्संग भवन के पास से गुजर रहे हाई-वे क्रासिंग के बाद टूटा एस0टी0 पोल बदलवाकर गार्डिंग कराने विषयक वित्तीय लिंकेज की स्वीकृति का पत्रांक संख्या-3464/27.10.2016 के क्रम में क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उक्त कार्य दिनांक 24-01-2017 को पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के कन्जाभारी, भीखमपुर, बोहइयां, फुलारीपुर आदि में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

51-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत कन्जाभारी, भीखमपुर, बोहइयां, फुलवारीपुर चीनी मिल मोड़ बरमदियां, गुरदीनपुरवां के स्वीकृत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम-भीखमपुर, बोहइयां, फुलवारीपुर चीनी मिल रोड बरगदियां, गुरदीनपुरवा का कार्य बिजनेस प्लान 2015-16 के अन्तर्गत प्रगति पर है तथा उक्त कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

ग्राम-कन्जाभारी पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत चयनित है, कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबन्धानुसार उक्त कार्य जनवरी, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के नगर पालिका के सीमा के अन्तर्गत खेदौरा पर स्थित मकानों में बिजली की आपूर्ति हेतु पोल लगाये जाने की जानकारी

52-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत पी0डब्लू0डी0 गेस्ट हाउस के पीछे नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत खेदौरा पर स्थित मकानों को बिजली की आपूर्ति बल्ली/बांस लगाकर किये जाने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बिजली का पोल लगाकर बिजली की आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

पी0डब्लू0डी0 गेस्ट हाउस के पीछे स्थित मकानों को आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत विद्युत पोल लगा कर विद्युत नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। अनुबन्धानुसार उक्त कार्य जून, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ के ग्राम अमरौली सुभाली के चिरैया डाड में नलकूप सं0-111 से विद्युत आपूर्ति हेतु सीमेन्ट/लोहे के पोल लगाये जाने की जानकारी

53-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक सल्टौआ के ग्राम अमरौली सुमाली के चिरैया डाड दक्षिण पुरवे पर स्थित राजकीय नलकूप सं0-111 से गांव में विद्युत आपूर्ति लकड़ी के पोल लगाकर की जा रही है जिनसे कभी भी गम्भीर दुर्घटना हो सकती है ? क्या सरकार उक्त लकड़ी के पोलों को हटा कर सीमेन्ट अथवा लोहे के पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां, लकड़ी के पोल लगे हैं।

जी हां।

दिनांक 31-08-2017 तक लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर में सीमान्त/लघु कृषकों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने की मांग

54-श्री लालजी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीमान्त एवं लघु कृषकों को नलकूप हेतु मुख्य विद्युत लाइन से 500 मीटर की दूरी तक स्थापित 5 हार्स पावर तक विद्युत कनेक्शन निःशुल्क देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 300 मीटर की दूरी तक स्थापित कनेक्शन एवं लाइन चार्जेज में प्रति कनेक्शन रु0 68,000.00 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक कोतवाली खण्ड ई0डी0डी0 नजीबाबाद के ग्राम नैनपुरा सराय में जर्जर तार/पोल बदलने की जानकारी

55-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक कोतवाली खण्ड ई0डी0डी0 नजीबाबाद के ग्राम नैनपुरा सराय में जर्जर तार बदलना एवं लम्बी दूरी के स्थानों में पोल लगाने की वित्तीय स्वीकृति का पत्रांक-3460/27.10.2016 द्वारा उक्त कार्यों को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

माह अगस्त, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर खण्ड ई0डी0डी0 नजीबाबाद के ग्राम दूधली में जर्जर तार/पोल की वित्तीय स्वीकृति की जानकारी

56-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर खण्ड ई0डी0डी0-नजीबाबाद के ग्राम दूधली एवं ब्लाक कोतवाली बिजनौर के ग्राम महमूदपुर नारायण में जर्जर तार बदलना एवं लम्बी दूरी के स्थानों में पोल लगाने की वित्तीय स्वीकृति क्रमशः पत्रांक-3459/27-10-2016 एवं सं0-3497/28.10.16 द्वारा प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उक्त कार्य माह 08/2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम हकीकतपुर गंगवाली खण्ड ई0डी0डी0 नजीबाबाद में जर्जर तार/पोल लगाने की जानकारी

57-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम हकीकतपुर गंगवाली खण्ड-ई0डी0डी0-नजीबाबाद में जर्जर तार बदलने एवं लम्बी दूरी के स्थानों पर पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

कार्य प्रगति पर है। माह अगस्त, 2017 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर खण्ड ई0डी0डी0 नजीबाबाद के ग्राम भोजपुर में एल0टी0 लाइन में पड़ा जर्जर तार/पोल के वित्तीय स्वीकृति की जानकारी

58-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर खण्ड- ई0डी0डी0- बिजनौर के ग्राम भोजपुर में स्थापित 160 के0वी0ए0 परिवर्तक से निर्गत जर्जर बिजली तार बदलने एवं लम्बी दूरी के स्थानों पर पोल लगाने हेतु वित्तीय लिंकेज स्वीकृति सरकार ने पत्रांक संख्या-3493/28.10.16 द्वारा दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उक्त कार्य दिनांक 16-05-2017 को पूर्ण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के भपौली में 132 के0वी0ए0 सब-स्टेशन बनाये जाने की मांग

59-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में नया स्वीकृत निर्माणाधीन 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन भपौली का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र भपौली का निर्माण अधीक्षण अभियन्ता, लिफ्ट सिंचाई मण्डल वाराणसी के अनुरोध पर सिंचाई विभाग के जमा मद के अन्तर्गत करवाया जाना था। सिंचाई विभाग द्वारा जमा मद की पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गयी, अतः उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका। अद्यतन सिंचाई विभाग द्वारा जमा मद में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराई गयी आंशिक धनराशि को भी वापस किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रदेश के पेट्रोल पम्पों एवं खाद्य एवं रसद विभाग में हुई अनियमितता पर पेट्रोल/डीजल पम्पों एवं पेट्रोल कम्पनियों के कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की जानकारी

60-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेट्रोल पम्पों पर कई चिप मिलने, घटतौली एवं मिलावट पाये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेट्रोल पम्प मालिकों के साथ-साथ पेट्रोल कम्पनियों व उनके कर्मचारियों एवं खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के संलिप्तता में 120 बी0 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश संख्या-294/29-07-2017--1पी0पी0/2000, दिनांक 15 जून, 2017 द्वारा समस्त जनपदों को यह निर्देश दिये गये हैं कि पेट्रोल/डीजल पम्पों की घटतौली में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की जांच कराकर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में कुल 6745 पेट्रोल/डीजल पम्प हैं, जिनकी जांच पूर्ण हो चुकी है। इनमें से 194 पेट्रोल/डीजल पम्पों में प्रथम दृष्टया चिप या चिप लगने के साक्ष्य पाये गये हैं तथा 345 पेट्रोल/डीजल पम्पों में घटतौली पायी गयी है। अब तक 168 पेट्रोल/डीजल पम्पों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जा चुकी है और 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसी क्रम में विधिक माप विज्ञान विभाग के 02 वरिष्ठ निरीक्षकों की संलिप्तता परिलक्षित होने पर उन्हें निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर खण्ड नजीबाबाद के ग्राम दूधला के पत्रांक संख्या-859/16-17,18067/10-12-2016 के स्वीकृति के सम्बन्ध में

61-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर खण्ड-नजीबाबाद के ग्राम दूधला एवं दूधली में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने के कारण नया 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाने की वित्तीय स्वीकृति क्रमशः पत्रांक-864 व 859/16-17, 18067/10. 12.16 द्वारा प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद-बिजनौर के ब्लाक-किरतपुर खण्ड ई0डी0डी0 नजीबाबाद के ग्राम-दूधला एवं दूधली में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने के कारण नया 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाने का कार्य माह 08/2017 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर खण्ड नजीबाबाद के ग्राम सभाचन्दपुर में 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाये जाने की जानकारी

62-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर खण्ड-नजीबाबाद के ग्राम सभाचन्द्रपुर में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने के कारण 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाने की वित्तीय स्वीकृति का पत्रांक-802/16-17, 17460/28.11.16 द्वारा प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उक्त कार्य दिनांक 27-03-2017 को पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर खण्ड नजीबाबाद के ग्राम भरैकी में 100 के0वी0ए0 के परिवर्तक लगाये जाने की जानकारी

63-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर खण्ड-नजीबाबाद के ग्राम भरैकी में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने के कारण 100 के0वी0ए0 का

परिवर्तक लगाने की वित्तीय स्वीकृति का पत्रांक-805/16-17, 17464/28-11-16 द्वारा प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

कार्य दिनांक 27-03-2017 को पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक किरतपुर खण्ड नजीबाबाद के ग्राम कसौर के पत्रांक संख्या-18488/08-11-2016 के सम्बन्ध में स्वीकृति की जानकारी

64-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के ब्लाक किरतपुर खण्ड-बिजनौर के ग्राम कसौर में स्थापित 100 व 63 के0वी0ए0 परिवर्तक के अतिभारित होने के कारण अलग से एक 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित करने की वित्तीय स्वीकृति का पत्रांक-18488/8-11-16 द्वारा प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

ग्राम-कसौर में स्थापित 100 व 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने के कारण अलग से एक 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित करने का कार्य 2016-17 के बिजनेस प्लान में स्वीकृत है। उक्त कार्य दिनांक 31-07-2017 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान की जानकारी

65-श्री पारसनाथ यादव-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रदेश के बेरोजगारों हेतु श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित प्रदेश के सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत

बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार अवसरों के अनुरूप विषय चयन में सहायता एवं रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है तथा रोजगार मेलों का आयोजन कर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के परिवहन निगम के ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की जानकारी

66-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की आजमगढ़ से लखनऊ की ओर जाने वाली सभी 12 ए0सी0 बसें जो अम्बेडकरनगर जनपद के मुख्यालय से होकर ही गुजरती हैं, में मात्र एक ए0 सी0 बस में यात्रा का विकल्प उपलब्ध होने से अकबरपुर के यात्रियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार परिवहन निगम के ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में उक्त मार्ग के सभी बसों में अकबरपुर के यात्रियों हेतु विकल्प उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अन्तर्गत 05 ए0 सी0 बसें आजमगढ़-अकबरपुर-फैजाबाद-लखनऊ मार्ग पर संचालित होती हैं, जिसमें अकबरपुर से यात्री मिलने पर परिचालक द्वारा टिकट बना कर यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी। अब परिवहन निगम के ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में उक्त मार्ग पर संचालित 05 बसों में अकबरपुर से ऑनलाइन अग्रिम आरक्षण की सुविधा प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर उपलब्ध करा दी गयी है।

परिवहन निगम के ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में उक्त मार्ग पर संचालित 05 ए0 सी0 बसों में अकबरपुर से ऑनलाइन अग्रिम आरक्षण की सुविधा प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर उपलब्ध करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के 3 मई से 20 मई के बीच पेट्रोल पम्पों की जांच में हुई घटतौली में एफ0आई0आर0 दर्ज करने विषयक जानकारी

67-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 03 मई, 2017 से 20 मई, 2017 के मध्य कई पेट्रोल पम्पों पर हुई जांच में वहां घटतौली के लिए चिप व डिवाइस लगे हुए या लगे होने के सबूत मिले हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 03 मई, 2017 से 20 मई, 2017 तक 1652 पम्पों की जांच की गयी जिसमें बी0पी0सी0एल0 के 07, एच0पी0सी0एल0 के 03, आई0ओ0सी0एल0 के 10 तथा एस्सार के 01 कुल 21 पेट्रोल/डीजल पम्पों में चिप अथवा चिप लगे होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाये गये हैं। इनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित महात्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गरीबों/मजदूरों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

68-श्री राकेश सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाने के बाद भी प्रदेश में उक्त योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत गरीबों/मजदूरों को भोजन भी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 प्रदेश में दिनांक 01 मार्च, 2016 से लागू है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के चयनित लाभार्थियों को 02 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से गेहूं तथा 03 रु0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से चावल वितरित कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी में बस डिपो के निर्माण की जानकारी

69-श्री लाल बहादुर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के प्रस्तावित बस डिपो के लिए विभाग द्वारा अधिग्रहीत 20851 हेक्टेयर भूमि में से मात्र 0.445 हेक्टेयर विवादित भूमि को छोड़ कर शेष भूमि पर डिपो का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद कौशाम्बी में उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पास उपलब्ध निर्विवाद भूमि पर बस स्टेशन का निर्माण उपलब्ध बजट/संसाधन पर निर्भर होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ट्रान्सफार्मर क्षमता वृद्धि के लिए सीधे स्टोर से ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि कराने की मांग

70-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में विद्युत ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के लिए विद्यमान आंगणन मांग की प्रक्रिया को समाप्त कर सीधे स्टोर से ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि कराये जाने की कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परिवर्तक क्षमतावृद्धि के लिए विद्यमान आगणन मांग की प्रक्रिया को समाप्त कर सीधे स्टोर में परिवर्तक क्षमतावृद्धि कराये जाने की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

वर्तमान नीति में वितरण खण्ड एच0टी0/एल0टी0 भार वृद्धि होने पर आगणन (इस्टीमेट) तैयार करते हैं। स्वीकृत आगणन को विभिन्न योजनाओं यथा बिजनेस प्लान, व्यापार विकास निधि में वितरण खण्डों द्वारा सक्षम स्तर से पैकेज स्वीकृत कर मांग-पत्र भण्डार खण्ड को भेजा जाता है तद्नुसार मांग पत्र पर भण्डार खण्ड द्वारा परिवर्तक निर्गत किया जाता है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत रमौली में बन्द विद्युत उपकेन्द्र को पुनः चालू कराने की मांग

71-श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में रमौली विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कराकर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

उपकेन्द्र के कण्ट्रोल रूम का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्विचयार्ड में स्ट्रक्चर खड़े किये जा रहे हैं। 33 के0वी0 लाइन के सभी पोल खड़े किये जा चुके हैं। फिटिंग बांधी जा रही है।

दिनांक 31-10-2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक पुरवा, हिलौली, असोहा एवं बिछिया में आवंटित राशन दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही करने की जानकारी

72-श्री अनिल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक-पुरवा, हिलौली, असोहा एवं बिछिया के अन्तर्गत कितने आवंटित राशन दुकानदारों के विरुद्ध राशन वितरण में की जा रही अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशन दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद उन्नाव के तहसील पुरवा के ब्लाक-पुरवा, हिलौली, असोहा में दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 01-07-2017 तक राशन वितरण के सम्बन्ध में कुल 06 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 01 उचित दर दुकान निलम्बित की गयी है, 03 उचित दर दुकानों की जांच प्रक्रिया में है,

शेष 02 शिकायतें निक्षेपित की जा चुकी हैं। इसी प्रकार तहसील सदर के ब्लाक बिछिया में विगत 01 वर्ष में कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 03 उचित दर दुकानें निलम्बित की गयी हैं, 01 उचित दर दुकान निरस्त की गयी है तथा 01 उचित दर दुकान की प्रतिभूति की धनराशि रु0 5000/- जब्त की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम फुलवारीपुर, बरगदिया चीनी मिल रोड आदि में राजीव गांधी विद्युतीकरण फेस-2 से काम पूर्ण कराने की मांग

73-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम फुलवारीपुर, बरगदिया चीनी मिल रोड, कंजाभारी, भीखमपुर, बोहइया तथा गुरूदीनपुरवा में बिजनेस प्लान/व्यापार विकास निधि/राजीव गांधी विद्युतीकरण फेज-2 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम-भीखमपुर, बोहइया, फुलवारीपुर चीनी मिल रोड बरगदिया, गुरूदीनपुरवा का कार्य बिजनेस प्लान 2015-16 के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है तथा दिनांक 31-07-2017 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

ग्राम कन्जाभारी पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत चयनित है, कार्यदायी संस्था द्वारा अनुबन्धानुसार उक्त कार्य जनवरी, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रदेश में करछना पावर (तापीय विद्युत गृह) लगाने की जानकारी

74-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वीकृत करछना पावर प्लाण्ट (तापीय विद्युत गृह) स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

वर्तमान में करछना पावर प्लान्ट के निर्माण की समय-सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है क्योंकि परियोजना के निर्माण हेतु बनाई गई एस0पी0वी0-''मे0 संगम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि0'' के अन्य विकासकर्ता को हस्तान्तरण के प्रकरण का समाधान होना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के परिवहन निगम की बसों के आपातकालीन दरवाजों की जांच नियमित रूप से कराये जाने की जानकारी

75-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 जून, 2017 की रात बरेली-लखनऊ हाई-वे पर हुई दुर्घटना में परिवहन निगम की गोंडा डिपो की बस का आपातकालीन दरवाजा नहीं खुलने के कारण इस दुर्घटना में 24 लोगों की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु परिवहन निगम की बसों के आपातकालीन दरवाजों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

उक्त दिवस को गोण्डा डिपो की संचालित बस को सन्दर्भित ट्रक चालक द्वारा अनियंत्रित रूप से संचालित करते हुए बस के डीजल टैंक तथा आपातकालीन दरवाजे के पास जोरदार टक्कर मारी गयी, जिसके कारण आपातकालीन दरवाजा बस की बाडी से चिपक गया जिससे दरवाजा नहीं खुल सका। जोरदार आवाज के साथ डीजल टैंक के फटने से बस में आग लग गयी जिससे यात्रियों की मृत्यु हो गयी।

आपातकालीन दरवाजे की जांच एक अनवरत प्रक्रिया है एवं दैनिक रूप से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम कोदौरा व ग्राम हैठी में विद्युत आपूर्ति किये जाने की जानकारी

76-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम कोदौरा, हैठी, ढडारमऊ तथा सटल्लापुर में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस वित्तीय वर्ष में ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त गांवों में विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम सटल्लापुर में विद्युत आपूर्ति तथा ग्राम-ढडारमऊ की लाइन 20-03-2017 को पूर्ण कर दी गयी है तथा विद्युत आपूर्ति हो रही है।

ग्राम कोदौरा, हैठी का कार्य पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत चयनित है। उपरोक्त कार्य दिसम्बर, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बदलापुर के मंशानुपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे तथा तहसील क्षेत्रों में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति एवं सब-स्टेशन के निर्माण की जानकारी

77-श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में विद्युत स्टेशन की क्षमता कम होने तथा लोड ज्यादा होने पर बिजली सप्लाई करने में दिक्कत उत्पन्न होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत स्टेशन पर लोड को कम करने के लिए बाबूगंज में सब-स्टेशन का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां। पूर्व में कठिनाई थी।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिंगरामऊ पर स्थापित 1x5 एम0वी0ए0 से 5+8 एम0वी0ए0 लगाकर उपकेन्द्र की क्षमतावृद्धि एवं 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सहोदरपुर पर स्थापित 1x5 एम0वी0ए0 से 5+8 एम0वी0ए0 कर दिया गया है। विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। उपरोक्त दोनों विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि हो जाने के उपरान्त बाबूगंज में उपकेन्द्र निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिंगरामऊ पर स्थापित 1x5 एम0वी0ए0 से 5+8 एम0वी0ए0 दिनांक 13-06-2017 एवं 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सहोदरपुर पर स्थापित 1x5 एम0वी0ए0 से 5+8 एम0वी0ए0 दिनांक 16-06-2017 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बिजली के जर्जर तारों को बदलवाने की जानकारी

78-श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में 11000 वोल्ट के सभी जर्जर विद्युत तारों को सरकार बदलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

कुल 10.5 कि0मी0 स्वीकृत कार्य में से 8.64 कि0मी0 कार्य हो गया है। उक्त सम्पूर्ण कार्य दिनांक 31-08-2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराकर विद्युत आपूर्ति करने की जानकारी

79-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, उन गांवों में विद्युतीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

पूर्वान्चल के वंचित बसावटों के विद्युतीकरण हेतु 24x7 (पावर फार आल) के अन्तर्गत घर-घर विद्युत पहुंचाने के लिए मे0 आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 को दिनांक 07-06-2017 को सर्वे के कार्य हेतु एल0ओ0आई0 निर्गत कर दी गयी है। मे0 आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा सर्वे का कार्य कराया जा रहा है तथा फर्म द्वारा सर्वे का कार्य सितम्बर, 2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। मे0 आर0ई0सी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा बनाये गये डी0पी0आर0 को मे0 आर0ई0सी0 से अनुमोदन एवं धन आवंटन के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य किया जायेगा। उक्त कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में परिवहन निगम की ग्रामीण बस का संचालन कराये जाने की जानकारी

80-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र-छपरौली में यातायात की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जनता को डग्गामार बसों, ट्रकों, टैम्पो में यात्रा करनी पड़ती है जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में छपरौली विधान सभा क्षेत्र में मार्गों का सर्वे कराकर परिवहन निगम की ग्रामीण बस सेवा संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में उ0प्र0 परिवहन निगम की पर्याप्त मात्रा में यातायात व्यवस्था उपलब्ध है।

यात्रियों की उपलब्धता तथा मांग व निगम में उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत समय-समय पर नये मार्गों पर बस संचालन प्रारम्भ करने पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के खनिज विभाग में व्यवस्थित चेक पोस्ट को स्थापित किये जाने की मांग

81-श्री जटा शंकर त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्य प्रदेशों से आने वाले उप खनिजों (बालू, मौरंग) के परिवहनों से संबंधित प्रपत्रों की वैधता की जांच हेतु चेक पोस्ट पर जांच व्यवस्था बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

82-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

[04 थे बुधवार के अता0प्र0सं0-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मोहनलालगंज के सभी ग्रामीण अचंल के गांवों में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति ग्रामीण रोस्टर के अनुसार विद्युत बिल शहरी क्षेत्र के अनुसार लेने के सम्बन्ध में जानकारी

83-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के सभी ग्रामीण अंचलों के गांवों में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति ग्रामीण रोस्टर के अनुसार की जाती है, किन्तु विद्युत बिल की वसूली शहरी क्षेत्र के अनुसार की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विद्युत बिल ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार वसूलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज तहसील के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में 18.00 से 20.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस क्षेत्र में लगभग शत-प्रतिशत मीटर्ड उपभोक्ता हैं तथा 24.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति करना प्रक्रियाधीन है।

जनपद हरदोई के ब्लाक भरावन के ग्राम महीठा तथा पंचमखेड़ा गांव में विद्युत आपूर्ति किये जाने की जानकारी

84-श्री राजकुमार अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई, ब्लाक भरावन के ग्राम महीठा तथा पंचमखेड़ा में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में विद्युत आपूर्ति बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

जनपद हरदोई, ब्लाक भरावन के ग्राम महीठा तथा पंचमखेड़ा के विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 31-08-2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बलिया की तहसील बिल्थरा के ग्राम तरछापार में 63/100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाने की मांग

85-श्री पारसनाथ यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा रोड (सीयर) के अन्तर्गत ग्राम तरछापार में स्थापित 63 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर को उच्चीकृत कर 100 के0वी0ए0 करने हेतु वर्ष 2016 में धन स्वीकृति के बाद भी उक्त कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

जनपद बलिया की तहसील-बेल्थरा रोड (सीयर) के अन्तर्गत ग्राम-तरछापार में स्थापित 63 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर को उच्चीकृत कर 100 के0वी0ए0 करने सम्बन्धी स्वीकृत, आदेश सं0-3303, दिनांक 30-11-2016 के द्वारा कर दिया गया है। भण्डार खण्ड से ट्रांसफार्मर प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 29-06-2017 को मौके पर स्थापित एवं ऊर्जीकृत करा कर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत के गाजीपुर-वाराणसी मार्ग पर बस डिपो का निर्माण कराने की मांग

86-श्री दिनेश चौधरी-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत तहसील में गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी आदि स्थानों तक आवागमन हेतु राज्य परिवहन बस डिपो/बस अड्डा न होने के कारण आम जनता को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार केराकत में राज्य परिवहन बस डिपो का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

केराकत से जौनपुर डिपो बस स्टेशन की दूरी मात्र 30 कि0मी0 तथा केराकत से वाराणसी की दूरी 45 कि0मी0 है। अतः केराकत में बस डिपो बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

केराकत में निगम के स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध भी नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में राशन वितरण प्रणाली पर राशन माफियाओं के कब्जे को मुक्त कराने की मांग

87-श्री धनन्जय कन्नौजिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बेल्थरा रोड विधान सभा क्षेत्र में राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न देने की योजना में कोटेदारों द्वारा मन मुताबिक राशन कार्ड बनवाकर राशन वितरण में की जा रही अनियमितता की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उच्च स्तरीय जांच करा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

जी नहीं।

शिकयतें संज्ञान में आने पर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-320/29-6-2015, दिनांक 30-01-2015 में दिये गये निर्देशों के अनुसार पात्रता का चयन ऑनलाइन डाटा, पूर्व प्रचलित अन्त्योदय योजना एवं ए0पी0एल0 योजना के लाभार्थियों में से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र)/अधिशासी अधिकारी (नगरीय क्षेत्र) के माध्यम से कराया गया। इसी क्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-2160/खा0सु0-01/2013, दिनांक 24-05-2016 के क्रम में ग्राम सभा वार/वार्डवार खुली बैठकों का आयोजन कराकर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी के माध्यम से लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य कराया गया। तद्नुसार अपात्र पाये गये व्यक्तियों का नाम सूची से हटाकर पात्र व्यक्तियों का नाम शामिल किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों का सत्यापन शासनादेश संख्या-7/2017/631/29-6-2017-104सा/09टीसी-10, दिनांक 27-04-2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पुनः कराया जा रहा है। सत्यापन में अपात्रों को सूची से निष्कासित करते हुए उनके स्थान पर पात्रों को चयन कराया जा रहा है तथा प्राप्त सूची को ऑनलाइन फीड किया जा रहा है।

प्रदेश के परिवहन निगम में संविदा पर कार्यरत महिला कर्मियों के स्थायीकरण करने की जानकारी

88-डा0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे में कार्यरत महिला कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हो गयी है, का स्थायीकरण सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त/कार्यरत समस्त महिला कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हो गई है, का उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी (अधिकरियों से भिन्न) सेवा नियमावली-1981 के विनियम-27, 28 में प्राविधानित शर्तों के अधीन स्वतः स्थायीकरण हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर विधान सभा क्षेत्र कसमण्डा के ग्राम जयरामपुर में पूर्ति निरीक्षक सिधौली द्वारा महिला कोटेदार से रिश्वत लेने की जानकारी

89-डा0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 मई, 2017 जो जनपद सीतापुर की विकास खण्ड कसमण्डा के ग्राम

जैरामपुर की महिला कोटेदार को निलम्बित कर जेल भेजने की धमकी देने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के प्रश्नगत शिकायती-पत्र के साथ संलग्न श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री हरद्वारी लाल, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत जैरामपुर, विकाय खण्ड कसमण्डा, तहसील सिधौली, जनपद सीतापुर के शिकायती-पत्र व शपथ-पत्र में झूठी शिकयत पर कोटा निलम्बित किये जाने तथा बहाली हेतु धनराशि रु0 1.00 लाख की मांग करने की शिकायत की गयी है। विक्रेता द्वारा धनराशि रु0 1.00 लाख दिये जाने पर असमर्थता जतायी गयी है, फिर भी विक्रेता द्वारा एफ0आई0आर0 के डर से रु0 56,000/- जेवर व जमीन गिरवी रखे गये। उक्त प्रकरण की जांच जिला पूर्ति अधिकारी, सीतापुर द्वारा सुनीता देवी, उचित दर विक्रेता/शिकायतकर्ता व अन्य शपथकर्ताओं से सम्पर्क करके एवं उनके बयान अभिलिखित करके की गयी है। जांच में प्राप्त बयानों में शिकयतकर्ता/शपथकर्ताओं के बयानों में परस्पर भिन्नता पायी गयी है। शिकायकर्ता/शपथकर्ताओं द्वारा अपने बयान के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में पूर्ति निरीक्षक, सिधौली द्वारा अवैध रूप से धनराशि वसूल किये जाने की शिकायत सत्य नहीं पायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के किसानों को विद्युत नलकूप का कनेक्शन दिये जाने की मांग

90-श्री सोबरन सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दोहित जोन एवं अति दोहित जोन के बंद नलकूपों को विद्युत कनेक्शन देने हेतु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई सुझाव दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मैनपुरी के डार्क जोन के किसानों हेतु विद्युत नलकूप कनेक्शन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के केन्द्रीय भू-गर्भ जल आयोग द्वारा तय किये गये मानकों के आधार पर दोहित एवं अति दोहित क्षेत्र परिभाषित किये जाते है। वर्तमान नीतियों के तहत केन्द्रीय भू-गर्भ जल आयोग द्वारा ही इसमें संशोधन किया जायेगा।

जनपद लखनऊ हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कलां में त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज के पीछे बाग में रखे ट्रान्सफार्मर को महिपतमऊ जाने वाली पावर लाइन से जोड़े जाने की जानकारी

91-श्रीमती जय देवी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कलां में त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज के पीछे बाग में रखे ट्रान्सफार्मर को त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज के

चौराहे पर महिपतमऊ जाने वाली पावर लाइन से जोड़ने विषयक श्री कौशल किशोर सांसद का पत्र दिनांक 07-06-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद लखनऊ के हरदोई रोड स्थित ग्राम बरावन कलां में त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज के पीछे बाग में रखे ट्रान्सफार्मर को त्रिलोकी सिंह इण्टर कालेज के चौराहे पर महिपतमऊ जाने वाली पावर लाइन से जोड़ने के सम्बन्ध में आवेदनकर्ता द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर आदि हटाने हेतु विद्युत अवस्थापना/ट्रांसफार्मर हटाने में आने वाले व्यय को विभाग में जमा कराकर एवं स्थान उपलब्ध होने पर परिवर्तक विस्थापन कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के कैसरबाग बस अड्डे से मलिहाबाद के मध्य सिटी बस चलाने के सम्बन्ध में जानकारी

92-श्री संजय गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नं0-119934, दिनांक 19-05-2017 जो लखनऊ नगर के कैसरबाग बस अड्डा से मलिहाबाद के मध्य सिटी बस चलाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

परिवहन निगम के कैसरबाग डिपो से लखनऊ मलिहाबाद-माल-जिन्दाना मार्ग पर ग्रामीण बस सेवा संचालित है जो लखनऊ से 18.00 बजे प्रस्थान कर मलिहाबाद होते हुए 19.45 बजे जिन्दाना पहुंचती है। जिन्दाना से बस प्रातः 8.00 बजे प्रस्थान कर लखनऊ 09.45 बजे पहुंचती है।

इसके अतिरिक्त लखनऊ से मलिहाबाद होते हुए हरदोई व अन्य स्थानों तक जाने वाली परिवहन निगम की ग्रामीण बस सेवाएं कैसरबाग बस स्टेशन से 20 से 25 मिनट के अन्तराल पर उपलब्ध हैं, जिनका स्टॉपेज भी मलिहाबाद निर्धारित है। परिवहन निगम की ग्रामीण बस सेवा का कैसरबाग-मलिहाबाद मार्ग के यात्रियों को परिवहन सुविधा का लाभ मिल रहा हैं।

कैसरबाग से मलिहाबाद तक नगर बस सेवा का संचालन पूर्व में दुबग्गा डिपो द्वारा किया जा रहा था। मार्ग पर परिवहन निगम की अनेक सेवाएं मलिहाबाद होते हुए विभिन्न स्थानों के लिए संचालित की गयी थी। काफी प्रयास के उपरान्त भी यात्रियों द्वारा नगरीय बसों में यात्रा करने में कोई रूचि नहीं ली गयी, फलस्वरूप इस मार्ग पर आय भी संतोषजनक प्राप्त नहीं हुई। अतः उक्त मार्ग पर नगर बसों का संचालन जारी रखना उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मर्टिनगंज में स्थापित ट्रान्सफार्मर की क्षमता 25 के0वी0ए0 करने की जानकारी

93-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 01/स0वि0स0 दीदारगंज दिनांक 26-05-2017 जो ग्राम पकरौल विकास खण्ड-मार्टिनगंज में स्थापित 10 के0वी0ए0 का परिवर्तक को 25 के0वी0ए0 किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमता वृद्धि हेतु लाइन के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है तथा दिनांक 20-08-2017 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड महमदपुर के ग्राम देवा में स्थापित ट्रान्सफार्मर की क्षमता 25 के0वी0ए0 किये जाने की जानकारी

94-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 02/स0वि0स0 दीदारगंज, दिनांक 26-05-2017 जो ग्राम देवा विकास खण्ड महमदपुर, जनपद आजमगढ़ में स्थापित 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफारमर की क्षमता वृद्धि किये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त परिवर्तक की क्षमता वृद्धि कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जायेगी ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

उपरोक्त कार्य कराये जाने विषयक सर्वेक्षण में वर्तमान में स्थापित परिवर्तक अधिभारित नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज के ग्राम महमदपुर-निजामबाद तक सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने की जानकारी

95-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 05/स0वि0स0 दीदारगंज दिनांक 26-05-2017 जो कि विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज, महमदपुर, फूलपुर और निजामबाद में विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से जन सामान्य तक पहुंचाये जाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

भीषण आंधी-तूफान के कारण क्षतिग्रस्त लाइनों के अनुरक्षण का कार्य कराते हुए सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्थानीय निकायों पर ऊर्जा विभाग का विद्युत बकाये का भुगतान की वसूली किये जाने की जानकारी

96-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय निकायों पर ऊर्जा विभाग का कितना विद्युत मूल्य बकाया है ? क्या सरकार उक्त बकाया धनराशि की वसूली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

प्रदेश के स्थानीय निकायों के अन्तर्गत 14 नगर निगम, 198 नगर पालिका एवं 424 नगर पंचायत के जलकल एवं मार्ग प्रकाश की मद में ऊर्जा विभाग का दिनांक 31-03-2017 तक कुल रु0 1405.62 करोड़ का विद्युत मूल्य बकाया है।

जी हां।

वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के परिवहन निगम के बसों के संचालन के सन्दर्भ 03 अप्रैल, 2017 को दिये गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

97-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम की बसों का संचालन कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 03 अप्रैल, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के विभिन्न मार्गों पर परिवहन निगम की निम्नानुसार बस सेवा संचालित है :--

(1) छपरौली से रठौडा, मुकन्दपुर, किशनपुर, बिराल, गांगनौली, दोघट, पुषार, बरनावा, मेरठ तक यात्रियों की सुविधा अनुसार मेरठ डिपो की 02 वाहनों से 02 अप व 02 डाउन ट्रिप नियमित रूप

से वर्तमान में संचालित है तथा लोनीमोड़-बागपत-बड़ौत-बिनौली-बरनावा-सरधना-दौराला-मवान-हस्तिनापुर तक बड़ौत डिपो की 02 निगम बसों से 02 अप व 02 डाउन ट्रिप नियमित रूप से संचालित करा दी गयी है।

(2) इसी प्रकार बड़ौत से किशनपुर बिराल, गांगनौली, दोघट, टीकरी तथा टीकरी से इसी मार्ग से होते हुए बड़ौत-बागपत-लोनीमोड़-दिल्ली तक बड़ौत डिपो की 02 बसें 01 अप व 01 डाउन ट्रिप नियमित रूप से संचालित करायी जा रही है। टीकरी से निरपुडा के लिए सेवा संचालित नहीं है क्योंकि मार्ग सिंगल है। साथ ही निरपुडा से भडल-दाहा आने के लिए निरपुडा गांव से गुजरना पड़ता है, जहां पर तीव्र मोड़ होने के कारण बसों का मुड़ना संभव नहीं है। इस मार्ग पर आगे 02 कि0मी0 पर बड़ौत-मुजफ्फरनगर मार्ग पर स्थित दाहा धर्मकांटे से झुण्डपुर-बोपुरा, मिलाना मार्ग सिंगल व सकरा एवं तीव्र मोड़ होने कारण बड़ा वाहन चलाना संभव नहीं है।

(3) उक्त के अतिरिक्त बड़ौत से छपरौली-टांडा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा अनुसार बड़ौत डिपो की 04 बसें 16 अप-16 डाउन ट्रिप पर वर्तमान में संचालित हैं। इसी प्रकार टांडा से रमाला-बिराला-बड़ौत मार्ग पर भी 16 अप एवं 16 डाउन ट्रिपों पर बडौत डिपो की बसें संचालित करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैस एजेन्सियों द्वारा की जा रही सिलेण्डरों में घटतौली को रोकने की कार्य योजना की जानकारी

98-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गैस एजेन्सियों द्वारा गैस सिलेण्डरों में घटतौली करके आम ग्राहकों का शोषण किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा घटतौली रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश संख्या-1062/29-7-2007-58(गैस)/86, दिनांक 05 जून, 2007 द्वारा घटतौली रोकने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये हैं। जिला प्रशासन द्वारा निरंतर घटतौली के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घटतौली के आरोपों में पकड़े गये पेट्रोल पम्पों की संख्या एवं उन पर कार्रवाई की जानकारी

99-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश पेट्रोल पम्पों पर मशीनों में चिप लगा कर पेट्रोल तथा डीजल की घटतौली की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक प्रदेश के विभिन्न

जिलों में कुल कितने पेट्रोल पम्पों पर घटतौली पायी गयी है ? क्या सरकार बताएगी की जनपदवार उसकी संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में 6745 पेट्रोल पम्पों के सापेक्ष 6745 पेट्रोल/डीजल पम्पों की जांच हो चुकी है। इसमें प्रथम दृष्टया अब तक 539 पेट्रोल/डीजल पम्पों पर चिप, छेड़छाड़ अथवा घटतौली के साक्ष्य पाए गये हैं। अब तक 168 एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी हैं। 173 पम्पों से रु0 22.55 लाख का शमन शुल्क ग्रहण कर निस्तारित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज विकास खण्ड कटरा बजार स्थित राजीव गांधी ग्रामीण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराने की जानकारी

100-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के विकास खण्ड कटरा बाजार स्थित ग्राम वोटनपुरवा का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद गोण्डा की तहसील-करनैलगंज के विकास खण्ड-कटरा बाजार स्थित कटुआ नाला/मथुरा का मजरा-वोटनपुरवा वर्तमान में किसी भी योजना में विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है। अतः उक्त मजरा पावर फॉर ऑल के अन्तर्गत चयनित कराकर दिसम्बर, 2018 तक विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की जानकारी

101-श्री सुखदेव राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम एवं द्वितीय फेज में जनपद आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्राम सभाओं का चयन कर विद्युतीकृत करा दिया गया है एवं कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष ग्राम सभाओं का भी विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय फेज में जनपद-आजमगढ़ के दीदारगंज विधान सभा क्षेत्र में 866 मजरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से 724 मजरों का विद्युतीकरण करा दिया गया है। 142 मजरे शेष है जिनके विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

अवशेष ग्राम सभाओं के मजरों का विद्युतीकरण पावर फॉर आल के तहत दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज के ग्राम गैरवाह में प्रस्तावित 400/220/132 के0वी0ए0 सब-स्टेशन की स्वीकृति एवं निर्माण कार्य की जानकारी

102-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज के ग्राम गैरवाह में स्वीकृत 400/220/132 के0वी0ए0 के सब-स्टेशनों की स्थापना हेतु टेण्डर की औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो उनका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जनपद जौनपुर की तहसील शाहगंज के ग्राम गैरवाह में स्वीकृत 400/220/132 के0वी0ए0 के सब स्टेशन की स्थापना हेतु आशय-पत्र निर्गत किया जा चुका है। उक्त उपकेन्द्र के निर्माण से सम्बन्धित भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में जनहित याचिका (संख्या-44585 ऑफ 2016) दायर है, जिसके शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त वाद का निस्तारण होने के उपरान्त 400/220/132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र जनपद जौनपुर का निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ करवा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के ग्राम पंचायत बेलहरी बुजुर्ग बड़का पुरवा में विद्युत आपूर्ति हेतु पोल एवं तार लगाये जाने की जानकारी

103-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया की ग्राम पंचायत बेलहरी बुजुर्ग बड़का पुरवा में वर्ष 2010-11 में कराये गये विद्युतीकरण में सभी मजरों पर पोल खींचकर कनेक्शन दिया गया परन्तु उसी गांव के बड़का पुरवा में पोल गाड़कर तार नहीं खींचा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बड़का पुरवा में तार खिंचवाकर विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-छपिया की ग्राम पंचायत बेलहरी बुजुर्ग का बड़का पुरवा डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में विद्युतीकरण किये जाने हेतु चयनित था जिसके अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य कराकर कनेक्शन निर्गत कर दिया गया परन्तु उसी गांव के बड़का पुरवा में विवाद के कारण पोल गाड़कर तार नहीं खींचा जा सका है।

स्थानीय विवाद को दूर कराकर केबिल खींचकर दिनांक 30-07-2017 तक विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जायेगी।

दिनांक 30-07-2017 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के निगोहा व सिसेण्डी में उप नगरीय बस का संचालन किये जाने की जानकारी

104-श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ नगर मुख्यालय से मोहनलागंज तक संचालित उप नगरीय बस सेवा को निगोहां व सिसेण्डी तक तथा लखनऊ शहर से कस्बा गोसाईगंज व गंगागंज तक सरकार विस्तारीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

उप नगरीय डिपो लखनऊ से मोहनलालगंज एवं निगोहां होते हुए बछरावां मार्ग पर प्रत्येक आधे-आधे घण्टे के अन्तराल में सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

इसी प्रकार से लखनऊ से मोहनलालगंज होते हुए सिसेण्डी-मौरावां मार्ग पर प्रत्येक आधे-आधे घण्टे के अन्तराल में सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

इसी प्रकार उप नगरीय डिपो की लखनऊ से गोसाईगंज, गंगागंज होते हुए हैदरगढ़ मार्ग पर प्रत्येक आधे-आधे घण्टे पर सेवाओं का संचालन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की जेलों में कैदियों को भोजन सामग्री के लिए दिये जाने वाली राशि को बढ़ाने की जानकारी

105-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में कैदियों को दी जाने वाली भोजन सामग्री पर प्रति कैदी कितनी धनराशि खर्च की जाती है ? क्या सरकार उक्त धनराशि को बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बंदियों को दी जाने वाली भोजन सामग्री पर धनराशि निर्धारित नहीं है, अपितु प्रति बंदी प्रतिदिन भोजन दिये जाने का मानक/मीनू निर्धारित है।

प्रति बंदी प्रतिदिन भोजन की मात्रा निर्धारित है, अतः मूल्यवृद्धि के सापेक्ष धनराशि की बढ़ोत्तरी समय-समय पर होती रहती है।

उत्तर प्रदेश के कारागारों में तैनात बन्दी रक्षकों, जेलरों, डिप्टी जेलरों आदि की पदोन्नति किये जाने की जानकारी

106-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में तैनात बन्दी रक्षकों, डिप्टी जेलरों, जेलरों की नियमानुसार पदोन्नति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में सिन्थेटिक एवं केमिकल्स प्रा0लि0 के कर्मचारियों का एरियर व अन्य देनदारियों का भुगतान कराने विषयक जानकारी

107-डा0 डी0 सी0 वर्मा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में सिन्थेटिक एवं केमिकल्स प्रा0लि0 दिनांक 15 जुलाई, 1999 को सवेतन की शर्त पर बन्द हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि बन्दी के समय कार्यरत कर्मचारियों का एरियर व अन्य देयकों का

भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री (श्री सत्यदेव पचौरी)-

मै0 सिन्थेटिक एवं केमिकल्स प्रा0 लि0 प्रतिष्ठान की बन्दी आर्थिक व अन्य कारणों से हुई थी।

प्रतिष्ठान बन्दी के समय नियमित तथा अन्य श्रेणी के लगभग 1000 कर्मकार थे। कर्मकारों के माह जनवरी, 1999 से प्रतिष्ठान बन्दी के समय तक अर्जित वेतन का क्लेम वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित हुआ, उक्त क्लेम की धनराशि की रिकवरी हेतु जिलाधिकारी, बरेली से अनुरोध किया गया था।

रिकवरी की धनराशि प्रतिष्ठान के रूग्ण होने के कारण बी0आई0एफ0आर0 (एन0सी0एल0टी0) में संदर्भित होने के कारण तथा मा0 उच्च न्यायालय, मुम्बई में विचाराधीन होने के कारण जिलाधिकारी, बरेली द्वारा वसूली नहीं की जा सकी।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

नत्थी (ग)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-40 के अन्तर्गत स्थगित प्रश्न]

प्रदेश में स्थाई रूप से राशन कार्ड जारी करने, उसकी पात्रता एवं वैध अवधि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में

01-श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री सुखदेव राजभर, श्री उमाशंकर सिंह, श्री नितिन अग्रवाल तथा श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बार-बार राशन कार्डों के बनाने एवं उसमें परिवर्तन किये जाने के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए क्या सरकार स्थायी रूप से राशन कार्ड जारी करने, उसकी पात्रता एवं वैध अवधि निर्धारित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतुल गर्ग-

नये राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड के रूप में छपवाये जाने पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सभी जनपदों में बिजली बिल की कोई स्पष्ट पारदर्शी योजना उपभोक्ता के हित में लागू करने विषयक

02-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के बिल समय पर न उपलब्ध कराने तथा बार-बार गलत एवं बढ़ा हुआ बिल भेजने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली के बिल की कोई स्पष्ट एवं पारदर्शी योजना जनहित में लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत डिस्कामों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के बिलों की समस्या को दूर करने हेतु ऑन लाइन व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

[11.18] श्री रामनाथ कोबिद के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर मुख्य मंत्री द्वारा बधाई का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक बधाई का प्रस्ताव है राष्ट्रपति महोदय की विजय हुई है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम पुकारा था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में 7 लाख 2 हजार 44 वोट प्राप्त कर माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इस अवसर पर हम सब उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं । महोदय एक साधारण परिवार में जन्मे श्री रामनाथ कोविंद जी का सम्बंध उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के एक छोटे से गांव परौंख से है। जहॉ इनका जन्म हुआ। जमीन से जुड़े व्यक्ति के रूप में इनका व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। एक प्रखर समाजसेवी, एक कुशल अधिवक्ता और एक कुशल सांसद के रूप में उपेक्षित और वंचित वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से झलकती है। कानपुर विश्वविद्यालय से एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् श्री कोविंद जी आई0ए0एस0 बनने की प्रेरणा लिये दिल्ली आए और उसके लिये निरन्तर परिश्रम किया, उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने नौकरी की जगह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत प्रारम्भ की। दिल्ली हाईकोर्ट में 16 वर्षों तक प्रैक्टिस करने के बाद वर्ष 1977 से 1979 तक केन्द्र सरकार के वकील रहे। बाद में वर्ष 1980 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार के स्टैण्डिंग काउंसिल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 1991 में वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और थोड़े ही समय के पश्चात् वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिये निर्वाचित हुये। वर्ष 2000 में वह पुनः उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिये निर्वाचित हुये। वे राज्य सभा की गृह मंत्रालय, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, सामाजिक न्याय तथा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे राज्य सभा की हाउस कमेटी के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने पार्टी संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अक्टूबर, 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी किया। वह कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े

रहे हैं। 08 अगस्त, 2015 को बिहार के राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति हुई और 16 अगस्त, 2015 से 20 जून, 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। अपने इस कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार से मधुर और गरिमापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखना, यह उनकी निष्पक्ष कार्यशैली का प्रमाण था। वह सत्ता और विपक्ष दोनों के ही प्रिय थे। उनकी स्वच्छ छवि और कार्यकुशलता उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का परिणाम था। श्री रामनाथ कोविंद जी की पहचान कानून के एक बड़े जानकार, एक प्रखर सांसद के साथ-साथ एक कुशल समाजसेवी के रूप में भी है। चाहे वह छात्र जीवन रहा हो या फिर एक सांसद के रूप में वह उपेक्षित और वंचित वर्गों के लिये काम करते रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकल कर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रहे श्री रामनाथ कोविंद जी श्री के0 आर0 नारायणन के बाद वंचित वर्ग के दूसरे राष्ट्रपति होंगे। उत्तर प्रदेश के एक सपूत को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के लिये, उन्हें राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने पर यह सदन उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता है।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता सदन ने अभी जो बधाई दी है, बधाई का प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत उचित है और बहुत सामयिक है और इस हाउस का भी, इस हाउस के मा0 सदस्यों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद भी देता हूं जिन लोगों ने अपना वोट माननीय कोविंद जी को दिया। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त भी उनको बहुत से मत दिये गये हैं। हम ऐसे सभी लोगों को जो उनसे सहानुभूति रखने वाले हैं और जो उनके प्रति इस खुशी में शरीक होने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने उनको इस पद पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बात मैं और कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा। मान्यवर, एक सूक्ति अंग्रेजी की है जिसका हिन्दी तर्जुमा यही है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोगों पर महानता थोपी जाती है और कुछ लोग अपने श्रम से, अपने परिश्रम से, अपने पुरूषार्थ से, अपने कर्मों से और अपने सद्कर्मो से महान बनते हैं। मैं समझता हूं कि श्री रामनाथ कोविन्द जी एक बहुत मामूली परिवार में पैदा होकर भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। हम सब लोग उनको आज के मौके पर बधाई देते हैं। मैं बधाई का औपचारिक प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं:-

''यह सदन महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द के राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता है एवं शुभकामनायें अर्पित करता है और आशा करता है कि उनके यशस्वी मार्ग निर्देशन में राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। भारत का लोकतंत्र नवनिर्वाचित माननीय राष्ट्रपति के नेतृत्व में और भी सुदृढ़ होगा। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश से प्रथम बार कोई व्यक्ति भारत के प्रथम नागरिक के रूप में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ।''

(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाकर प्रस्ताव का स्वागत किया गया)

श्री अध्यक्ष-

भारत की विश्व प्रतिष्ठा पिछले लम्बे समय से लगातार बढ़ी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां का ज्ञान, यहां का प्रज्ञान, यहां की अभिलाषायें और यहां की प्रतिष्ठा पूरी

दुनिया में पंख फैलाकर उड़ी है। अब वह लोग जो इस देश की सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक जीवन की निन्दा करते थे और पश्चिम के अनेक कथित विद्वान भारत के सामाजिक जीवन के बारे में बेजा टिप्पणियां करते थे और भारत को सभ्य बनाने का दावा भी करते थे वह लोग निश्चित रूप से लगातार निराश हो रहे हैं। जिस सामाजिक संरचना की, जिस सांस्कृतिक दृष्टिकोण की और जिस एकात्म विचार दर्शन की धारा इस देश की धरती पर प्राचीन काल से प्रभावित है वह धारा अब कालजयी होकर सारी दुनिया के सामने प्रकट हो गई है और भारत आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से सारी दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम हो रहा है। महामहिम श्री रामनाथ कोविन्द जी का चयन यह एक ऐसा ही अवसर है जिससे दुनिया के सभी देशों को संदेश गया है और खास तौर से उन अर्न्तराष्ट्रीय शक्तियों को जो भारत की सभ्यता के बारे में गलत-शलत टिप्पणियां करती थी, गलत-शलत दृष्टिकोण रखती थी उन लोगों ने देख लिया है कि भारतीय समाज के अति वंचित वर्ग में काम करने वाला कार्यकर्ता एक श्रेष्ठ विचारधारा का अनुसरण करता हुआ, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी जीवन मूल्यों का अभ्यास और समादर करता हुआ इस देश की और दुनिया में जितने भी जनतंत्र हैं उनमें सबसे बड़े जनतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर भारत के संविधान का सबसे बड़ा दायित्व ऐसे सिंहासन पर बैठा है। इस चयन में, इस निर्वाचन में इस आदरणीय सदन के अधिकांश सदस्यों का भी योगदान है। स्वाभाविक ही हम सब आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनायें अर्पित करते हैं और जो माननीय नेता सदन ने और जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने, जो आप सबके चेहरे पर अभिलाषा, प्रसन्नता, उल्लास और उत्साह दिखाई पड़ रहा है उसमें सहभागी होते हुए मैं आप सबकी भावनायें और इस आदरणीय सदन की भावनायें महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुंचाऊँगा। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ। प्रश्न यह है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बधाई प्रस्ताव से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

[11.30] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाएं लेता हूं।

आज दिनांक 21-07-2017 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी

पहली श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय ट्रेजरी चौराहा से कटरा मेदनीगंज चौराहा तक सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में हैं, दूसरी श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महराजगंज के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित ठूठीवारी में एक राजकीय चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में हैं, तीसरी श्रीमती निर्मला संखवार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद अन्तर्गत पिटुरा और फतुवापुर के बीच छुईया नाला पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में हैं, चौथी श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में पेट्रान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन पर चीनी मिल लगाने के सम्बन्ध में हैं, पांचवीं श्री लोकेन्द्र

सिंह की जनपद बिजनौर की अपर गंगेज शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड स्योहरा मिल के प्रदूषित पानी रोके जाने के सम्बन्ध में हैं, छठवीं श्री पंकज गुप्ता की जिला चिकित्सालय उन्नाव में ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, सातवीं श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन की हिडन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में हैं, आठवीं श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के हाथरस ब्लाक के कतिपय गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, नौवीं श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा की सिकन्दरा के गुरु तेग बहादुर कालोनी की जर्जर सड़क एवं नाली के निर्माण के सम्बन्ध में हैं, दसवीं श्री उमेश मलिक की पेयजल गंभीर समस्या को दुरुस्त करने के लिए विधायकों को इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प दिये जाने के सम्बन्ध में हैं, ग्यारहवीं श्री बाबूराम पासवान की राजकीय इण्टर कालेज गभिया सहराई, तहसील-कलीनगर, पीलीभीत में शिक्षकों नियुक्ति के सम्बन्ध में हैं, बारहवीं डा0 संगीता बलवन्त की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर गाजीपुर के ग्राम सभा सहाय शरीफ में राजकीय इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध में हैं, तेरहवीं श्री दिनेश चौधरी की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड डोभी में कतिपय सड़कों के चौड़ीकरण के संबंध में हैं, चौदहवीं श्रीमती सुनीता सिंह की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां में पिछले साल हुई ओला वृष्टि से किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में हैं, पन्द्रहवीं प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में ढ़कनी से खुदागंज मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में हैं, सोलहवीं श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कतिपय गांवों में खराब ट्रान्सफार्मरों को बदलवाने के सम्बन्ध में हैं, सत्रहवीं श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र सदर इटावा में सिंचाई के लिये लिफ्ट कैनाल चिनहट से उदी क्षेत्र में बनाये जाने के सम्बन्ध में हैं, अठ्ठारहवीं श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में जूविलैन्ट फैक्टी एवं अन्य फैक्ट्रयों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, उन्नीसवीं श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय गांवों में ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, बीसवीं श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के खोड़ारे से कूक नगर ग्रन्ट मार्ग पर बाढ़ू घाट कुआनों नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में हैं, इक्कीसवीं श्रीमती अनीता कमल की जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में 100 बेड का सरकारी अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में हैं, बाइसवीं श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर में कुआनों नदी के बाढ़ू घाट पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, तेइसवीं श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर में शीघ्र खनन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, चौबीसवीं श्री विनोद कुमार कटियार की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के चपरघटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में हैं, पचीसवीं कुवंर माधवेन्द्र प्रताप की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के कतिपय मार्गों के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में हैं, छब्बीसवीं श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, सत्ताइसवीं श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के बांगरमऊ एवं भगवन्तनगर क्षेत्रों में अतिथिगृह के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, अठ्ठाइसवीं श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, मकान गिरने से दबकर मृत पशुओं हेतु गृह अनुदान अहेतुक अनुग्रह मद में सहायता न मिलने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवांया में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं श्री विजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय मार्गों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कतिपय मार्गों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के तहसील लालगंज स्थित दधिया व घोरी डैम को बाणसागर नहर से जोड़ने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभा सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।)

जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय ट्रेजरी चौराहा से कटरा मेदनीगंज चौराहा तक सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगम लाल गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद प्रतापगढ़ मुख्यालय ट्रेजरी चौराहा से कटरा मेदनीगंज चौराहा तक लगभग 5 कि0मी0 तक सड़क चौड़ीकरण हेतु निर्माण कराये जाने की स्वीकृति के उपरान्त टेण्डर हो कर धन कार्यदायी संस्था को आवंटित होने के बावजूद आज तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया हैं। उक्त सड़क का टेण्डर हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है। सड़कों में गड्ढ़े हो गये है तथा बड़े-बड़े बोल्डर भी डाले गये है। जिससे आम जनमानस को जिला मुख्यालय आने जाने में काफी कठिनाईयां हो रही है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त अधूरी सड़क को पूर्ण कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महराजगंज के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित ठूठीवारी में एक राजकीय चिकित्सालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम सागर पटेल-

[मान्यवर, जनपद महराजगंज के भारत-नेपाल सीमा पर स्थित ठूठीवारी एक बड़ी ग्राम पंचायत है यहां पर कोई राजकीय चिकित्सालय नहीं होने से अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यदि ठूठीवारी में एक राजकीय चिकित्सालय की स्थापना हो जाती है तो न सिर्फ ठूठीवारी और उसके आस-पास क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी बल्की नेपाल बार्डर पर स्थित नेपाल की जनता को भी चिकित्सीय सुविधायें मिल सकेंगी जो कि भारत-नेपाल सम्बन्धों में एक नये अध्याय की शुरूआत होगी और माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के पड़ोसी देशों के साथ निर्धारित नीति को भी बल मिलेगा।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त राजकीय चिकित्सालय की स्थापना हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद अन्तर्गत पिटुरा और फतुवापुर के बीच छुईया नाला पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती निर्मला संखवार-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद अन्तर्गत पिटुरा और फतुवापुर के बीच छुईया नाला पर आवागमन हेतु पुल न होने से इस क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस नाले पर पुल बन जाने से 27 गांव जिला मुख्यालय से जुड़ जायेंगे। जनहित में इस नाले पर पुल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पिटुरा और फतुवापुर के बीच छुईया नाला पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड-मल्लावां में पेट्रान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन पर चीनी मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

[मान्यवर, विकास खण्ड मल्लावां जनपद हरदोई में पेट्रान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत की गयी जमीन पर चीनी मिल लगाने के सम्बन्ध में।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में लगभग 20 वर्ष पूर्व पेट्रान इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम सभा बीकापुर, दारापुर व बरौना के मध्य चीनी मिल की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया था और ग्राम समाज व किसानों की लगभग 300 एकड़ जमीन कम्पनी के कब्जे में है। 20 वर्ष पूर्व ही जमीन का अधिग्रहण हो जाने के बावजूद अभी भी मिल की स्थापना न होने से और न ही उक्त भूमि किसानों को वापस होने से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है।

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर उक्त चीनी मिल की शीघ्रातिशीघ्र स्थापना कराये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

जनपद बिजनौर की अपर गंगेज शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड स्योहरा मिल के प्रदूषित पानी के रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, जनपद बिजनौर की ''अपर गंगेज शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड स्योहारा'' के द्वारा शुगर मिल का प्रदूषित पानी नाले के माध्यम से जाता है जिससे यह गन्दा नाला ग्राम-निचलपुर, बगवाड़ा, गेंडाजूड़, सुल्तानपुर, अल्लीपुरा आदि गांवों से निकलता है और पीने के पानी को प्रदूषित कर रहा है जिससे क्षेत्र के लोग, पशु व फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इन गांव के लोगों में महामारी फैल रही है तथा उन्हें अपगंता, फेफड़े व कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है। इस क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। पशुओं में खुरपका, मुहंपका आदि गंभीर बीमारियां फैल रही है। पशु मर रहे है। गन्ना, धान आदि फसलों में कीड़ा लग रहा है। मिल मालिक द्वारा इस हेतु कोई उपाय न करके हठधार्मिता के आधार पर उक्त गन्दा पानी नाले में बेरोकटोक बहाया जा रहा है जो किसानों के खेतों में फैल रहा है।

उक्त मिल मालिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के साथ-साथ उक्त मिल का प्रदूषित पानी बहाने से रोका जाय तथा इस नाले की साफ-सफाई कराते हुए क्षेत्रीय जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला चिकित्सालय उन्नाव में ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु उपकरण एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि जिला मुख्यालय उन्नाव स्थित उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय परिसर में नवनिर्मित ट्रामा सेन्टर भवन का निर्माण हो चुका है और दिनांक 10 मई, 2016 को हस्तगत कर लिया गया है, परन्तु ट्रामा सेन्टर के संचालन में उपकरणों व अपेक्षित कर्मियों के अभाव से संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसके परिपेक्ष्य में मुख्य चिकित्साअधीक्षक उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय उन्नाव द्वारा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 को भी पत्र भेजा जा चुका है, जनता की मांग व आवश्यकता को देखते हुये 28 अप्रैल, 2017 को मेरे द्वारा मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि जनता के हित में मरीजों को विशिष्ट सेवाये प्रदान किये जाने हेतु ट्रामासेन्टर का संचालन आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन की हिण्डन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र निम-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 06-रामपुर मनिहारन, जनपद सहारनपुर में हिंडन नदी पर पुल न होने के कारण क्षेत्र की जनता को बहुत ही असुविधा होती है। इस नदी पर पुल न होने के कारण ग्राम भगवानपुर, अम्बेटा, मिर्जापुर, चन्देना कोली, याना आदि लगभग 20 गांवों को सम्पर्क में बने रहने के लिये लगभग 50 कि0मी0 घूम कर आना पड़ता है जिससे लोगों का समय एवं धन की बर्बादी होती है। इस समस्या के निराकरण हेतु भगवानपुर से चन्देना कोली के बीच में पुल का बनाया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के हाथरस ब्लाक के कतिपय गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

[मान्यवर, जनपद हाथरस में मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के हाथरस ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले गांव मिर्जापुर, विधीपुर, बाबली, नहरई नगला सामंत, श्याम नगरिया, केशोपुरा, ग्वारऊ एवं बरबाना आदि लगभग 30 गांवों में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। यहां का पानी अत्यन्त ही खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। पशु भी इस पानी को नहीं पीते है। इन गांवों की ग्रामीण महिलायें 3-4 कि0मी0 दूर से पीने योग्य पानी लेकर आती है। शुद्ध पेयजल सबका अधिकार है। इस समस्या के निराकरण हेतु जनहित में शीघ्र शुद्व पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यवाही अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा की सिकन्दरा के गुरू तेग बहादुर कालोनी की जर्जर सड़क एवं नाली के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा की सिकन्दरा के गुरू तेग बहादुर कालोनी की सड़क के निर्माण की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

सिकन्दरा के गुरू तेग बहादुर कालोनी की सड़क व नाली काफी जर्जर अवस्था में है जिससे वहां के नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण क्षेत्र की जनता में भारी रोष हैं। जनहित में जर्जर सड़क व नाली का निर्माण कराने की अति आवश्यकता है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

पेयजल की गम्भीर समस्या को दुरूस्त करने के लिए विधायकों को इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमेश मलिक-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण, किसान बाहुल्य तथा अत्यन्त पिछड़ा है। पेयजल की समस्या अत्यन्त विकट है। कई सौ मीटर दूर जाकर पीने का पानी लेकर आना पड़ता है।

ग्रामवासी अत्यन्त परेशान रहते हैं, ग्राम प्रधानों द्वारा पक्षपात की नीति के कारण पात्र लोग हैण्डपम्प से वंचित रह जाते हैं तथा क्षेत्रवासियों द्वारा अनेकों बार मुझे इस समस्या से अवगत कराया गया है क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता रहूं। यह अत्यन्त विकट समस्या है इसका निवारण अत्यन्त आवश्यक है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधायको को अपने क्षेत्र के लिए कम से कम 100 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

राजकीय इण्टर कालेज गभिया सहराई, तहसील-कलीनगर, पीलीभीत में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूराम पासवान-

[मान्यवर, ग्राम गभिया सहराई, तहसील-पूरनपुर, जनपद पीलीभीत में वर्तमान शिक्षा सत्र 2017-2018 में लगभग 1300 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे है। जिसमें 632 छात्र एवं 668 छात्राएं है। इनको पढ़ाने हेतु शिक्षक नहीं है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं का भविष्य संकट में है। विद्यालय में निम्न पद सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये है जिसमें कार्यरत विद्यालय में 1 प्रधानाचार्य व 1 वरिष्ठ सहायक है।

कक्षाओं के अनुसार प्रवक्ता के 9 पद, सहायक अध्यापक के 12 पद, 1 पद कनिष्ठ लिपिक व चतुर्थ श्रेणी के 6 पद जिनकी संख्या-28 है। लेकिन दो पदों पर कार्यरत प्रधानाचार्य व वरिष्ठ सहायक हैं, जिससे विद्यालय की पढ़ाई व कक्षा सुचारु रूप से नहीं चल रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए राजकीय इण्टर कालेज, गभिया सहराई में निम्न उपरोक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर गाजीपुर के ग्राम सभा सहाय शरीफ में राजकीय इण्टर कालेज बनवाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 संगीता बलवन्त-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 375-सदर गाजीपुर के ब्लाक देवकली में ग्राम सराय शरीफ से 15 कि0मी0 की परिधि में कोई भी राजकीय इण्टर कालेज नहीं है, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिये काफी दूर जाना पड़ता है। जनहित में राजकीय इण्टर कालेज बनवाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड-डोभी में कतिपय सड़कों के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 372-केराकात, जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-डोभी में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है जिससे जनमानस को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। क्षेत्र की अच्छी सड़कें ही क्षेत्र के विकास की परिचायक होती हैं। मेरे क्षेत्र के खुर्जी मोड़ से मढ़ी बीरीबारी हिसामपुर, कर्रा से तरांव हिसामपुर गाजीपुर सीमा तक तथा बजरंग नगर से कोइलारी अमरौना ऊचेहुंआ तक मार्ग का

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चौड़ीकरण एवं शुद्धीकरण बहुत ही आवश्यक है। जिससे छात्रों, किसानों एवं व्यापारियों को आवागमन में सुविधा होने के साथ-साथ किसानों को भी काफी फायदा होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां में पिछले साल हुई ओलावृष्टि से किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुनीता सिंह-

[मान्यवर, जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र 379-जमानियां में पिछले साल बहुत ही ज्यादा मात्रा में ओला वृष्टि हुई थी जिससे किसानों की सारी फसल बरबाद हो गयी थी। पिछली सरकार ने किसानों का बहुत उत्पीड़न किया तथा चिन्हित कर किसानों को मुआवजा दिया गया जो खेदजनक है। अभी भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है जिससे किसान भुखमरी के कगार पर खड़ा है। किसान अभी भी अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहे हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में ढकनी से खुदागंज मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर, जनपद बरेली में ढकनी से खुदागंज मार्ग के चौड़ीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। अभी तक इसकी मरम्मत ग्रामीण मार्ग के रूप में की जाती है। जबकि उक्त मार्ग अन्तर जनपदीय मार्ग है जो बरेली जनपद को शाहजहांपुर जनपद से जोड़ता है। इस मार्ग पर वाहनों की अधिकता रहती है। जनहित में इस मार्ग का चौड़ीकरण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के कतिपय गांवों में खराब ट्रान्फार्मरों को बदलवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान बहराइच जनपद के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत खराब विद्युत ट्रान्सफार्मरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

वर्तमान समय में पुरानी बाजार गंगवल, पदम पिछौरा में बीरूपुरवा, नकौड़ी शाहपुर, चकसौगहना, बुढ़नी चौराहा, नेजाभार एवं करैला सहवाजपुर में एक हफ्ते से अधिक समय से जल जाने आदि से खराब सभी ट्रान्सफारमर ग्रामीण क्षेत्र के हैं। किसानों को अपनी जहां फसल की सिंचाई में असुविधा हो रही है वहीं बरसात के समय रात्रि में विद्युत आपूर्ति न हो पाने से ग्रामीणों को काफी

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ट्रान्सफरमर का समय से न बदला जाना विद्युत विभाग के अधिकारियों की घोर लापरवाही है। स्थानीय कर्मचारी ट्रान्सफारमर बदले जाने हेतु धन की भी अपेक्षा रखते है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल ट्रान्सफारमर बदलवाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र सदर इटावा में सिंचाई के लिए लिफ्ट कैनाल चिनहट से उदी क्षेत्र में बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरिता भदौरिया-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र इटावा में सिंचाई की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र इटावा बीहड़ क्षेत्र है यहां पर सिंचाई की समस्या के निदान के लिए एक लिफ्ट कैनाल पिनहट से उदी क्षेत्र के लिए बनाया जाना बहुत आवश्यक है। फसलों की समुचित सिंचाई के लिए एक लिफ्ट कैनाल पिनहट से उदी क्षेत्र में बनाया जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उदी क्षेत्र के लिए एक लिफ्ट कैनाल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में जूविलैन्ट फैक्ट्री एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में जूवलैन्ट एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है। इसकी शिकायत जिला स्तर पर अधिकारियों से की गयी लेकिन उनकी मिली भगत होने के कारण इन फैक्ट्रियों के ऊपर न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही प्रदूषण पर नियंत्रण ही कराया गया। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। यदि समय पर कार्यवाही नहीं की गयी तो कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जूविलैन्ट एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय गांवों में ओवरहेड टैंक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर जनपद आगरा के अन्तर्गत पीने योग्य पानी की बहुत गंभीर समस्या है। विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र में पानी बहुत अधिक खारा होने के कारण लोगों को दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी पानी खरीद कर लेना पड़ता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिपरिया गांव व उसके आस-पास 3 कि0मी0 के पूरे क्षेत्र के लगभग 15 गांवों में पानी कड़वा एवं खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। इस पानी को पशु भी नहीं पीते है। इस समस्या के निराकरण हेतु ओवरहेड टंकी का निर्माण कर शुद्ध पेयजल किसी अन्य स्थान से उपलब्ध कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के खोड़ारे से कूक नगर ग्रान्ट मार्ग पर बाढू घाट कुआनों नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र गौरा काफी पिछड़ा है। जिला मुख्यालय से 100 कि0मी0 की दूरी पर स्थिति होने के कारण आने-जाने में काफी परेशानी होती है। कूक नगर ग्रान्ट जनपद का 15 हजार आबादी का गांव है जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला है। बस्ती जनपद से जोड़ने के लिये यहां कुआनो नदी पर पुल बन जाने से मात्र 1 घण्टा का रास्ता तय करना होगा। बस्ती आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जनहित में पुल बनाया जाना बहुत आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये पुल बनाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में 100 बेड का सरकारी अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनीता कमल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत एक भी 100 सैय्या सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं है जिससे क्षेत्र के मरीजों को 70-80 कि0मी0 दूर इलाज हेतु जाना पड़ता है। क्षेत्र की गरीब जनता प्राईवेट अस्पताल में इलाज नहीं करा सकती है। इसलिए जनहित में विधान सभा क्षेत्र आलापुर में एक 100 बेड का सरकारी अस्पताल खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर में 100 बेड का सरकारी अस्पताल खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद बस्ती के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर में कुआनों नदी के बाढू घाट पर पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, जनपद बस्ती के अन्तर्गत ब्लाक रामनगर के भानपुर करनहिया मार्ग पर कुआनों नदी के बाढू घाट पर पक्का पुल निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। भानपुर करमहिया मार्ग

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा व बभनान बाजार को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से मेरे विधान सभा क्षेत्र के छात्र/छात्राएं जनपद गोण्डा के बभनान बाजार में स्थित आचार्य नरेन्द्र देव डिग्री कालेज, फार्मेसी कालेज तथा बी0एड0 करने वाले छात्र/छात्राओं का शिक्षा अध्ययन हेतु आना-जाना बराबर बना रहता है। बाढू घाट के पूरब लगभग 15 कि0मी0 की दूरी पर अइला घाट पुल का निर्माण किया गया है तथा पश्चिम तरफ 12 कि0मी0 की दूरी पर अड़वा घाट पुल का निर्माण किया गया है। इस अइला घाट व अड़वा घाट दूरी लगभग-27 कि0मी0 के बीच कुंआनो नदी पार करने के लिए मात्र एक बाढू घाट है। इसके अलावा नदी पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा कुंआनों नदी के बाढू घाट पर आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी पुल का निर्माण किया जाता है जिसको कि बरसात के दिनों में हटा लिया जाता है। राहगीरों तथा छात्र/छात्राओं को नाव का सहारा लेकर शिक्षा अध्ययन तथा अन्य कार्यों के लिए जनपद गोण्डा के बभनान बाजार में जाना पड़ता है। नदी के तेज बहाव के कारण राहगीरों तथा छात्र-छात्राओं को हमेशा जान का भय बना रहता है।

उपरोक्त पुल के निर्माण कराये जाने से मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों व छात्र/छात्राओं के लिए जनपद गोण्डा के बभनान बाजार की दूरी बहुत कम हो जाती है। पुल के निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। पुल निर्माण के लिए मेरे तथा क्षेत्रीय जनता के द्वारा बार-बार सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध किया गया परन्तु अधिकारियों के द्वारा अनुरोध को संज्ञान में नहीं लिया गया। छात्र/छात्राओं एवं राहगीरों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कुंआनों नदी के बाढू घाट पर पुल का निर्माण वन विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर शीघ्र किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर में शीघ्र खनन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बिजनौर में खनन पर रोक होने की वजह से कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, और जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि जनपद मुरादाबाद एवं जनपद रामपुर में भी खनन के पट्टे देकर बालू, रेत, बजरी एवं पत्थर वहां के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है जबकि मेरे जनपद में 160 रु0 प्रति कुन्तल रेत एवं बजरी बराबर के प्रदेश उत्तराखण्ड से मंगवाकर बिल्डिंग मटैरियल सप्लायर द्वारा बेचा जा रहा है, जिससे कि आम जनता को इतने मंहगे मूल्य पर रेत (बालू) बजरी (गिट्टी) आदि उपलब्ध हो पा रही है, जिससे कि मेरे जनपद के लोगों के मकान बन नहीं पा रहे हैं और न ही सरकारी योजना के माध्यम से विकास हो पा रहा है, मेरे संज्ञान के अनुसार सरकार द्वारा नई खनन नीति के अनुसार भी मेरे जनपद में खनन नहीं हो पायेगा। इससे जनता में सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आप द्वारा नियम-301 में स्वीकार करते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र जनपद बिजनौर में खनन चालू कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के चपरघटा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार कटियार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र 208-भोगनीपुर कानपुर देहात के अन्तर्गत मुगल रोड स्थित स्थान चपरघटा जो कि काफी प्राचीन है और मुगलकाल से सीधा सम्बन्ध रखता है के लिये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोई योजना तैयार करवाई जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के कतिपय मार्गों के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुं0 माधवेन्द्र प्रताप-

[मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत आने वाले कतिपय निम्न मार्ग जो कि :--

1-पचदेवरा से सहजपुर होते हुए रामापुर छैया तक दूरी लगभग 43.98 कि0मी0,

2-हरपालपुर-चौसार-श्रीमऊ मार्ग दूरी लगभग 17 कि0मी0।

जो कि काफी वर्षों पूर्व बनायी गयी थी जिनके अनुरक्षण के अभाव में यह मार्ग पूर्ण रूप से लगभग ध्वस्त हो चुके है। इसके सम्बन्ध में शासन एवं प्रशासन स्तर पर कई बार पत्राचार भी किया जा चुका है। जनहित में इस प्रकरण पर कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

अतएव जनहित के इस विषय पर कार्यवाही तथा वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत कतिपय मार्गों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड-2 द्वारा निर्मित बकौली, बेतौली, चिरकी व खडसेपुर सम्पर्क मार्ग व मार्ग पर पड़ने वाले मड़हा नाले का पुल विगत 10 वर्ष पूर्व बनाया गया था। जिसमें पुल के दोनों तरफ पहुंच मार्ग का निर्माण अभी तक नहीं किया गया जिसके कारण ग्रामवासियों को 10 कि0मी0 का चक्कर लगाना पड़ता है। उक्त मार्ग व पुल तहसील ब्लाक को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है मार्ग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिरकी का हिस्सा बिना पेंट किया छोड़ दिया गया है। लोक निर्माण विभाग की इस लापरवाही से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के बांगरमऊ एवं भगवन्तनगर क्षेत्रों में अतिथिगृह के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[मान्यवर, सादर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे जनपद उन्नाव में कई धार्मिक व पौराणिक स्थल हैं। जिनके दर्शन हेतु देश, विदेश की महान विभूतियां व अन्य गणमान्य व्यक्ति आते हैं। यह जनपद लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के रास्ते में पड़ता है। यह जनपद मां गंगा व अन्य नदियों से आच्छादित है। जबकि गणमान्य व्यक्तियों के प्रवास व विश्राम करने हेतु सरकारी विभागों से पर्याप्त अतिथिगृह नहीं हैं। कृपया विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर के डौडियाखेड़ा पर्यटन स्थल पर पर्यटन विभाग से 12 सूट का अतिथिगृह का निर्माण, बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में महराजा सातन पासी किला पौराणिक स्थल में पर्यटन विभाग से 12 सूट का अतिथिगृह का निर्माण, विधान सभा बांगरमऊ में नानामऊ घाट मां गंगा के किनारे सिंचाई विभाग से 12 सूट का अतिथिगृह का निर्माण, बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे की मोड़ से बांगरमऊ के मध्य में लोक निर्माण विभाग का 12 सूट का अतिथिगृह विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर में माता चन्दिका देवी व मां गंगा के किनारे वन विभाग व सिंचाई विभाग की 12-12 सूट के अतिथिगृहों का निर्माण हो जाने से जनपद उन्नाव में आने वाले देश व विदेश के पर्यटकों व गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा निवास करने से जनपद को बहुत खुशी मिलेगी।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, मकान गिरने से दबकर मृत पशुओं हेतु गृह अनुदान अहेतुक अनुग्रह मद में सहायता न मिलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा, जनपद चन्दौली अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, मकान गिरने से दबकर मृत पशुओं हेतु समस्त मिलने वाले अनुदानों से सम्बन्धित अनुदान राशि का आंकलन तहसीलदार, सकलडीहा द्वारा जिलाधिकारी, चन्दौली को भेज दिया था। जिसमें से अभी भी रु0 52,91,200/- (बावन लाख इक्यानबे हजार दो सौ रुपये मात्र) आपदा मद में दिया जाना शेष है। उक्त धनराशि को आवंटित किये जाने हेतु तहसीलदार, सकलडीहा ने अपने पत्रांक : 420/र0का0/आपदा/2017 दिनांक 27 फरवरी, 2017 को प्रभारी अधिकारी आपदा चन्दौली को लिखा है परन्तु अभी तक उक्त धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है जिससे जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल आपदा मद में अवशेष धनराशि भुगतान कराने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवांया में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चेतराम-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 134-पुवांया-शाहजहांपुर में विगत 1 सप्ताह से विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 4 से 5 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में 6 से 7 घण्टे ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जिस कारण क्षेत्र की जनता को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है तथा किसानों की अपनी फसल की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। शासन के आदेशानुसार क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति न होने के कारण क्षेत्रवासी आन्दोलित हैं तथा उनमें रोष व्याप्त है। पुवांया विद्युत सब-स्टेशन के एस0डी0ओ0 (अवर अभियन्ता) व एफ0एस0ओ0 में आपसी खींचतान चल रही है उसका खमियाजा जनता भुगत रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय मार्गों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजेन्द्र सिंह-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि खुर्जा विधान सभा क्षेत्र में खुर्जा शहर से जुड़ी कुछ सड़कें खुर्जा विधान सभा क्षेत्र में आधी से अधिक आबादी के आवागमन का मार्ग है। जिनकी हालत जर्जर स्थिति में है, जो निम्न प्रकार है :--

1-खुर्जा शिकारपुर मार्ग लगभग 15 कि0मी0,

2-खुर्जा वाया सिकन्दरपुर से काकोड़ झाझर मार्ग लगभग 17 कि0मी0,

3-एन0एच0-91 से वाया दशहरी पलड़ा झाल मार्ग लगभग 10 कि0मी0,

4-जी0टी0 रोड से उस्मापुर के रजवाहे तक लगभग 4 कि0मी0,

5-एन0एच0-91 दशहरा से वाया जावल डाबर बम्बे तक लगभग 10 कि0मी0।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कतिपय मार्गों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गरौठा, जनपद झांसी के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय गरौठा से मोती कटरा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क (लम्बाई लगभग 15 कि0मी0) तथा तहसील मुख्यालय गरौठा से गुरसराय, बघेरा, रामनगर जिला मुख्यालय झांसी को चिरगांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क (लगभग 50 कि0मी0)

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। उल्लेखनीय है कि उक्त सन्दर्भित सड़क जनपद वासियों के आवागमन हेतु उपयोग में लायी जाती है, किन्तु सड़क की वर्तमान स्थिति अत्यन्त जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण पैदल यात्रियों को छोड़कर कोई भी वाहन सुगमतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। स्थिति यह है कि उक्त सड़क की दयनीय स्थिति के कारण ही लोग उस सड़क से आना-जाना बन्द करके दूसरी सड़कों से लम्बी दूरी तय कर अपने गन्तव्य तक जा रहे हैं। इस प्रकार जनपद के लाखों लोगों को सड़क की जर्जर स्थिति के कारण अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के इस समस्या पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे, तहसील-लालगंज स्थित दिघिया व घोरी डैम को बाणसागर नहर से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद मिर्जापुर की विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत तहसील-लालगंज स्थित दिघिया व घोरी डैम स्थित है, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है, डैम के पानी से अधिकांश भू-भाग खेतों की सिंचाई का साधन आये दिन कम बरसात होने के कारण उक्त डैम पूरी तरह पानी से नहीं भर पाता। बाणसागर नहर सिंचाई परियोजना अति महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना है। यदि दिघिया व घोरी डैम को नहर अथवा लिफ्ट के माध्यम से जोड़ दिया जाय तो मेरे इस पहाड़ी क्षेत्र को बड़े पैमाने पर सिंचाई का साधन उपलब्ध होगा। साथ ही कृषि क्षेत्र में आय की वृद्धि होगी।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

[11.35] सदन में उपस्थित पंजिका पर कतिपय विपक्षी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर भत्ता लेने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

बताइये व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, हमारे कुछ विपक्षी विधायकगण हैं उन्होंने सदन का बहिष्कार किया है। लेकिन एक सवाल है एक व्यवस्था मैं आपसे चाहता हूं। बहुत सारे विपक्ष के सदस्यगण आकर साइन कर रहे हैं ।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भत्ता ले रहे हैं लेकिन सदन का बहिष्कार कर रहे हैं। अब यह उनकी कैसी नैतिकता है कि भत्ता लेंगे लेकिन सदन में आकर सदन का सामना नहीं करेंगे। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर अपनी व्यवस्था मैं आरक्षित करता हूं।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, आप तो अपना निर्णय दे चुके हैं। लेकिन यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है यह अपने आप में एक गम्भीर मसला है। यह लोग जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं यहां पर बैठकर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। यहां पर तमाम तरीके के कर्त्तव्यबोध कराते हैं। तो दायित्वबोध और कर्त्तव्यबोध कराने वालों को कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि जब विपक्ष ने बहिष्कार किया है तो हम किस सीमा तक जायें। हमारा क्या आचरण होना चाहिए। हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। यह उनको सोचने की बात है। अब चूंकि आपने इस पर व्यवस्था आरक्षित कर दी है इसलिए हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यह प्रश्नचिन्ह जरूर है। यह प्रश्न जरूर है कि जो हमारे मा0 एक सदस्य श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी ने उठाया, यह गम्भीर मामला है कि सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और वह बाकी सब अधिकारों का प्रयोग करेंगे। आपकी जो व्यवस्था है वह शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष-

हम इस पर विचार करेंगे। हमने इस पर व्यवस्था आरक्षित कर ली है।

[11.40] संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-634/ग्यारह-9(1)-2008-उ0 प्र0 अधि0-5-2008 आदेश-(157)-2016, दिनांक 27 मई, 2016†

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-634/ग्यारह-9(1)-2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008 आदेश-(157)-2016, दिनांक 27 मई, 2016, जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन दिनांक 24 अगस्त, 2016 को 14 दिनों की कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 17 मार्च, 2017 को सोलहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-773/ग्यारह-9(135)-2015-उ0 प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(158)-2016, दिनांक 02 जून, 2016†

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-773/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(158)-2016, दिनांक 02 जून, 2016, जो उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की

† छापी नहीं गई।

धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन दिनांक 24 अगस्त, 2016 को 14 दिनों की कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 17 मार्च, 2017 को सोलहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-774/ग्यारह-9(135)-2015-उ0 प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(159)-2016, दिनांक 02 जून, 2016†

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-774/ग्यारह-9(135)-2015-उ0प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(159)-2016, दिनांक 02 जून, 2016, जो उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन दिनांक 24 अगस्त, 2016 को 14 दिनों की कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 17 मार्च, 2017 को सोलहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-1341/ग्यारह-9(107)-07-उ0 प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(165)-2016, दिनांक 21 सितम्बर, 2016†

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-1341/ग्यारह-9(107)/07-उ0प्र0 अधि0-30-07 आदेश-(165)-2016, दिनांक 21 सितम्बर, 2016, जो उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 30, सन् 2007) की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को 14 दिनों की कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 17 मार्च, 2017 को सोलहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-1342/ग्यारह-9(107)-07-उ0 प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(166)-2016, दिनांक 21 सितम्बर, 2016†

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-1342/ग्यारह-9(107)/07-उ0प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(166)-2016, दिनांक 21 सितम्बर, 2016, जो उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 30, सन् 2007) की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को 14 दिनों की कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके

† छापी नहीं गई।

दिनांक 17 मार्च, 2017 को सोलहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-1463/ग्यारह-9(128)-16-उ0 प्र0 अधि0-05-2008-आदेश-(169)-2016, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016†

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-का0नि0-2-1463/ग्यारह-9(128)/16-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(169)-2016, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016, जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को 14 दिनों की कालावधि के लिये सदन के पटल पर रखी गयी थी और जिसके दिनांक 17 मार्च, 2017 को सोलहवीं विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप सदन के पटल पर रखे जाने की निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण नहीं हो सकी है, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

[11.40]उप लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-08-2016 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ††

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-11-2009 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016††

श्री राजेश अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2016 को समाप्त हुये वर्ष के लिये पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर निष्पादन लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन, प्रतिवेदन संख्या-03, वर्ष 2017 को संविधान के अनुच्छेद-151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

†† छापा नहीं गया।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-07-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-07-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-2-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ††

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-2-2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-1597/सोलह-3-2016-15(212)-2015, दिनांक 09 अगस्त, 2016†

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-1597/सोलह-3-2016-15(212)-2015, दिनांक 09 अगस्त, 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (प्रवेश, परीक्षाओं का संचालन और प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा का प्रदान किया जाना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2016 तथा तद्सम्बन्धी शुद्धि पत्र/अधिसूचना संख्या 568/सोलह-3-2016-15(212)-2015, दिनांक 09 मई, 2017 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1962) की धारा-22 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों साहित सदन के पटल पर रखता हूं।

[11.48] सदन में विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण आज दिनांक 21 जुलाई, 2017 से 28 जुलाई, 2017 तक की मदों को आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-14, 15 व 16 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-17।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र सत्ता और विपक्ष दोनों से ही चलता है मान्यवर, परसों सदन में मा0 नेता सदन का बजट के ऊपर अन्तिम उद्बोधन था, लगभग 73 सदस्यों ने इस सदन में अपने विचार रखे बजट पर, चार दिन बजट के ऊपर चर्चा चली और उसके बाद नेता सदन ने उन तमाम चीजों को समेकित करते हुए पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जिन मुद्दों को उठाया था मान्यवर उसको तार्किक तरीके से अपने उत्तर में उसका उन्होंने समावेश कर के यहां पर अपना वक्तव्य दिया, मान्यवर यह परम्परा रही है और उसी परम्परा के अनुसार मा0 नेता सदन ने अपना वक्तव्य दिया था,

---

†† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

05 बज कर 10 मिनट पर नेता सदन का उद्बोधन प्रारम्भ हुआ और 06 बज कर 20 मिनट तक चला मान्यवर और 06 बज कर 20 मिनट से लेकर 07 बजने में 10 मिनट तक मान्यवर अगर आप कार्यवाही निकाल कर देख लें तो नेता विपक्ष या जो भी विपक्षी सदस्य अगर कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहें तो उनको इस बात के लिए परम्परा के अनुसार पूरा अवसर दिया गया कि वे अपनी बात पूरी तरह से कह लें, स्पष्टीकरण पूछ लें। आधे घण्टे तक लगातार मान्यवर, आपकी पीठ से भी निर्देश दिये गये और मैंने भी आपकी कृपानुसार आपने मुझे भी मौका दिया, मैने भी उनसे अनुरोध किया कि परम्परा यह रही है कि आप स्पष्टीकरण पूछ लें, एक-दो-तीन जो चाहें सो स्पष्टीकरण पूछ लें लेकिन मान्यवर, नेता विरोधी दल ने स्पष्टीकरण तो पूछा नहीं, सदन में उन बातों का उल्लेख किया जो संसदीय मर्यादाओ के खिलाफ थे, मान्यवर, परम्परा के भी खिलाफ थे और किसी भी प्रकार से इस विधान सभा की शोभा नहीं बढ़ाते थे। उस प्रकार के किस्से, कहानी जो कि चौराहों पर जिस प्रकार से भाषण दिये जाते हैं, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करके उन्होंने जिस प्रकार से एक किस्सा सुनाया, एक बच्चे का फिर उसके बाप का फिर उसके दादा का और उनके कृत्यों का भी यहां पर बखान किया। मान्यवर, यह विधान सभा की न तो गरिमा के अनुकूल है और न परम्परा के अनुकूल है। आधे घण्टे तक इस बात का उन्हें पूरा अवसर था कि वे स्पष्टीकरण पूछ सकते थे लेकिन स्पष्टीकरण पूछा नहीं, बाहर भाषण दे रहे हैं। कल विधान सभा में आये और विधान सभा में कहा कि बहिष्कार कर रहे हैं मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात हो गयी, कौन सा ऐसा कृत्य किया, माननीय नेता सदन ने तार्किक तरीके से बहुत सार्वभौमिक तरीके से प्रत्येक पहलू पर जो विषय विधान सभा में उठाये गये थे, उनका पूरी तरह से उन्होंने समावेश करके उत्तर दिया। एक भी शब्द समाचार पत्रों में, एक भी शब्द अपनी प्रेस कान्फ्रेन्स में, एक भी शब्द महामहिम राज्यपाल के यहां जो ज्ञापन दिया, उसमें यह नहीं कहा गया कि आखिरकार क्या किया कि जिसकी वजह से नेता विरोधी दल, नेता बसपा, नेता कांग्रेस अपने पूरे दल बल के साथ बाहर हो गये। मान्यवर, यह वजह बतानी चाहिए थी कि आखिरकार क्या वजह हो गयी। मान्यवर, वजह केवल एक थी कि माननीय नेता सदन ने उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इनके जमाने में नियुक्तियां हुईं थीं उसके ऊपर हाईकोर्ट ने भी एतराज दाखिल किया और हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया और उनको हटाने के भी आदेश दिये। उन नियुक्तियों को केवल जांच करने के लिए आदेश दिया था। मान्यवर, यह होता नहीं है क्या? हमको जनादेश किस बात के लिए मिला। हमको जनादेश इस बात के लिए मिला कि पिछली सरकार ने जो गैर कानूनी काम किये हैं जो लोगों के साथ धोखा और फरेब किया है जो तमाम नौजवानों के हक को छीना है उस हक को छीनने के लिए हमने केवल जांच बैठाने की बात की, कोई फैसला नहीं सुनाया केवल जांच की बात कही थी। उस जांच से इतने ज्यादा उद्वेलित हो गये कि सदन का बहिष्कार करने का पूरे सत्र तक बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया। मान्यवर, सदन की समस्यायें बहुत बार ऐसा हुआ, जिस दिन से हमने होश सम्भाला उस दिन से विधान सभा में हम विपक्ष में बैठे और बहुत से प्रसंग ऐसे आये कि हमें सत्ता पक्ष की बात नहीं अच्छी लगी, जो लोग मंत्री बोले उससे हम असहमत हुए, हमने वाकआउट भी किया, घण्टे-दो घण्टे सदन का बहिष्कार भी किया लेकिन ऐसा नहीं किया कि जो आचरण आज विपक्ष समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस कर रही है। इस आचरण की घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। जनता ने उन्हें इसलिए विधायक चुनकर भेजा कि आप विधायक चुनकर जाइये तो कम से कम इस क्षेत्र के लिए विधायक के रूप में जो हमारी

जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करने के लिए भेजा है। यहां से बहिष्कार करने के लिए परमानेन्ट बहिष्कार करने के लिए नहीं भेजा है। जो सदन की बात सदन से ही हल हो सकती है वह सड़क से हल नहीं हो सकती। यह हमारा विश्वास है और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनके जमाने में 11-11 बार एवरेज रोज पुलिस थानों में पिटती थी, आप आंकड़ा उठाकर देख लें, इसी विधान सभा में यहां पर बैठे हुए संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया था 9 अगस्त को कि हमने पिछली सरकार के मुकाबले में दूने स्थानों पर पुलिस पिटी। मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात ये करेंगे। 72 छेद की छलनी। ये हमको कानून व्यवस्था सिखायेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के ताने-बाने को तहस-नहस कर दिया। मान्यवर, हमने पहले भी कहा है कि तीन बातें व्यक्ति को जरूर प्रभावित करती हैं। यह मेरा भी विश्वास है कि एक मां-बाप के जींस, दूसरा ग्रह-नक्षत्र जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और तीसरा माहौल, वातावरण, एटमॉसफियर। मान्यवर, पहली दो चीजों को हम बदल नहीं सकते। न हम बदल सकते हैं मां-बाप के जींस, न हम बदल सकते हैं ग्रह-नक्षत्र जिसमें बच्चा पैदा हुआ लेकिन हम बदल सकते हैं तो माहौल बदल सकते हैं, एटमॉसफियर बदल सकते हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश में ऐसा एटमॉसफियर पैदा किया कि आज जब हम लोगों को कानून सम्मत शिक्षा देते हैं, कानून की बात करते हैं तो लोग बहुत ताज्जुब के साथ हमारे ऊपर, हमारा चेहरा देखते हैं। यह माहौल किसने दिया, यह वातावरण किसने पैदा किया। मान्यवर, मैंने कल भी कहा था कि अंग्रेज चले गए लेकिन पैण्ट बुशर्ट छोड़ गए। हमारी परम्परा थी चिलम पीने की जिन लोगों ने चिलम की जगह सिगरेट एडॉप्ट कर ली। मान्यवर, वे सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं। मान्यवर, बरसों तक जो माहौल पैदा किया जाता है उसका प्रभाव भी बरसों तक रहता है। इन्होंने कुरीति का, अनीति का, अन्याय का ऐसा माहौल प्रदेश में पैदा किया जिससे पूरे प्रदेश का ढांचा छिन्न-भिन्न हो गया और मान्यवर, यह 325 की संख्या ऐसे ही नहीं आई है। यह हमारे नेतृत्व की क्षमता, नेतृत्व के प्रति आशा, हमारी क्रियाशीलता, हमारी संगठन क्षमता और इनके कुकर्मों के परिणाम की वजह से आई है। इनके कुकर्मों की वजह से लोगों ने गुस्से में वोट दिया कि आओ, करवा लो अन्याय। रोज पुलिस पिटती थी, पुलिस के दरोगा मारे गए, पुलिस अधीक्षक तक को गोली मार दी गई और ये हमको कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष का रवैया बहुत गैर जिम्मेदाराना है और उसकी जितनी भर्त्सना और जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है। बाहर जाकर प्रेस कान्फ्रेन्स करते हैं, महामहिम राज्यपाल जी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। आइए, हमने कहा था, हमने उस दिन भी कहा था, हमने कहा कि अगर आप आरोप लगाएंगे तो हम यहां केवल चुप बैठने नहीं आए हैं। हमको जनता ने आदेश दिया है, हमको जनादेश मिला है कि हम आपकी हर बात का जवाब दें, तार्किक तरीके से जवाब दें। हम सदन चलाना चाहते हैं, कल भी हमने दिन भर इंतजार किया। मान्यवर, आपने कृपापूर्वक कल उनसे 40 मिनट तक बात की। हमने भी कल बात की थी टेलीफोन पर, हम चाहते थे कि वे आएं, बैठें, बहस में भाग लें। मान्यवर, विपक्ष की भूमिका यह नहीं होनी चाहिए। बातें होती हैं, खत्म हो जाती हैं। अगर एक भी शब्द नेता सदन ने असंसदीय कहा हो, कोई अश्लील बात कही हो, कोई इस प्रकार की कही हो कि किसी को अपमानित किया हो, किसी का नाम लिया हो। मान्यवर, तब तो सोचा जा सकता था कि भई, उनकी बात हो सकती है लेकिन जब एक शब्द बता नहीं पाए। अखबारों में छपा है कि जेल भेजने की तैयारी है। जो भी गलत काम करेगा, जो गलत काम करेगा तो गलत काम का अंजाम तो गलत होगा चाहे हम करें या कोई दूसरा करे। उस गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता जिस

बात के लिए नेता सदन ने यहां पर जांच के आदेश दिये हम समझते थे कि पूरा प्रदेश का नौजवान, जो लोग पी0सी0एस0 की परीक्षा में बैठकर उस अन्याय और अत्याचारी व्यवस्था के कारण अपना सेलेक्शन नहीं करवा पाये मान्यवर, अगर उसके खिलाफ सी0बी0आई0 की इनक्वायरी दे दी तो कोई गुनाह नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। ये पूरी तरीके से न्यायोचित कदम है जनता ने इसके लिए हमको जनादेश भी दिया है कि हम न्याय करें और न्याय दिखाई पड़े और पूरी व्यवस्था सुचारू हो और एक सुशासन हो। मान्यवर, जिस दिन से माननीय योगी जी की सरकार आई है, कोई अभिनन्दन किसी का अभिनन्दन नहीं हुआ। पहले लोग महीनों अभिनन्दन कराते थे। कह-कहकर अपने बैनर छपवाते थे। मान्यवर, पूरे मंत्रि-मण्डल को बैठा कर पूरे विभागों के बारे में जानकारी देना उनको शिक्षित करवाना ताकि सारे विभागों के बारे में मंत्रियों को जानकारी हो जाए। मान्यवर, 18-18 घंटे तक सुबह से लेकर रात तक लोग वहीं ऊंगते थे, वहीं खाने की व्यवस्था हुई और बकायदे पूरे महीनों यह चला और आज भी योगी जी का कोई एजेण्डा निजी नहीं है। सुबह से लेकर रात तक केवल एक एजेण्डा है कि प्रदेश के आम आदमी की जिन्दगी में बदलाव कैसे हो ? प्रदेश के आम आदमी की जिन्दगी में उसकी औसत आमदनी कैसे बढ़े, गांव, गरीब और किसान का स्तर कैसे ऊपर हो ? मान्यवर, केवल एक ही इच्छा, एक ही अभिलाषा एक ही आकांक्षा है। प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, कैसे व्यवस्था सुधरे जो इतनी खराब व्यवस्था मिली कैसे उसको दुरुस्त किया जा सकता है। हमारी वित्तीय स्थिति इस काबिल नहीं थी कि हम सातवें वेतन आयोग और किसानों के ऋण को एक साथ माफ कर सकें लेकिन तमाम परेशानियों के बाद भी हमारे वित्त मंत्री जी और हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था उसको निभाया मान्यवर। तो हर तरीके से जो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था उसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे है। हमारी नीयत अच्छी है। हमारी मंशा अच्छी है। हम प्रदेश को बेहतर करना चाहते हैं। हम प्रदेश को बनाना चाहते हैं। हम नये संस्कार के साथ प्रदेश में ऐसी परम्पराएं डालना चाहते हैं जिसमें आगे आने वाले लोग यह महसूस कर सकें कि 'हां' यह सरकार बहुत अच्छी है। अभी तक मैसेज भी जनता में यही है। लोगों के विदेश से मैसेज और टेलीफोन आते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है आपकी सरकार, इसका संदेश बहुत अच्छा है लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ता। अपने कुकर्म दिखाई नहीं पड़ते जो अपने पाप किये हैं वह तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। मान्यवर, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो स्थिति आज पूरे प्रदेश के विपक्ष ने पैदा की है वह निहायत गैर-जिम्मेदाराना है इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर वह आ जाए चर्चा-बहस में भाग लें। इसका कोई अंत जरूर होगा। हम भी आपसे चाहेंगे कि कम से कम अगर वह नहीं आते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम कब तक बैठे रहेंगे अकेले सदन में। हम आपसे अनुरोध करेंगे मान्यवर, कि उन तमाम मदों को जो मदें आज के एजेण्डे में दी गई हैं और उसके अलावा भी मान्यवर, हमने आखिरकार 28-07-17 तक का प्रोग्राम दिया। हम कोशिश करेंगे कि सभी मदों पर चर्चा हो जाए बात आ जाए, ये कम से कम हो जाए। आखिरकार कब तक हम चलाएंगे, हमें जो कुछ कहना होता हम सदस्यों से मिल बैठकर बात भी कर लेंगे उनकी बात भी सुन लेंगे। मान्यवर, पूरा सदन सत्तापक्ष के देखिए सारे लोग बैठे हैं। अभी हमारे महेन्द्र कश्यप सिंह जी ने एक बात के ऊपर ध्यान आकर्षित किया उसके बारे में हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। ये कहां की नैतिकता है कि यहांसे पीछे से आएंगे और साइन करके वापस चले जाएंगे। आप जो व्यवस्था देंगे वह शिरोधार्य है मान्यवर, लेकिन हम आपसे यही अपील करेंगे कि कम से कम

आज जो भी एजेण्डा है उसे और बाकी का एजेण्डा भी आज ही ले लें, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम इसलिए क्योंकि जब यह नहीं आते हैं, बुलाने से नहीं आते, अखबारों से बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, महामहिम से मिल रहे हैं और यहां पर चर्चा से भाग रहे हैं और वहां जाने में नहीं चूके हैं।

मान्यवर, जो भी आपका निर्णय होगा, मेरा प्रस्ताव है कि बाकी की मदें, जो आज 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक की हैं, उन मदों को भी आज ही ले लिया जाए। क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, जो औपचारिक काम हैं, जो संकल्प हैं, उसको पारित करा दें। मैं समझता हूं कि पूरे सदन के मा0 सदस्य भी यही चाहते होंगे, जब ये नहीं आएंगे तो क्या होगा। इसलिए मान्यवर, जो भी आपका निर्देश होगा उसका पालन करेंगे जो आज ये मदें ली जानीं हैं और उसके बाद जो हमारा एजेण्डा 28 जुलाई तक का है हमारी प्रार्थना तो यही थी कि उसको आज ही ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

तब तक शेष मदें हम लिये लेते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, संकल्प ले लें।

(चकेरी) हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण ''श्री गणेश शंकर विद्यार्थी सिविल टर्मिनल कानपुर'' किये जाने के सम्बन्ध में स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'') द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

***श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना सचेन्दी राज्य के राजा हिन्दू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम ''कान्हपुर'' था।

ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए चर्चित ब्रम्हावर्त (बिठूर) के उत्तर मध्य में स्थित ध्रुवटीला त्याग और तपस्या का संदेश देता है। कानपुर रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, हावड़ा, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज, मथुरा, आगरा, बांदा, मुम्बई, चेन्नई, जबलपुर, भोपाल, मानिकपुर आदि शहरों से यहां के लिए नियमित रेलगाड़ियां हैं। देश के प्रमुख शहरों से कानपुर सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 इसे दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा और कोलकाता से जोड़ता है। भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम अजर-अमर है। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाज-सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था जो बाद में कानपुर आ गये। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक ऐसे पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ-साथ महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सहयोग दिया। अपने छोटे जीवन काल में उन्होंने उत्पीड़न, क्रूर व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा इस आशय का संकल्प लेती है कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रभावी व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता संग्राम में दिये गये इनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए इनके सम्मानस्वरूप कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण 'श्री गणेश शंकर विद्यार्थी सिविल टर्मिनल, कानपुर' कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन से संस्तुति किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

***श्री सतीश महाना-**

माननीय अध्यक्ष जी, इस संकल्प पर बोलने के लिए मैं आपकी कृपा से दो मिनट के समय का अधिकार चाहता हूं, चूंकि यह कानपुर का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और माननीय स्टाम्प मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी की अपेक्षानुसार यह संकल्प प्रस्तुत किया। जो बात कही गयी है कि जिस समय हमारे सांस्कृतिक आधार और इतिहास को, उस गौरवशाली इतिहास को जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उनके नाम के ऊपर जिस समय कोई बात आती है तो मन में एक श्रद्धा भी होती है, एक समर्पण भी होता है और एक संकल्प भी होता है कि उनके अनुरूप हम कार्य कर सकें। मान्यवर, इस देश की आजादी के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसा नाम है और कानपुर महानगर भी आन्दोलन का एक बहुत प्रमुख स्थान रहा है। कानपुर के नानाराव पार्क में आज भी वह पेड़ है जहां पर लोगों को फांसी पर लटका दिया गया था। शक्ति चौराहा घाट है, जहां पर नाव चलाने वाले 40 लोगों को जबरदस्ती डुबा दिया गया था। मान्यवर, चन्द्र शेखर आजाद जी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, मंगल पाण्डे जी इन सभी लोगों का वहां पर आन्दोलन का स्वरूप होता था। यह जो गणेश शंकर विद्यार्थी टर्मिनल के नाम पर जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यह हवाई अड्डा मेरे विधान सभा क्षेत्र में है और दूसरा 26-27 सालों से इस क्षेत्र का मैं विधायक हूं तो मेरी यह भावनाएं जुड़ी थी इसलिए मैंने निवेदन किया कि मैं दो मिनट इस पर सरकार को बधाई देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प को पास करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना सचेन्दी राज्य के राजा हिन्दू सिंह ने की थी। कानपुर का मूल नाम 'कान्हपुर' था।

ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के लिए चर्चित ब्रम्हावर्त (बिठूर) के उत्तर मध्य में स्थित धुवटीला त्याग और तपस्या का संदेश देता है। कानपुर रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, लखनऊ, हावड़ा, गोरखपुर, झांसी, कन्नौज, मथुरा, आगरा, बांदा, मुम्बई, चेन्नई, जबलपुर, भोपाल, मानिकपुर आदि शहरों से यहां के लिए नियमित रेलगाड़ियां है। देश के प्रमुख शहरों से कानपुर सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग-2 इसे दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा और कोलकाता से जोड़ता है।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम अजर-अमर है। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाज-सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था जो बाद में कानपुर आ गये। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक ऐसे पत्रकार थे, जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी थी। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ-साथ महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों और क्रांतिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया। अपने छोटे जीवन-काल में उन्होंने उत्पीड़न, क्रूर व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा इस आशय का संकल्प लेती है कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रभावी व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता संग्राम में दिये गये इनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए इनके सम्मानस्वरूप कानपुर (चकेरी) हवाई अड्डे के सिविल टर्मिनल का नामकरण 'श्री गणेश शंकर विद्यार्थी सिविल टर्मिनल, कानपुर' कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

बरेली टर्मिनल का नामकरण बरेली के सांस्कृतिक नाम नाथ नगरी के नाम पर ''नाथ नगरी सिविल बरेली'' किये जाने के सम्बन्ध में स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी) द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

***श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि हिमालय की तराई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित बरेली नगर रामगंगा नदी के तट पर स्थित है । महाभारत और महाजनपद काल में बरेली को पांचाल नाम से जाना जाता था । सन् 1537 में बरेली नगर की स्थापना वासुदेव द्वारा करायी गयी थी, जिसे सन् 1657 में आधुनिक शहर के रूप में मुकरंद राय द्वारा विकसित किया गया । यह सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भारतीय विद्रोह का प्रमुख केन्द्र था ।

बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है । उत्तराखण्ड अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित अधिकांश सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बहुत सीमा तक बरेली पर निर्भर है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर होने तथा दिल्ली, देहरादून और लखनऊ से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगभग समान दूरी पर अवस्थित होने के कारण बरेली और आसपास के क्षेत्र का बहुआयामी विकास हुआ है ।

बरेली न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र प्राचीन काल से सम्पन्न रहा है। आवंला के निकट रामनगर स्थान जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तपोस्थली है । महाभारत के प्रमुख चरित्र द्रौपदी का जन्म यहीं हुआ था । वर्तमान में बरेली में अनेक प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित हैं, जहां पर्यटक और श्रद्धालु प्रचुर मात्रा में प्रतिवर्ष पधारते हैं । भगवान शिव के नाथ रूप में अनेक मन्दिर होने के कारण बरेली को 'नाथ नगरी' के नाम से भी जाना जाता है । यहां स्थित श्री अलखनाथ, श्री त्रिवटीनाथ, श्री मढ़ीनाथ, श्री धोपेश्वर नाथ, श्री वनखण्डी नाथ, श्री तपेश्वरनाथ एवं श्री पशुपति नाथ आदि मन्दिर बरेली के नाथ नगरी नाम को सार्थक करते हैं । बरेली की संस्कृति में सूक्ष्म और स्थूल प्रत्येक रूप में भगवान शिव विद्यमान हैं ।

बरेली महानगर फर्नीचर उद्योग के लिये प्रसिद्ध है । यह शहर सुरमा और पतंग उद्योग के लिये भी जाना जाता है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा इस आशय का संकल्प लेती है कि बरेली टर्मिनल का नामकरण बरेली के सांस्कृतिक नाम नाथ नगरी के नाम पर ''नाथ नगरी सिविल टर्मिनल, बरेली'' कर दिया जाय ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन से इसकी संस्तुति किये जाने का प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री राजेश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा बरेली का अपना एक अलग महत्व रहा है । विशेषकर स्वतंत्रता संग्राम के कारण । यूँ तो बरेली के बारे में लोगों को बड़ी उत्सुकता है झुमका जो था वह कहॉ गया और यहां इस झुमके का जिक्र ही नहीं हुआ है । लेकिन बरेली इंडस्ट्रियली बहुत डेवलप है और गेट वे आफ कुमायूँ कहलाता है और यहॉ पर इसकी आवश्यकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बरेली की इस बहुप्रतीक्षित योजना के लिये इसको क्रियान्वयन किया है । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष -

प्रश्न यह है कि ''हिमालय की तराई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित बरेली नगर रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। महाभारत और महाजनपद काल में बरेली को पांचाल नाम से जाना जाता था। सन् 1537 में बरेली नगर की स्थापना वासुदेव द्वारा करायी गयी थी, जिसे सन् 1657 में आधुनिक शहर के रूप में मुकरंद राय द्वारा विकसित किया गया। यह सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भारतीय विद्रोह का प्रमुख केन्द्र था। बरेली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। उत्तराखण्ड अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से सम्बन्धित अधिकांश सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बहुत सीमा तक बरेली पर निर्भर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर होने तथा दिल्ली, देहरादून और लखनऊ से लगभग समान दूरी पर अवस्थित होने के कारण बरेली और आसपास के क्षेत्र का बहुआयामी विकास हुआ है।

बरेली न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र प्राचीन काल से सम्पन्न रहा है। आंवला के निकट रामनगर स्थान जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तपोस्थली है। महाभारत के प्रमुख चरित्र द्रौपदी का जन्म यहीं हुआ था। वर्तमान में बरेली में अनेक प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित हैं, जहां पर्यटक और श्रद्धालु प्रचुर मात्रा में प्रति वर्ष पधारते हैं। भगवान शिव के नाथ रूप में अनेक मन्दिर होने के कारण बरेली को 'नाथ नगरी' के नाम से भी जाना जाता है। यहां स्थित श्री अलखनाथ, श्री त्रिवटीनाथ, श्री मढ़ीनाथ, श्री थोपेश्वर नाथ, श्री वनखण्डी नाथ, श्री तपेश्वरनाथ एवं श्री पशुपति नाथ आदि मन्दिर बरेली के नाथ नगरी नाम को सार्थक करते हैं। बरेली की संस्कृति में सूक्ष्म और स्थूल प्रत्येक रूप में भगवान शिव विद्यमान हैं।

बरेली महानगर फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर सुरमा और पतंग उद्योग के लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा इस आशय का संकल्प लेती है कि बरेली टर्मिनल का नामकरण बरेली के सांस्कृतिक नाम नाथ नगरी के नाम पर ''नाथ नगरी सिविल टर्मिनल, बरेली'' कर दिया जाए।''

तद्नुसार यह सदन संस्तुति का प्रस्ताव करता है?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

[12.17] नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव

श्री सूर्य प्रताप शाही -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबंध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद की प्रबंध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यो का निर्वाचन करने का प्रस्ताव

श्री सूर्य प्रताप शाही -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबंध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की प्रबंध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यो का निर्वाचन करने का प्रस्ताव

श्री सूर्य प्रताप शाही -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबंध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा की प्रबंध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

चन्दशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करने का प्रस्ताव

श्री सूर्य प्रताप शाही -

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबंध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबंध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा-10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

आज की कार्यसूची में नई मद 23(क) लिये जाने का प्रस्ताव

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में एक नई मद 23 (क) जोड़ना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध समिति में विधान सभा के दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर श्री अध्यक्ष की नाम निर्देशित करने हेतु प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 21 जुलाई, 2017 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं:-

''यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनॉक 21 जुलाई, 2017 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहॉ तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की परिषद में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि ''यह सदन नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनॉक 21 जुलाई, 2017 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहॉ तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो-दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालयों की परिषद में आकस्मिक रिक्तियों

की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के पुलिस एवं सामान्य प्रशासन को छोड़कर शेष अनुदानो की मांगों सम्बन्धी मदें विचार एवं मतदान हेतु आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपने जो अभी कहा था वह प्रस्ताव कर दीजिये।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुये निम्नलिखित अनुदानों की मॉगों सम्बन्धी मदें विचार एवं मतदान हेतु आज ही ले ली जायं।

अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग,

अनुदान संख्या- 25 गृह विभाग (कारागार),

अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग(खानें और खनिज),

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग,

अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण),

अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन),

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग,

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग,

अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग,

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग,

अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय),

अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर),

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग,

अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण),

अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय),

अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें),

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-वचत आदि)

अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग(परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग(प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पंचायती राज)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग(माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पशुधन)

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(मत्स्य)

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग(राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग

अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग(जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग(दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग(राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग(गन्ना)

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग(चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या-74 गृह विभाग(होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-02 आवास विभाग

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग(नागरिक सुरक्षा)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग(होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-29 गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग

अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित अनुदान की माँगों संबंधी मदें विचार एवं मतदान हेतु आज ही ले ली जाएं:-

अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग

अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग

अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग

अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या- 46 प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या-74 गृह विभाग (होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-2 आवास विभाग

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-67 विधान परिषद सचिवालय

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या-8 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-29 गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग

अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में पुलिस एवं सामान्य प्रशासन को छोड़ कर शेष अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या- 25 गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज), अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग, अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग, अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग(निदेशालय), अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग(वाणिज्य कर), अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-वचत आदि), अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग(परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला

विकास), अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग, अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग(प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्), अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पंचायती राज), अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग(माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पशुधन), अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(मत्स्य), अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग, अनुदान संख्या-28 गृह विभाग(राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग(राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य), अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान), अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता), अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग(जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग(दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग(राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग, अनुदान संख्या-60 वन विभाग, अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग(गन्ना), अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग(चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या-74 गृह विभाग(होमगार्ड्स), अनुदान संख्या-02 आवास विभाग, अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-27 गृह विभाग(नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग(होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री), अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक कल्याण), अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-29 गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय), अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में-

अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग

अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग(खानें और खनिज)

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग

अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग(निदेशालय)

अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग(वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-वचत आदि)

अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग(परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग(प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पंचायती राज)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग(माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पशुधन)

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(मत्स्य)

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग(राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग

अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग(जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग(दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग(राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग(गन्ना)

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग(चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या-74 गृह विभाग(होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-02 आवास विभाग

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग(नागरिक सुरक्षा)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग(होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-67 विधान परिषद सचिवालय

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-29 गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग

अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 01 लाख 57 हजार 48 करोड़ 15 लाख 94 हजार रुपये (157048,15,94,000 रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या :-

अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग

अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग(खानें और खनिज)

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग

अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग

अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग

अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग(निदेशालय)

अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग(वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग

अनुदान संख्या-91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग(परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग

अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग(प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पंचायती राज)

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग(माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(पशुधन)

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(मत्स्य)

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग(राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग(अधिष्ठान)

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग

अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता)

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग(जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग(दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग(राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या-60 वन विभाग

अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग(गन्ना)

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग(चीनी उद्योग)

अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या-74 गृह विभाग(होमगार्ड्स)

अनुदान संख्या-02 आवास विभाग

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या-87 सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग(नागरिक सुरक्षा)

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग(आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग(होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या-67 विधान परिषद सचिवालय

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या-08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)

अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या-29 गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग

अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 01 लाख 57 हजार 48 करोड़ 15 लाख 94 हजार रुपये (157048,15,94,000 रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-2018 की पुलिस एवं सामान्य प्रशासन तथा गृह विभाग (पुलिस) की अनुदानों की मांगो सम्बन्धी मदें 24 जुलाई, 2017 को लिये जाने का प्रस्ताव

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी आज हमारी फिर से नेता सदन से भी बात हुई माननीय नेता सदन भी चाहते हैं कि एक बार विपक्ष को और आमंत्रित किया जाय इसीलिए गृह और सामान्य प्रशासन का बजट 24 तारीख को लिया जाएगा ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) की अनुदानों की मांगों सम्बन्धी मदें तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधियक, 2017 के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 24 जुलाई, 2017 को ले ली जाएं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग तथा अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) की अनुदानों की मांगों सम्बन्धी मदें तथा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 24 जुलाई, 2017 को ले ली जाएं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12.37] विपक्ष को पुनः एक बार सदन में चर्चा हेतु आमंत्रित किये जाने की अपील

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

माननीय अध्यक्ष जी वैसे तो यह सदन आज ही खत्म हो सकता था लेकिन एक बार हम फिर से चाहेंगे कि 24 तारीख को नेता सदन की भी इच्छा है कि सभी विपक्षी अपनी-अपनी भूल सुधार कर लें जो उन्होंने भूल की है अगर इनको एक बार भूल सुधार करने का मौका हम देंगे कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह अपनी भूल सुधार करके 24 तारीख को सदन में जनता ने जिसके लिए चुनकर भेजा है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए यहां पर आएं और वाद विवाद में हिस्सा लें चर्चा में हिस्सा लें और अपनी बात को रखें। हमारी आज भी मंशा यही थी लेकिन जब कोई नहीं आता है तो हमारे सामने यह मजबूरी में उठाया हुआ कदम है हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो और कल जिस तरह से एक तरफा हमारे कई सारे मंत्रियों ने अपने अपने 11 विभागों के प्रस्ताव रखे अपने विभाग की उपलब्धियॉ भी बताईं जो भी उनकी भविष्य की योजनाएं थीं उसके ऊपर भी प्रकाश डाला। हम आज भी यही चाहते थे इसीलिए हमने आज एजेण्डे में यह कोशिश की थी कि केवल वही मदें ली जाएं जिनका आज पहले से निर्धारण है जिस पर माननीय नेता विरोधी दल की भी सहमति थी। हमने बजट का प्रस्ताव बनाया जो भी दिन निर्धारित किए थे उस पर यह परम्परा रही है कि नेता सदन, संसदीय कार्यमंत्री और नेता विपक्ष के भी उस पर हस्ताक्षर होते हैं तो हमने 28 तक का कार्यक्रम चाहा था कि कम से कम 28 तक सदन चले लेकिन जब विपक्ष इस रवैये पर उतर आया तो हमारे सामने कोई और विकल्प नहीं था इसलिए यह मजबूरी में उठाया हुआ कदम है हम एक बार फिर से यह चाहेंगे कि नेता विरोधी दल नेता बसपा कांग्रेस हम आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहते हैं कि अपनी भूल सुधार करके यहां पर आएं और अपनी बात को रखें, चर्चा में भाग लें बहुत बहुत धन्यवाद।

जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवाघाट पर जनहित में पूलों का निर्माण शीघ्र कराये जाने सम्बन्धी श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा प्रस्तुत जारी संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री अजय कुमार लल्लू, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी। मा0 अजय कुमार लल्लू जी अनुपस्थित हैं।

भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी। मा0 डा0 नीरज बोरा जी, आप कुछ कहेंगे।

डा0 नीरज बोरा-

मान्यवर, इस पर चर्चा जारी रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद हरदोई में चिकित्सा सुविधा बेहतर बनाये जाने के लिए जनहित में जनपद मुख्यालय पर सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने सम्बन्धी श्री नितिन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत जारी संकल्प पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री नितिन अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी। मा0 श्री नितिन अग्रवाल जी अनुपस्थित हैं।

सहारनपुर मण्डल के छात्र-छात्राओं की व्यवस्थित शैक्षिक प्रशासकीय और परीक्षा सम्बन्धी कार्य-कलापों हेतु मण्डल मुख्यालय पर एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने सम्बन्धी श्री संजय गर्ग एवं श्री शैलेन्द्र यादव ललई द्वारा प्रस्तुत संकलप पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री संजय गर्ग एवं श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मई, 2017 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो अनुपस्थित सदस्य हैं, इनके द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इनको ड्राप करें। इनको उपस्थित होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। हम आपसे सहमत हैं। अब हम नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं लेते हैं।

[12.40] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अध्यक्ष अब हम नियम-51 के अन्तर्गत की सूचनाएं लेते है। आज दिनांक 21-07-2017 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें 42 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :--

पहली सूचना श्री शारदा प्रसाद की जनपद चन्दौली की तहसील चकिया में सावित्री बाई फूले राजकीय महाविद्यालय में कतिपय कक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत इलाहाबाद-फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जलभराव की स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा मनमाने तरीके से की गई फीस वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रेम सागर पटेल की जनपद महाराजगंज की निचलौल तहसील के अन्तर्गत एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना श्री प्रतीक भूषण सिंह की उ0प्र0 में सेना के जवानों को वीरता पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री छत्रपाल सिंह गंगवार की जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी में भूमि की नीलामी से सम्बन्धित कतिपय बिन्दुओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर में ग्राम मोहनकुटी के खाली पड़े मैदान में कूड़े का डम्पिंग ग्राउण्ड बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रामनरेश रावत की जनपद कानपुर के थाना घाटमपुर में माह जनवरी, 2017 में एडवोकेट विजय शंकर पाण्डेय की हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नौवी सूचना कुंवर अजय प्रताप सिंह की महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण बोर्ड, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य एवं रसद हेतु अपात्र व्यक्तियों का चयन किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती साधना सिंह की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में

है, बारहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम पंचायत हमीरपुर में विद्युत व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह की सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्राइमरी सहकारी समिति में पैक्स कैडर सचिव के पद पर कार्यरत श्री हरिशंकर मिश्र का वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला बाजार में बरसात के पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गरीब परिवारों की बालिकाओं को प्रवेश दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराउ के हयासन ब्लाक के अन्तर्गत आने वाले रतिभानपुर से जरौरा मार्ग पर स्थित पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना चौ0 उदयभान सिंह की जनपद आगरा के अन्तर्गत तहसील किरावली स्थित जर्जर सहकारिता भवन का जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में हिंडन नदी के दूषित जल से भूजल के दूषित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में कर्बन नदी में गिरने वाले नाले की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना डा0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र कैंट में जल निकासी की समस्या के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली व मिल्कीपुर को जोड़ने वाले बचकुला सैदपुर मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय संस्थानों का सहयोग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्रीमती सुनीता सिंह की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमनिया मे गंगा के दोनों तटों पर भण्डारण की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्रीमती निर्मला संखवार की स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कानपुर देहात के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैथा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय नहर/नालों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेउता की ग्राम पंचायत खरौहा में पूर्व स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली सभा क्षेत्र फरीदपुर अन्तर्गत बेबल बसंतपुर गांव में अंग्रेजी माध्यम के माडल स्कूल का संचालन आरम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद इटावा में वन विभाग की जमीन बताकर विस्थापित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री तेजपाल नागर की जनपद गौतमबुद्धनगर में गौतम विश्वविद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय की जनपद चित्रकूट के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में सरकारी इण्टर कालेज अथवा डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, तेतीसवीं सूचना सुश्री अनिता कमल की जनपद

अम्बेडकरनगर एवं गोरखपुर को जोड़ने वाले घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की सहायक ध्वनि संयंत्र आपरेटर से ध्वनि संयंत्र आपरेटर में पदोन्नति के सम्बन्ध में है, पैतीसवीं सूचना श्री विक्रम सिंह सैनी की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र खतौली अन्तर्गत पानीपत खटिमा मार्ग स्थित बड़ी गंग नहर के जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छतीसवीं सूचना श्री रामानन्द बौद्ध की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र रामकोला में मवन नाला की खुदाई/सफाई कर तटबन्धों को मजबूत कर इनलेट/आउटलेट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ की प्राचीन कालीन बकुलाही नदी पर डायवर्जन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धरौरा के अन्तर्गत तिगरी धाम में गंगा नदी में स्टीमर एवं गोताखोर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की उ0प्र0 की सीमा से लगे बागेसोती से बाजारी घाट तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बयालसवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के ब्लाक बण्डा स्थित पुवायां-मोहम्मदी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गई :--

1-श्री तसलीम अहमद, 2-श्री हाजी इकराम कुरेशी, 3-श्री पूरन प्रकाश, 4-श्री अभिजीत सिंह सांगा, 5-श्री मनोज कुमार पारस तथा 6-श्रीमती पिंकी सिंह यादव।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि .....

(श्री राम चन्द्र यादव तथा श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं इसलिये आप लोग कृपया बैठ जाएं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश हुआ था कि जो मा0 सदस्य सदन में उपस्थित रहेंगे उन्हीं की सूचना ली जायेगी। इसलिये जो मा0 सदस्य उपस्थित हैं उनकी सूचना स्वीकार कर ली जाएं।

श्री अध्यक्ष-

जो मा0 सदस्य उपस्थित हैं उनकी सूचना तो ले ली हैं, लेकिन मांग यह हो रही है कि जो अस्वीकार सूचनायें हैं उनको भी स्वीकार कर लिया जाए। मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अभी आप कुछ कह रहे थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो मा0 सदस्य सदन में उपस्थित हैं उन सभी मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार कर ली जाएं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आज कुल 38 मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं। जो सूचनाएं नियम संगत होंगी, उन सभी पर मैं बाद में सरकार का ध्यानाकर्षण कर दूंगा।

जनपद सीतापुर में राशन कार्ड बनाने में हुई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से ....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष -

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रुप से [यह बिन्दु उठाये गये हैं कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सेवता के ब्लाक रेउसा, रामपुर मथुरा, सकरन के गांवों में राशन कार्ड धारकों की सूची में अपात्रों की भरमार है, जबकि पात्रों को आवेदन के बाद भी नहीं लिया जा रहा है। आपूर्ति विभाग व तहसील प्रशासन के संरक्षण में कोटेदारों के ग्रुप बने हुए हैं, जिस कारण कार्यवाही के दौरान अटैचमेंट का खेल चलता है। बाढ़ प्रभावित व दूरस्थ विधान सभा क्षेत्र होने के कारण अधिकारी सेवता की अनदेखी करते हैं। इस पर अभियान चलाकर अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त करने एवं पात्रों को राशन कार्ड जारी करने की अपेक्षा की गयी है।

2-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के लाभार्थियों का सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-7/2017/631/29-6-2017-104सा/09टीसी, दिनांक 27-4-2017 के अनुक्रम में जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा पत्र दिनांक 12-07-2017 में यह अवगत कराया गया है कि जनपद सीतापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकान स्तर पर सत्यापन हेतु क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय लेखपाल व नगर निकाय कर्मियों की ड्यूटी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जारी अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डो की पात्रता के सत्यापन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नये पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु लगायी गयी है। उक्त सत्यापन कार्य के पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर ब्लाक स्तरीय अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर सेक्टर अधिकारी के रूप में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी एवं तहसील स्तर पर जोनल अधिकारी के रूप में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की तैनाती की गयी है। दिनांक 30-06-2017 तक जनपद के समस्त उचित दर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुकानदारों को अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों की सूची संकलित कर लाभार्थियों का डाटा ऑनलाइन अद्यतन/त्रुटिरहित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

3-विधान सभा क्षेत्र सेवता के ब्लाक रेउसा, रामपुर मथुरा, सकरन में भी प्रचलित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थियों के राशन कार्डों के सत्यापन तथा नये पात्र गृहस्थियों के चयन हेतु उपरोक्तानुसार ड्यूटी लगायी गयी है। तत्क्रम में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार ब्लाक रेउसा की 24 ग्राम पंचायतों (बैजवारी, बढ़ईडीह, कनकारी, ढेनुवा, खरौहा, बेर्रा, बरौरा, सरैया छतौना, बरी, ईरापुर सुतौली, सिसैया दरियाना, सुकेठा, दूलामऊ, अमलोरा, बरा, ताहपुर, चौसा, सिरसा, शंकरपुर झिसनी, नसीरपुर देवरिया, शिवपुरी, भिठनाफर्र, खनुवापुर, भदेवा, बिजेहड़ा), ब्लाक रामपुर मथुरा की 15 ग्राम पंचायतों (घमौड़ा, मोहम्मदपुर कदीम, सेमरी, बरी बगतपुर, सोहरिया, दहला धौरहरा, सेलुहामऊ, माहिमपुर, हरिहरपुर, विलासपुर, चांदपुर लोधौनी, गवाहडीह, रायसनेपुर, तुलापुर, सैदनपुर) एवं ब्लाक सकरन की 09 ग्राम पंचायतों (पिपराखुर्द, सोहलिया, नसीरपुर, अन्डूपुर, बगहाढाक, सकरनखुर्द, लश्करपुर, पचदेवरा, बारासिंहा, काजीपुर) में राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। शेष ग्राम पंचायतों में भी लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे शीघ्र पूर्ण कराकर अपात्रों के राशन कार्डों को निरस्त करके पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची में सम्मिलित करके राशन कार्ड जारी करा दिये जायेंगे।

4-खाद्यायुक्त के आदेश संख्या-1909/उ0द0वि0-बैक-63/09, दिनांक 11-05-2016 द्वारा उचित दर दुकानों के निलम्बन/निरस्तीकरण अथवा अन्य प्रकार की घटित रिक्तता की स्थिति में सम्बद्ध कार्ड धारकों को शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार समीपस्थ विक्रेता से सम्बद्ध किये जाने के दृष्टिकोण से जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं से 03 समीपस्थ उचित दर विक्रेताओं से सम्बद्धीकरण का प्रस्ताव मांगा गया था, जिसके अनुपालन में जनपद में कार्यरत सभी उचित दर दुकानों को वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दूसरे उचित दर विक्रेता से पारदर्शी ढ़ंग से अस्थायी रूप से सम्बद्ध करने के लिए खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार 03 समीपस्थ उचित दर दुकानों की ''लिंक शाप'' सूची बनाकर प्रेषित की गयी, जो एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है। किसी उचित दर दुकान के निलम्बन/निरस्तीकरण की दशा में उसी ''लिंक शाप'' सूची के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्थान्तर्गत निकटवर्ती दुकान से सम्बद्धीकरण किया जाता है। इस सूची में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।]

जिला पंचायत अलीगढ़ में शासनादेशों के विरुद्ध कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्री दलवीर सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11-07-2017 को नियम-51 के अंतर्गत यह सूचना दी गयी है कि .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष -

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जिला पंचायत, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 06-10-2016 को 109 विकास कार्यो की निविदायें आमंत्रित की गयी थी। इनमें से अधिकतर निविदायें ग्राम के अन्दर छोटी-छोटी गलियों की हैं। जबकि पंचायतीराज के शासनादेशों (5/-86/33-2-14-93जी/2014 टी0सी0, दिनांक 24-06-2014 एवं 1838/33-3-2015-03/2015, दिनांक 31-07-2015) के अनुसार जिला पंचायत एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने वाले विकास कार्य करा सकती है। ग्राम सभा के अन्दर छोटी-छोटी गलियों का कार्य कराया जाना नियमानुसार वैध नहीं है। (इसी प्रकार इससे पूर्व आमंत्रित निविदाओं में भी शासनादेशों की अनदेखी की गई है।) किन्तु जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा शासन के शासनादेशों की अनदेखी कर यह सभी विकास कार्य नियम विरुद्ध कराये गये हैं। जिला पंचायत अलीगढ़ द्वारा एक वर्ष के अन्दर काफी कार्य 10 लाख रुपये की लागत के कराये गये है। बड़े-बड़े कार्यों को भी टुकड़ों में 10 लाख रुपये से की लागत में समायोजित कर कराये गये हैं। यह भी शासनादेशों की अनदेखी कर कराये गये हैं। जिला पंचायत अलीगढ़ में गत 18 माह के अन्तर्गत कराये गये अधिकतर विकास कार्य नियम विरुद्ध तथा निम्न गुणवत्ता के कराकर भारी वित्तीय अनियमितताएं की गई है। जिसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। मेरे द्वारा पत्र संख्या-ख-5-915854 दिनांक 29-03-2017 पर मा0 मुख्य मंत्री जी के स्तर से उनके आदेश संख्या-18143170016593 दिनांक 02-04-2017 द्वारा विभागीय प्रमुख सचिव को प्रकरण में ''जांच कराकर एक सप्ताह में आख्या की अपेक्षा'' की गई थी। किन्तु विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशों का समयावधि में कोई पालन नहीं किया गया है इससे यह शिकायत सही प्रतीत होती है कि स्थानीय स्तर पर शासन के नियमों की अनदेखी तथा विकास कार्यो में निम्न गुणवत्ता का इस्तेमाल एवं वित्तीय अनियमितताएं की गई है और इसमें अधिकारियों की सहभागिता भी है। मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य की मांग की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य के शिकायती पत्र पूर्व में ही प्राप्त हो चुके हैं, जिनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ को जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। शासन के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जांच हेतु 04 सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी है, जो निम्नवत् है :--

1-श्री बच्चू सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), अलीगढ़,

2-श्री अनिल कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़,

3-श्री एम0एच0 सिद्दीकी, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्रा0ख0) अलीगढ़,

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, अलीगढ़।

उक्त समिति की जांच आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने पर उसका परीक्षण करते हुए लिये गये निर्णय से मा0 सदन को अवगत कराया जायेगा।]

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश के द्वारा इसमें जांच कराई गई है, लेकिन इस जांच को दबा दिया गया है। वक्तव्य की प्रति मेरे पास है। इसमें जवाब यह आया है कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है। यह रिपोर्ट जानबूझकर चार-छह महीने से वहीं पर लम्बित रखी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसे समयबद्ध करके इसकी सूचना मंगा करके जिला पंचायत में जितनी भी अनियमिततायें हुई हैं सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये, रिकवरी की जाये और संज्ञेय अपराध के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाये। मैं आपके माध्यम से इस पर माननीय मंत्री जी का उत्तर चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम इसको दिखवा लेंगे और जो माननीय सदस्य की भावना है उसके अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य समयबद्ध कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें हम कार्यवाही अतिशीघ्र करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत सहकारी कोल्ड स्टोरेज को बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद् के अंतर्गत सहकारी कोल्ड स्टोर चालू किया गया था जिसे अब बन्द कर दिया गया है। उक्त सहकारी कोल्ड .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष -

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[स्टोर के पास सहकारी विभाग की बहुत सी दुकानें भी बनवाई गई थी। जहां काफी समय से इस कोल्ड स्टोर के बन्द होने के कारण किसानों को आलू भण्डारण की समस्या उत्पन्न हो गई है वहीं पर सहकारी विभाग द्वारा बनाई गई दुकानें टूटकर बेकार हो रही और अधिकतर दुकानों एवं सहकारी कोल्ड स्टोर की सम्पत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा भी कर लिया गया है। बुलन्दशहर में बड़े पैमाने पर आलू की पैदावार होती है। जहां आलू भण्डारण की समस्या का निदान करने के लिये अतिरिक्त कोल्ड स्टोर चलाये जाने की आवश्यकता है वहीं पर पहले से संचालित सहकारी कोल्ड स्टोर के बन्द कर दिये जाने से किसानों के सामने आलू भण्डारण की समस्या बढ़ती जा रही है। किसानो के हित को देखते हुये बुलन्दशहर के नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत सहकारी कोल्ड स्टोर को चलाया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नगर पालिका परिषद् बुलन्दशहर सहकारी कोल्ड स्टोर को चलाये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

सहकारी शीतगृह जनपद बुलन्दशहर के बन्द पड़े शीतगृह को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत कई वर्षो से उक्त शीतगृह निष्क्रिय/बन्द है जिसके फलस्वरूप इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं मशीनरी जर्जर और निष्क्रिय हो गई है। वर्तमान में शीतगृह पर बकाया ऋण के अतिदेयों के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-778/49-3-2015-100(41)/91, दिनांक 21-5-2015 द्वारा निष्क्रिय शीतगृह की भूमि, भवन, प्लाण्ट एवं मशीनरी के निस्तारण का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के बन्द पड़े सहकारी शीतगृह को चलाया जाना सम्भव नहीं है।]

विधान सभा क्षेत्र मिरजापुर में गंगा नदी के किनारे हो रहे कटान से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रत्नाकर मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्री रत्नाकर मिश्र, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18-07-2017 को नियम-51 के अंतर्गत .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष -

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[निम्नवत् सूचना दी गयी है :--

''जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र मीरजापुर में जिसका अधिकांश हिस्सा गंगा के किनारे बसा हुआ है। विगत मे गंगा के कटान से वहां पर बसे लोगों के जनधन का नुकसान हो रहा है एवं

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फसल का नुकसान हो रहा है। यदि रामगया से फतहा तक गंगा नदी के किनारे तटबन्ध बनाकर उस पर पिच रोड बना दी जाये तो गंगा के कटान से हो रहे नुकसान से भी बचा जा सकता है तथा उसके किनारे बसी घनी आबादी पर जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार से वक्तव्य कराये जाने की मांग करता हूं।''

2-मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर दी गयी सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् है :--

मीरजापुर जनपद में गंगा नदी के दाहिने तट पर अति संवेदनशील स्थलों पर हो रहे कटाव को रोकने के लिए निम्नांकित 03 परियोजनाएं बनायी गयी है।

(1) जनपद मीरजापुर में गंगा नदी के दायें तट पर शास्त्री पुल के डाउनस्ट्रीम में ग्राम भटोली में स्टोन बोल्डर पिचिंग व लांचिंग एप्रन के कार्य की परियोजना।

(2) जनपद मीरजापुर में गंगा नदी के दायें तट पर पुलिस आफिस के पास ओझला नाला के डाउनफाल के डाउनस्ट्रीम में कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।

(3) जनपद मीरजापुर में गंगा नदी के दायें तट पर चौबे घाट पर प्लेटफार्म एवं कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।

रामगया से फतहां तक गंगा नदी के किनारे तटबन्ध बनाकर उस पर पिचरोड बनवाने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के उपरान्त साध्य पाये जाने पर परियोजना का गठन करना सम्भव होगा।

परियोजनों के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आवश्यक कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।]

प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक के पदों को लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अचल राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2017 में श्री रामअचल राजभर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया .....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष -

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 18-07-2017 को यह सूचना दी गयी है कि ''चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई वर्षो पूर्व प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर नियुक्तियां की गयी थीं। वर्तमान में उक्त पदों पर सैकड़ों कर्मचारीगण बिना किसी पदोन्नति प्राप्त किये उसी पदों पर कार्य कर रहे हैं। उक्त कर्मचारीगणों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग पदनाम से वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन 2400/- में रखे जाने तथा दिनांक 02 जून, 2014 को प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के वर्तनाम पदधारकों को लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को आदेश दिये गये थे।

उक्त शासनादेश में कहा गया था कि **''प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर वर्तमान में कार्यरत पदधारकों, जिन्होंने इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सी0एच0सी0 तथा उच्च स्तर के अस्पतालों में 06 माह का कार्य अनुभव हो, में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लैब टेक्नीशियन संवर्ग में उपलब्ध लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की जाए तथा सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधन की कार्यवाही पृथक से शीघ्र कर ली जायेगी।''**

परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासन द्वारा दिये गये उक्त आदेशों का अनुपालन भी नहीं किया जा सका तथा कई वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के कर्मचारीगण को लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति नहीं किये जाने से उक्त कर्मचारीगणों में अत्यधिक कुंठा व्याप्त है''

अतः इस लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी है।

अवगत कराना है कि शासनोदश संख्या-2175/पांच-7-2014-489/2011, दिनांक 02 जून, 2014 के द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्राम्य की पदोन्नति लैब टेक्नीशियन के 25 प्रतिशत पदों पर किये जाने के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को उक्त संवर्ग की सेवा नियमावली पूर्ण संशोधन कर (हिन्दी और अंग्रेजी में) विवरण शासन को उपलब्ध कराये के निर्देश दिये गये हैं।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 04-02-2016 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) की सेवा नियमावली, 1998 एवं लैब टेक्नीशियन सेवा नियमावली, 1994 में आवश्यक संशोधन हेतु दिनांक 08-02-2016 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसमें यह निर्णीत हुआ कि शासनादेश दिनांक 02-06-2014 में किये गये प्राविधान के अन्तर्गत दोनों नियमावलियों के किस-किस नियम में संशोधन करते हुए क्या-क्या प्राविधान रखे जाने है, पर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिए एक कमेटी का गठन कर लिया जाये, जिसमें निदेशक (पैरामेडिकल), सदस्य सचिव, अपर निदेशक

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(कार्मिक), वित्त नियंत्रक एवं सचिव, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा वरिष्ठ विधि अधिकारी सदस्य होंगे। प्रोन्नति के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया है कि लैब टेक्नीशियन की वर्षवार रिक्तियों के सापेक्ष 25 प्रतिशत प्रोन्नति का कोटा तय कर लिया जाये। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 को भेजे जाने वाले अधियाचन में 25 प्रतिशत सीटों का परिणाम घोषित न किये जाने का अनुरोध अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 से कर लिया जाय।

निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उ0प्र0 को कुल 770 अस्थाई लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा गया। आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध यू0पी0 लेबोरेट्री असिस्टेण्ट (ग्राम्य) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-7209(एस0एस0)/2014 यू0पी0 लेबोरेट्री असिस्टेण्ट (ग्राम्य) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य योजित की गयी है। प्रश्नगत रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में अभी लम्बित/विचाराधीन है।]

विधान सभा के सदस्यगण तथा पत्रकारों के लिए मध्याह्न भोज की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आज आपकी तरफ से भोजन की व्यवस्था है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सभी माननीय सदस्यों तथा सभी हमारे पत्रकार बन्धुओं के लिए भोजन की विशेष रूप से व्यवस्था है। मैंने अलग से आग्रह भी सभी लोगों से किया है। हम सभी लोगों से चाहेंगे कि आप सब भोजन करके जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब हम दिनांक 24-07-2017 सोमवार को 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 46 मिनट पर सोमवार दिनांक 24-07-2017 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः दिनांक 21 जुलाई, 2017।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 327 विधान सभा (619)-13-03-2018-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।